

(1100/IND/GM)

1101 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन ऑवरा

प्रश्न 281, डॉ. मोहम्मद जावेद।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष जी, हमने एडजॉर्नमेंट मोशन दिया था। गुजरात में और हिंदुस्तान के कई राज्यों में दलित लोगों के ऊपर नए सिरे से हमला हो रहा है।...(व्यवधान)

गुजरात में दलितों की हत्या की जा रही है।...(व्यवधान) यूपी में दलितों पर...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मोहम्मद जावेद जी, आप प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

(प्रश्न 281)

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज): अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत शुक्रिया और माननीय मंत्री जी को भी शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने बहुत डिटेल में सूचनाएं दी हैं। उनकी रिपोर्ट के हिसाब से लगभग सवा नौ लाख डॉक्टरों की संख्या है और 1456 लोगों पर एक डॉक्टर के हिसाब से एवलेबल हैं। लेकिन बिहार में 1456 लोगों पर एक डॉक्टर की बजाय 3382 लोगों पर एक डॉक्टर हो जाता है। चिंता की बात यह है कि as per the NHP and the report prepared by the CBHI in July, 2018, the then Health Minister Nadda Ji ने यह पेश किया था कि 11 हजार की पापुलेशन पर एक सरकारी डॉक्टर का रेश्यो था। जब बिहार के बारे में देखा जाए, तो लगभग 19 हजार की पापुलेशन पर एक सरकारी डॉक्टर था। मैं किशनगंज से आता हूँ, यहां लगभग 45 हजार लोगों पर मात्र एक सरकारी डॉक्टर है। इस वजह से काफी कठिनाई होती है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आग्रह करता हूँ कि प्रश्न संक्षेप में पूछा कीजिए, ताकि हम अधिकतम प्रश्न पूछ सकें।

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज): अध्यक्ष जी, मैं बहुत शॉर्ट में प्रश्न पूछूंगा।

महोदय, हिंदुस्तान में हर साल करीब 65 हजार डॉक्टरों तैयार होते हैं, लेकिन बिहार में सिर्फ 1100 डॉक्टरों हर साल बनते हैं। हमने हाल में देखा कि चमकी बुखार से मुजफ्फरपुर और आस-पास के इलाकों में गरीब और दलितों के करीब 200 बच्चे मर गए। यह सिलसिला रुक नहीं रहा है। आपने देखा होगा कि कल-परसों भी गया में छः बच्चों की मृत्यु हो गई। डॉक्टरों की रेश्यो बढ़ाने के लिए, जैसा मैंने किशनगंज के बारे में कहा।

माननीय अध्यक्ष : आप केवल किशनगंज की ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार की बात कीजिए। डॉक्टरों का रेश्यो पूरे देश में और पूरे प्रदेश में बढ़ेगा।

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज): अध्यक्ष जी, मैं इसी प्वाइंट पर आ रहा हूँ। बिहार में और खासकर मेरे संसदीय क्षेत्र में इतनी डिसमल सिचुएशन है। किशनगंज में एम्स खोलने के लिए जमीन भी आइडेंटिफाई की गई थी।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि बिहार और किशनगंज में कितने मेडिकल कालेजेज खोलना चाहते हैं और कब तक खोलना चाहते हैं?

(1105/VB/SAN)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री

(डॉ. हर्ष वर्धन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कंसर्न मेम्बर को एप्रीशिएट करना चाहता हूँ, उन्होंने सबको ठीक ही स्मरण कराया है, अगर हम देश में एलोपैथी डॉक्टरों की बात करें, तो रफली 1,456 की आबादी पर एक एलोपैथी डॉक्टर है। लेकिन, आयुष (आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी) से जुड़े हुए जितने डॉक्टर हैं, उनको जोड़ते हैं, तो 867 की आबादी पर एक डॉक्टर हो जाता है और यह आँकड़ा बेहतर हो जाता है।

माननीय सदस्य ने जो कहा, उसमें भी कोई दो मत नहीं है। हमारे पास पूरे बिहार का जो डाटा उपलब्ध है, उसके हिसाब से 40,649 डॉक्टर हैं और इनमें से 80 प्रतिशत डॉक्टरों सिस्टम

में उपलब्ध हैं। यह 40,649 का जो डाटा है, वह इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो मेम्बर्स इत्यादि हैं, यह उनका डाटा है। इसलिए लगभग 80 पर्सेंट डॉक्टर्स को अवेलेवल मानें, तो 32,519 डॉक्टर्स होते हैं।

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Sir, please also club Question No. 285.

2011 की जनगणना के अनुसार, जो लेटेस्ट आबादी है, वह 10.41 करोड़ है, उसके हिसाब से करीब 3201 की आबादी पर बिहार में एक डॉक्टर बैठता है, जो देश के औसत से निश्चित रूप से कम है।

आपने पूछा है कि इसके बारे में सरकार की सोच क्या है। मैं आपको केवल इतना बताना चाहता हूँ कि इन सारी बातों का ख्याल करते हुए, पिछले पाँच साल में देश में दो फ़ेजेज में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को परिवर्तित करके 82 मेडिकल कॉलेजेज बनाने की योजना बनी। पहले फ़ेज में 58 मेडिकल कॉलेजेज, उसके बाद 24 और मेडिकल कॉलेजेज बनेंगे।

बिहार जैसे स्टेट्स, जहाँ डॉक्टर्स की संख्या कम है, में हमने प्राथमिकता के तौर पर पहले 58 मेडिकल कॉलेजेज में से तीन बिहार को और सेकेंड फ़ेज के अंतर्गत 24 मेडिकल कॉलेजेज में से पाँच बिहार को दिये हैं। यानी कुल आठ नये मेडिकल कॉलेजेज बिहार को देने की हमने योजना बनाई है।

इसके लिए जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी लैंड की उपलब्धता आदि सारी चीजें जैसे-जैसे पूरी होती जा रही हैं, हम सरकार को पूरी मदद कर रहे हैं और पूरी मदद करने के लिए कृतसंकल्प हैं। इसके अलावा, वहाँ किसी भी प्रकार से, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के माध्यम से, जिसको पीआइपी कहते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन में जहाँ-जहाँ की सरकारें स्ट्रेंथनिंग के लिए माँग करती हैं, योजनाएँ बनाकर हमको देती हैं, उन सब चीजों को हम लोग सपोर्ट करते हैं और भविष्य में भी हम सपोर्ट करते रहेंगे। सरकार के माध्यम से यदि आप भी कोई योजना हमारे पास भेजेंगे, उसे हम क्रिटिकली और ऑब्जेक्टिवली एग्जामिन करेंगे। बिहार में और आपके क्षेत्र में भी किसी भी प्रकार से उस स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए भारत सरकार सहयोग कर सकती है, लेकिन उसके लिए सारा इनिशिएटिव बिहार सरकार की ओर से आना आवश्यक है। हमारी तरफ से किसी भी प्रकार के सपोर्ट और समर्थन में कोई कमी नहीं है।

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज): माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब का बहुत ही एनकरेजिंग आंसर था। उन्होंने आठ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज खोलने की बात कही, तो मैं कहना चाहूँगा कि यह आठ का आँकड़ा बढ़ना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि किशनगंज में एम्स के लिए जमीन भी उपलब्ध करायी गई थी, ... (व्यवधान) मौजूदा सरकार आयुष्मान भारत को लेकर पब्लिक में काफी चर्चा करवा रही है, यह एक अच्छा इनिशिएटिव है।

(1110/KDS/RK)

सर, 6400 एलोकेशन हुए हैं और 5 लाख रुपये प्रति फैमिली इसमें अनुदान के तौर पर दिए जाते हैं। अगर इसको देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा डेढ़ से दो लाख फैमिलीज को ही कवर कर पाते हैं और जो इन्फ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान में है और खासकर बिहार के किशनगंज में, जैसा कि

हमने माननीय हेल्थ मिनिस्टर को बताया है, तो यह सुविधा गरीब से गरीब लोगों को नहीं पहुंचेगी। डॉक्टर साहब हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। उन्होंने बिहार में 40 हजार डॉक्टर्स की बात की है, लेकिन जो 35 हजार डॉक्टर्स सर्विस में हैं, उनके आंकड़ों के हिसाब से बताना चाहूंगा कि 35 हजार में से लगभग 15 हजार तो दिल्ली और एनसीआर में हैं। जो ऐक्चुअल फिगर बिहार में है वह 15 हजार से 20 हजार ही होंगे। अतः मुझे माननीय मंत्री जी से यह जानकारी चाहिए कि जब 'आयुष्मान भारत योजना' के तहत आपकी पीएचसी में डॉक्टर्स नहीं हैं, तो इससे यही प्रतीत होता है कि इसका फायदा सिर्फ बीमा कंपनियों और प्राइवेट डॉक्टर्स को जाएगा। इसको सुधारना चाहिए, क्योंकि गरीब व्यक्ति शहर नहीं जा सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी बीमारी और बढ़ जाती है। अतः उनकी केयर करने के लिए क्या स्पेसिफिक स्कीम या प्रपोजल है?

डॉ. हर्ष वर्धन: माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि जो 'आयुष्मान भारत योजना' आज से लगभग 8-9 महीने पहले लांच हुई थी, उस समय 2011 के सेंसस के डाटा और सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से काफी सारी कैटेगरीज़ के लोगों के लिए लिस्ट बनाई गई थी। ऐसी कैटेगरीज़ जो 2011 के सेंसस में कवर की गयीं, उसके अंदर करीब 10.8 करोड़ की संख्या थी। इस संख्या को ही 'आयुष्मान भारत योजना' के फर्स्ट फेज़ में लिया जा रहा है, जिसमें सब प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं, जैसे कि 5 लाख रुपये एक परिवार के लिए खर्च होने की बात है, जिसके लिए लगभग 16 हजार से ज्यादा सरकारी व प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों को देश भर में रजिस्टर किया गया है। इसके लिए उनको ई-कार्ड वगैरह भी दिया जा रहा है। हम लोगों ने दोबारा सरकार में आने पर इस पर और गंभीरता से डिटेल में काम करना शुरू किया है। बहुत सारे लोग जो 2011 की उस लिस्ट में नहीं हैं, लेकिन वे वास्तव में किसी तरह की कैटेगरीज़ में आते हैं, सोशल इकोनॉमिक दृष्टि से डिप्राइव्ड हैं और वे डिजर्व करते हैं कि उनको सरकार की ओर से इस प्रकार की सहायता मिलनी चाहिए। इस हेतु माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में उनके विजन को, वर्ष 2022 का जो उनका न्यू इंडिया का विजन है, उसको साकार करने के लिए हम लोग बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आने वाले समय में हमारी सोच यह है कि कोई भी व्यक्ति जो देश में गरीब है, विपन्न है, सभी प्रकार की सुविधाओं से अभावग्रस्त कैटेगरी में आता है, और जिसे अपने इलाज के लिए स्वयं स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कर पाना मुश्किल है तथा वह वर्ष 2011 की सेंसस की लिस्ट में नहीं है, तो आने वाले समय में इस योजना को हम लोग एक्सपैंड करेंगे। इसके साथ-साथ इस योजना का जो दूसरा पार्ट है, जो कि देश में डेढ़ लाख हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर क्रिएट करने का है, उसको भी बहुत एग्रेसिवली और प्रोएक्टिवली हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अभी 19 हजार के करीब सेंटर्स बने हैं, और वर्ष 2022 तक डेढ़ लाख सेंटर्स पूरे करने का हमारा लक्ष्य है। इन सेंटर्स पर केवल बीमार होने पर व्यक्ति को इलाज मिले, उससे ज्यादा हमारा इस बात पर भी फोकस है कि हम कैसे प्रमोटिव हेल्थ को, प्रिवेंटिव हेल्थ को, पॉजिटिव हेल्थ को वहां प्रमोट करें, खासकर जो दूसरी कम्यूनिकेबल डिजीजेज़ हैं, जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल हैं, उसके लिए तो हम हर एक बच्चे को वैक्सीन उपलब्ध कराएं लेकिन साथ में जो नॉन कम्यूनिकेबल डिजीजेज़ हैं, जिनके अर्ली

डायग्नोसिस से हम, लोगों को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं या सही समय पर सही ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं। वर्तमान में बहुत सारे कैंसर हैं। कुछ दिन पहले मैंने यहां पर ओरल कैंसर की भी किसी अन्य संदर्भ में बात की थी। वह भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हेल्थ का मूवमेंट डेढ़ लाख जगहों पर खड़ा हो, इसके लिए बहुत गंभीरता से हम लोग वर्क कर रहे हैं। उसके लिए समाज के लोगों को, स्वयंसेवी संस्थाओं को भी हम इन्वॉल्व करना चाहेंगे और देश भर के अंदर मोटिवेटेड डॉक्टर्स से भी हम अपील कर रहे हैं कि आप अपने-अपने क्षेत्र के अंदर कोई दो-चार-पांच हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर्स को अडॉप्ट करिए।

(1115/MM/PS)

वहां सोसाइटी हेल्थ का एक पॉजिटिव मूवमेंट डेवलप कीजिए और लोग बीमार न पड़ें, इसके लिए सब प्रकार की स्वास्थ्य शिक्षा दें। हमारा यह काफी बड़ा एम्बीशियस प्रोग्राम है, जिस पर काफी गम्भीरता से काम हो रहा है। आप जानते हैं कि 30-32 लाख लोग आयुष्मान योजना का देश में लाभ उठा चुके हैं। हम चाहते हैं कि देश में एक-एक व्यक्ति जिसको इसकी जरूरत है, उसको अल्टीमेटली इसका लाभ मिलना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर 281 और 285 एक नैचर के हैं, मैं इनको क्लब करता हूं।

श्री पिनाकी मिश्रा।

SHRI PINAKI MISRA (PURI): Hon. Speaker, Sir, thank you very much for having given me this opportunity. The difficulty with getting answers in the morning is that it is really very difficult to check the facts and figures. बहुत मुश्किल होती है। इसके अंदर इतने फैक्ट्स और फिगर्स दिए गए हैं...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं सेक्रेटेरियट को ठीक करूंगा।

श्री पिनाकी मिश्रा (पुरी): इनको चैक कराना। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने जो बात उठायी है, उसको सेक्रेटेरियट को ठीक करवाएंगे कि ठीक तरह से जवाब मिले।

श्री पिनाकी मिश्रा (पुरी): कम से कम एक दिन पहले सवाल के जवाब मिलें। अब आप ओडिशा का देखिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रॉब्लम क्या है और वह यह है कि सेन्ट्रल शेयर क्या है और टोटल सेन्ट्रल शेयर रिलीज क्या है? हर जगह माननीय मंत्री जी दिखा रहे हैं कि केन्द्र सरकार ने सेन्ट्रल शेयर एंटायरिटी रिलीज कर दिया है। यह तो मैं विश्वास नहीं कर सकता हूं कि केन्द्र सरकार इतना ज्यादा एफिशियंट हो गई है कि there is 100 percent release on every issue. So, we have to check these facts and figures. I am only requesting the hon. Minister that can you responsibly बोल सकते हैं कि यह जो सौ प्रतिशत रिलीज दिखा रहे हैं, क्या ये पूरी तरह से रिलीज हो चुके हैं?

DR. HARSH VARDHAN: I think, whatever we have conveyed to you, is on record. मेरा यह कहना है कि आपको शायद थेयोरिटिकली या पिछली सरकारों का इतिहास देखकर ऐसा लगता है कि यह पॉसिबल नहीं है, लेकिन मोदी जी हैं तो यह सब मुमकिन है।

श्री पिनाकी मिश्रा (पुरी): आपका जवाब शायद यही आता। सेकेण्ड सप्लीमेंटरी में मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आपने एक जगह ब्लैक कर दिया है। जाजपुर को कुछ नहीं मिला है। क्या आप बता पाएंगे कि जाजपुर में क्यों इस तरह की परिस्थिति हुई है? अगर आपको पता है तो बता दें अन्यथा मुझे बाद में लिखकर बाद में बता दें।

डॉ. हर्ष वर्धन : मुझे इसके बारे में पता है। हर एक मेडिकल कॉलेज के बारे में सरकार को लैण्ड इत्यादि की उपलब्धता देखनी होता है। यह जो पार्टिकुलर मेडिकल कॉलेज है, वहाँ की सरकार को बेसिक फोर्मेलेटीज़ पूरी करनी थीं। आपकी ओडिशा सरकार ने इस मामले में काफी डिले किया। लेकिन मैं लेटेस्ट इतना बता सकता हूँ कि इस पार्टिकुलर मेडिकल कॉलेज के बारे में सरकार की तरफ से जो जानकारियाँ आनी थीं, वह लास्ट वीक में दो-तीन दिन के अंदर ही आई हैं। कल की मीटिंग में यह भी अप्रूव हो गया है, इसलिए इसमें आपको जो ब्लैक दिख रहा है, उनको भी पैसा ट्रांसफर हो जाएगा।

SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY (ONGOLE): Hon. Speaker, Sir, thank you very much.

As per the standards of World Health Organisation, doctor to patient ratio is 1:1000, whereas, in our country, it is 1:1681. There is a shortage of medical colleges. You are also very well aware that the Ministry has organised NEET examination. Last year, around twelve lakh students were registered for this exam and out of the same, only seven lakh students could qualify. This year also, around fifteen lakh students were registered for this exam, but out of the same, only eight lakh students qualified the exam. There are only 60,000 seats in our country. Hon. Speaker, Sir, it is a good Session. In your constituency also, it will be useful. The Government of India and the Health Ministry have stated that each State will have one medical college sponsored by the Central Government, whereas in Andhra Pradesh, for the past three years, there is no Government medical college sanctioned so far.

Through you, I would like to request the hon. Minister of Health and Family Welfare to open medical colleges in rural areas, like Markapuram which comes in my parliamentary constituency, so that the rural people will also be benefitted from medical healthcare.

(1120/RC/SJN)

DR. HARSH VARDHAN: Sir, the hon. Member has asked two questions. One is about the available seats for the children who have got selected in NEET. I think on the other day also when there was a discussion on Medical Council of India here, I had informed this House that after we had the Board of Governors

superseding the previous dispensation in MCI, in the last couple of months itself, we have been able to increase over 15000 MBBS seats. So, right now from that 60000, the number of seats available for those who qualify NEET is 75000. This is a record of all times. It has never happened in the history of Medical Council of India or in the history of medical education in this country.

Regarding the other issue that you wanted something in your own district, as I had informed earlier, the Government, in fact, came out with the proposal of having 82 new medical colleges which will be converted from the district hospitals. There was a set criteria for choosing those places like the districts which did not have a medical college or those districts where there was a district hospital with say 200 beds etc.

Now in the future planning, as we have promised in our Party's manifesto also, we will come out with a plan to add another 75 colleges in the coming years. Preferably, when we deliver a new India to all Indians by 2022, in that new plan, we have added in our criteria a preference to the aspirational districts and also that will be in a challenge mode. Any district in the country where there is no medical college facility, there is no medical college and of course, if there is a district hospital with 200 beds and preferably if it falls within the aspirational districts which the Prime Minister has very passionately pursued in the last 4-5 years, we have provided to give all possible services to everyone there with a very motivated and highly energetic campaign. Our ambitious plan is that in every district of the country, there should be something happening for strengthening the medical education component. It could be even a DNB course in a private hospital. It could be a medical college or an upgradation of district hospital or it could be an AIIMS or anything. But we want that medical education component should be strengthened in every district.

So, I would suggest that for your own district, you have to pursue the matter through your State Government. You see whether you fall into that domain of parameters and then I can promise you that we will take it up very passionately.

श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में एक दरभंगा मेडिकल कालेज अस्पताल है, जो बहुत पुराना अस्पताल है। मैं समझता हूँ कि वह सैकड़ों वर्ष पुराना अस्पताल है। डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने भी इस सवाल को उठाया था। दरभंगा मेडिकल

कालेज अस्पताल के लिए राज्य सरकार की तरफ से केन्द्र सरकार के सामने प्रस्ताव है कि इसको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। उसमें सैकड़ों एकड़ जमीन भी उपलब्ध है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि दरभंगा मेडिकल कालेज को एम्स में परिवर्तित करने के लिए जो राज्य सरकार का प्रस्ताव है, उस पर कब तक केन्द्र सरकार निर्णय लेगी, ताकि उत्तर बिहार के लोगों को भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके?

डॉ. हर्ष वर्धन : अध्यक्ष महोदय, अभी नई सरकार बनने के बाद और मेरे पास इस विभाग की जिम्मेदारी आने के बाद यह विषय मेरे संज्ञान में आया है कि बिहार की सरकार दरभंगा के अंदर जो मेडिकल कालेज है, उसको एम्स में परिवर्तित करना चाहती है। इस संदर्भ में जो टेक्निकल फीजीबिलिटी की स्टडीज़ इत्यादि हैं, उसे डिपार्टमेंट पूरा करने का प्रयास कर रहा है। वहां पर उस मेडिकल कालेज से जुड़े हुए कुछ हैरिटेज स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं। इसके अलावा वह एरिया थोड़ा लो लाइंग है और कुछ ऐसे टेक्निकल ईश्यूज़ हैं, जिनके कारण उस पर एकदम से रिक्वेस्ट देकर उसको स्वीकृति प्रदान करना थोड़ा मुश्किल है, but we are genuinely assessing the whole thing very objectively. As soon as a proper decision is taken, we will convey it to the State Government.

(1125/GG/SNB)

श्री अरविन्द कुमार शर्मा (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, इसमें दो बातें हैं। एक तो पीजी के कोर्सेज में सीटें तो आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन यूजी कोर्सेज के हिसाब से पीजी कोर्सेज में सीटें कम बढ़ रही हैं। मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि पीजी कोर्सेज में भी सीटें ज्यादा बढ़ाई जाएं। दूसरा, एमबीबीएस कोर्सेज के लिए नीट के माध्यम से एडमिशन होता है। प्राइवेट कॉलेजेज में, सरकारी कॉलेजेज तो मैरिट को फॉलो करते हैं। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेज एक-दो काउंसलिंग के बाद मैरिट को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। जो फर्स्ट कम फर्स्ट की नीति से पैसे देता है, जो डोनेशन देता है, जो फीस देता है, अच्छी फीस देता है, उसको एडमिशन देते हैं। बाकी किसी को भी वे मानते नहीं हैं। मैं आपके जरिए जानना चाहता हूँ कि हमारे प्रधान मंत्री जी का जो सपना है, इकोनॉमिकली वीकर सैक्शन के जो परिवार हैं, मेडिकल कॉलेज के एडमिशन में उनको कैसे मदद मिले। मैं आपके जरिए यह जानना चाहता हूँ कि जो दस पर्सेंट का आरक्षण हुआ है, क्या आप मेडिकल कॉलेज की सीटों में भी, प्राइवेट कॉलेजिस में लागू करेंगे? अध्यक्ष जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। गरीब परिवारों के बच्चों को कहीं भी दाखिला नहीं मिलता है। क्या मंत्री जी इसमें आगे बढ़ेंगे या गरीब बच्चों के लिए कुछ रास्ता निकालेंगे?

डॉ. हर्ष वर्धन : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने दो सवाल पूछे हैं। पहला सवाल पीजी सीट्स के बारे में है। उसके बारे में भी मेरा यह कहना है कि पिछले 8-9 महीनों के अंदर शायद जितनी सीट्स बढ़ी हैं, उतनी भारत के इतिहास में कभी नहीं बढ़ी हैं। दूसरा, पीजी सीट्स को बढ़ाने की दृष्टि से हमारी सरकार ने कुछ पॉलिसी निर्णय लिए हैं, जो कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने कनवे किए और चूंकि सरकार की यह मंशा है कि एमबीबीएस सीट्स भी बढ़नी चाहिए, देश में पीजी डॉक्टर्स कम हैं,

उसके मुकाबले, इसलिए अभी पहले जो प्रोफेसर या हैड ऑफ डिपार्टमेंट होता था, एक व्यक्ति के साथ एक पीजी स्टूडेंट अटैच होता था। खास कर सारे विषयों में एक के बदले दो और क्लीनिकल सब्जेक्ट्स में एक प्रोफेसर के ऊपर तीन-तीन पीजी स्टूडेंट्स अटैच कर दिए गए हैं। हरेक मैडिकल कॉलेज के लिए यह कम्पलसरी हो गया है। पहले लोग सिर्फ ग्रेजुएशन का कोर्स चलाते थे, लेकिन जरूरी नहीं था कि वे पीजी करेंगे। लेकिन अब हरेक कॉलेज के लिए यह कम्पलसरी है कि उसको अल्टीमेटली तीन साल के बाद एप्लाई कर के उसको पीजी एजुकेशन आदि बढ़ानी है। इसके साथ-साथ जैसा अभी मैंने कहा कि डीएनबी इत्यादि के कोर्सेज जो हैं, उनका भी हमने स्टेटस इंप्रूव कर दिया है। डीएनबी के जो कोर्सेज हैं, उनको जो दूसरे एमडी एमएस और दूसरे कोर्सेज हैं, उनके समकक्ष बना दिया है। 500 बेड्स से ऊपर के किसी अस्पताल के अंदर अगर किसी ने डीएनबी किया है, तब तो वह स्ट्रेट-अवे समकक्ष हो जाता है। अदरवाइज एक साल की और रेसिडेंसी करने के बाद वह समकक्ष हो जाता है। यह तो आपके पीजी कोर्सेज के संदर्भ में है।

दूसरा, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड के बारे में है, यह निर्णय कोई सिर्फ प्रधान मंत्री जी ने कैबिनेट में लिया और यहां पर इन्फॉर्म नहीं किया, लेकिन सारे क्षेत्रों के अंदर इसको व्यापक पैमाने पर इसको लागू करने का प्रयास हो रहा है। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि केवल इसी वर्ष एमबीबीएस के अंदर लगभग 4800 सीट्स नीट में इकोनॉमिकली बैकवर्ड छात्रों के लिए डाली गई हैं।

Whatever we have we have promised and whatever we have taken as a decision, we are implementing it in letter and spirit and the Board of Governors of the Medical Council of India are all supporting it. It is being implemented.

माननीय अध्यक्ष: श्री गणेश सिंह - बहुत संक्षिप्त में पूछिएगा। हम चाहते हैं कि अधिकतम प्रश्नों को ले लें ताकि देश भर के अंदर सभी जानकारियां सभी विभागों की सभी सदस्यों को मिल जाए। आप इससे सहमत हैं कि नहीं?

श्री गणेश सिंह (सतना): जी बिल्कुल संक्षिप्त में ही पूछूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपके कुशल नेतृत्व में नए-नए रिर्कोर्ड्स लोक सभा का यह हाऊस बना रहा है। कल देर रात 1200 बजे तक आपने हाऊस को चलाया है और वह भी खुद उपस्थित रह कर चलाया है। यह बड़ी बात है। इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई।

महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूँ कि नए चिकित्सा कॉलेजों की स्थापना के लिए केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम के तहत जो नए मैडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृतियां मिलीं थी, उसमें प्रथम चरण में मध्य प्रदेश को सात और दूसरे चरण में मेरे लोक सभा क्षेत्र सतना को स्वीकृति दी गई थी।

(1130/KN/RU)

राज्य सरकार के माध्यम से जिला प्रशासन से हमने ज़मीन उपलब्ध करा दी है। उसके टेंडर भी हुए हैं, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। जो राशि आपने राज्य सरकार को जारी

की है, क्या आप उसके बारे में पूछेंगे? जो मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हुई है, जब तक भवन का निर्माण नहीं होता है तो क्या वहाँ पर कक्षाएँ शुरू की जा सकती हैं? वहाँ पर हम बिल्डिंग उपलब्ध करा सकते हैं, 400 बेड्स का अस्पताल है, वह भी दिया जा सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ।

डॉ. हर्ष वर्धन : अध्यक्ष महोदय, बिना बिल्डिंग के क्लासेस शुरू हो सकती हैं या नहीं, यह तो मुझे लगता है कि शायद व्यावहारिक तौर पर सम्भव नहीं है। लेकिन सतना में जो मेडिकल कॉलेज प्रपोज्ड है, उसके संदर्भ में हमारे माननीय सदस्य ने कहा है, वहाँ पर भारत सरकार ने 93.43 करोड़ रुपये ऑलरेडी वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को उपलब्ध करा दिए हैं। इस संदर्भ में उनकी जो चिंता है कि वहाँ पर जल्दी से जल्दी क्लासेस शुरू की जाएं, उसकी वास्तविक ग्राउंड स्थिति क्या है, क्या यह व्यावहारिक तौर पर सम्भव है कि नहीं? इसका मैं अध्ययन करने के बाद, अगर इसकी कोई भी सम्भावना होगी, तो इसको हम पुश करने की कोशिश करेंगे।

(इति)

(प्रश्न 282)

माननीय अध्यक्ष : साक्षी महाराज जी- उपस्थित नहीं।

श्री भोला सिंह।

श्री भोला सिंह (बुलंदशहर): अध्यक्ष महोदय, आज कैंसर जैसी बीमारी की जाँच के लिए हो रहे अनुसंधान के बारे में जानकारी लेने के लिए आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, कैंसर की बीमारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अगर मैं अपने संसदीय क्षेत्र की बात करूँ तो एम्स के लिए जो सिफारिश वाले पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उनमें से 10 पेशेंट्स में से करीब सात पेशेंट्स कैंसर के होते हैं। माननीय मंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने प्रश्न के उत्तर में बहुत विस्तृत जानकारी दी है और इससे यह पता चलता है कि माननीय मंत्री जी कैंसर के मरीजों के लिए कितने चिंतित हैं और सरकार कितना रिसर्च करके उनके इलाज के लिए कार्य कर रही है। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आपके माध्यम से एक छोटा-सा प्रश्न पूछना चाहूँगा कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के घटक सीएसआईआर- राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान ने कैंसर के उपचार के दौरान शरीर की सामान्य कोशिकाओं को होने वाली क्षति की जांच करने के लिए क्या भविष्य में अनुसंधान कार्य करने की कोई योजना है?

डॉ. हर्ष वर्धन : अध्यक्ष जी, मेरे ख्याल से माननीय सदस्य को मैंने जो जवाब दिया है, इसी का जवाब दिया है। बहुत विस्तार से जवाब दिया है। मेरा यह कहना है कि खाली एक पर्टिक्युलर जगह पर नहीं, देश में बहुत सारे संस्थानों के अंदर जैसे हमारे सीएसआईआर के अंदर ही कम से कम हमारी सात लैबोरेटरीज में कैंसर के ऊपर रिसर्च हो रही है। हमारे बायो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर इसके बारे में बहुत सारी रिसर्च हो रही है। आईसीएमआर के अंदर इसके बारे में बहुत सारी रिसर्च हो रही है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के माध्यम से जो टाटा और दूसरे अस्पताल हैं, वहाँ पर इसके बारे में बहुत सारी रिसर्च हो रही है। खास कर जो बायो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, वह एक बड़े कैंसर जीनोम के इंटरनेशनल कंशोर्टियम का एक प्रमुख फाउंडेशन मैम्बर है और कोलकाता के सबसे प्रतिष्ठित कैंसर संस्थान के साथ मिलकर, हम लोग कुछ चीजों के लिए खास कर ओरल कैंसर के लिए तो सारे उस कंशोर्टियम ने भारत को ही एक तरह से लीड करके काम करने की जिम्मेदारी दी है। विशेष रूप से ओरल कैंसर के बारे में, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, इसके साथ-साथ सर्वाइकल कैंसर के बारे में बहुत एडवांस्ड रिसर्च हो रही है और रिसर्च के अंदर भी अर्ली डायग्नोसिस कैसे हो, उसके लिए कौन सी ऐसी म्यूटेशन वाली जीन्स हैं, जो कि रिस्पॉसिबल हो सकती है, क्या हम उसके लिए पॉपुलेशन का मास सर्वे करके Can we really find out early cancer symptoms? इसी तरह से कैंसर की वैक्सीन्स के डेवलपमेंट की दृष्टि से, फिर कैंसर के लिए नई-नई ट्रैक्स की डिस्कवरी की दृष्टि से लैब में और फिर कैंसर में भी जो दवाइयाँ दूसरी बीमारी में भी काम आती है, क्या उनकी जो उपयोगिता है, उसको चेंज करके, क्या उस दृष्टि से और फिर इससे भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण है कि हमारा आयुष डिपार्टमेंट बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च इस

संदर्भ में भी कर रहा है, जिसमें कि आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी, इन तीनों के माध्यम से भी बहुत गहराई से, गम्भीरता से रिसर्च हो रही है।

(1135/CS/NKL)

खासकर इस संदर्भ में मुझे यह कहना है, आईसीएमआर ने अपनी स्टडीज में सर्वाइकल कैंसर का लिकेज human papillomavirus आदि के साथ बताया है, यंग बच्चियों के अंदर जब हम वैक्सीन को एज ए प्रोफिलैक्सिस देते हैं, तो उसके कारण बहुत सारे इंसिडेंट्स आदि कम हुए हैं। हम जानते हैं कि कैंसर बहुत ही गंभीर रोग है और इसमें बहुत तकलीफ होती है। जिस परिवार में कैंसर का मरीज होता है, उसे आर्थिक कष्ट भी बहुत होता है और मानसिक कष्ट भी बहुत होता है। इसकी रिसर्च के लिए शायद जितना कुछ बेस्ट पॉसिबल संभव है, वह भारत सरकार कर रही है। साइंस एंड टेक्नालॉजी के अंदर भी दुनिया के लगभग 44 देशों के साथ हम लोगों के एक्टिव कोलैबोरेशंस हैं, उसमें जहाँ-जहाँ आवश्यकता है, वहाँ पर कैंसर या ड्रग डिसकवरी या दूसरी चीजों के अंदर जहाँ-जहाँ हम लोगों को कोलैबरेट करना है, वह भी हम लोग कोलैबरेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत में इस दिशा के अंदर पर्याप्त प्रयास हो रहे हैं। हम लोग कमिटेड हैं कि इस संदर्भ में जो भी कुछ और आगे करने की आवश्यकता है, वह हम जरूर करेंगे।

माननीय अध्यक्ष : यह बहुत ही गंभीर विषय है। संसद के अगले सत्र में निश्चित रूप से इस कैंसर के विषय पर सदन में विस्तृत चर्चा कराएंगे। यह सम्पूर्ण देश के लिए चिंता का विषय है।

अधीर रंजन जी, आप संक्षेप में प्रश्न पूछिए और माननीय मंत्री जी, आप भी संक्षेप में जवाब दे दीजिए, क्योंकि अगले सत्र में कैंसर और उसके उपायों के ऊपर विस्तृत चर्चा होगी।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, actually, I appreciate the Minister that he has given an elaborate response. However, this kind of response is inscrutable in terms of its medical jargon. We are not aware of this kind of medical jargon, let alone the common people of our country. However, you have given an elaborate answer on this issue. I must appreciate that.

Sir, the thing is that cancer in India has already assumed the proportion of an epidemic. We do not know how many people of our country have been infected by cancer. Already, 100 different types of cancer are reported. Out of that, you have just referred to five most occurring cancers in our country. India contributes to 7.8 per cent of global cancer burden and 8.33 per cent of global deaths due to cancer. बात यह है कि हमारे देश में आधे से ज्यादा कैंसर के मरीज मौत के शिकार हो जाते हैं और ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि उनको इसकी जानकारी नहीं होती है। This is due to ignorance.

मुझे यह सवाल आपसे पूछना है कि आप जो इनका रजिस्ट्रेशन आदि करते हैं, हिन्दुस्तान में कितने लोग कैंसर के मरीज होने के नाते दाखिल होते हैं और इसमें सर्वाइवल रेट क्या है?

There is an adage in English – “A stitch in time saves nine.” अगर आप कैंसर के मरीजों का डाइग्नोसिस शुरूआती दौर में कर सकते हैं, तो हम बहुत लोगों की जान बचा सकते हैं। आप इस विषय पर हमें जानकारी दीजिए।

DR. HARSH VARDHAN: I feel so surprised and sorry to know that the Leader from the Opposition Party, I think, wants me to talk about all the 100 cancers....(Interruptions)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): मैंने यह नहीं कहा है।...(व्यवधान)

DR. HARSH VARDHAN: I have just given a sense of the idea and have spoken about the three most common occurring cancers in the country. If you want, I can talk in detail about every cancer but this is, I think, not the place to talk in detail about it. The question was related to research about cancer. As far as the data is concerned, there is perfect data for every cancer patient who is reported, all over the country. The strategies are accordingly planned. You know that there is a big institution coming up in Jhajjar which was planned by our Government, and then in the last five years itself, we created that. There is a lot of international collaboration within and outside the country. I think, we are doing our best.

As I mentioned in reply to the earlier question, at all these 1.5 lakh health and wellness centres, our focus is more about ensuring that we are strengthening the preventive aspects. We are able to diagnose every disease at an early stage, and we do not allow it to become Stage-III and Stage-IV and become a big burden for the family as well as the patient.

(1140/SRG/RV)

So, the whole focus of the health policy under the Ayushman is on preventive and promotive aspects apart from providing treatment when unfortunately somebody falls ill. There also, in some of the 31 components, early diagnosis of cancer is a very, very important component. I was very happy that the hon. Speaker has proposed a discussion on cancer and I will be happy to answer anything related to cancer or about any particular cancer in this House to the hon. Members.

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सिम्पल-सा सवाल है। माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से उत्तर दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्ष वर्धन जी हैं और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भी हर्ष वर्धन जी हैं तो उनसे जानना चाहूंगा कि आज जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, जैसे गामा नाइफ आज किसी आर.सी.टी. सेन्टर पर उपलब्ध

नहीं है, टारगेट सेल डिलीवरी थेरेपी भी अभी किसी रीजनल कैंसर सेन्टर पर उपलब्ध नहीं है तो इन नई टेक्नोलॉजीज़ को आप देश के विभिन्न रीजनल कैंसर सेन्टर्स पर कब उपलब्ध कराएंगे?

डॉ. हर्ष वर्धन: महोदय, रीजनल और स्टेट कैंसर सेन्टर्स, जो कि एक बड़ा एम्बीशियस प्लान है, उसके ऊपर वर्किंग हो रही है and obviously, when a centre is exclusively dedicated to the treatment of a particular cancer, all these disruptive technologies and modern technologies and the equipment related to that are supposed to be there. They are available at many places, but ultimately, we promise that they will be available to everybody. There are a lot of new things. My people are informing. But I do not want to confuse this House with all those things. But I promise that whatever is required for the best possible treatment of cancer more particularly in a cancer centre, whether it is a regional or a State cancer centre, we will provide all possible help.

(ends)

(प्रश्न 283)

श्रीमती अपराजिता सारंगी (भुवनेश्वर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के माध्यम से मैं एक बहुत ही गुरुत्वपूर्ण विषय - आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस - का उपस्थापन करना चाहती हूँ।

सर, आज के संदर्भ में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का यू.एस.ए. में, यू.के. में, स्वीडन में, चाइना में काफी विस्तारपूर्वक उपयोग हो रहा है और इसका बड़ा प्रचार-प्रसार हो रहा है। अगर हमें पब्लिक हेल्थ सिस्टम को इफिशिएंट बनाना है तो आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को हमें हमारे देश में भी व्यापक बनाना होगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि इस दिशा में हमारे देश में क्या काम हो रहा है और ऐसा करते वक्त अगर हम इसका प्रचार-प्रसार करें और इसका उपयोग करें तो इस दिशा में किस तरह के चैलेंजेज आ रहे हैं?

सर, अगर यह दूसरे देश में हो सकता है तो यहां भी इसका उपयोग कैसे हो? We have to make our public health system very efficient and artificial intelligence is one way. इस विषय में मैं जानना चाहूंगी। धन्यवाद।

डॉ. हर्ष वर्धन: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो सवाल पूछा है, इसका मैंने विस्तार से जवाब दिया है। पब्लिक हेल्थ में क्या-क्या पोटेंशियल फील्ड्स हैं, जिन पर हम काम कर रहे हैं, they are Tele-radiology; Tele-ophthalmology; Clinical Decision Support System; Natural Language Processing for health data; disease surveillance; Tele-medicine, early detection of diseases; health data analytics, remote monitoring through wearables, particularly for elderly care/special cases; research in bio-technology; or even reducing fraud; and under Ayushman Bharat, reducing fraud and abuse in Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana ecosystem viz., fraud and abuse by empanelled hospitals, insurance agencies, third party administrators etc.; preserving privacy of personal information of PM-JAY beneficiaries; to address the gaps in Artificial Intelligence ecosystem and realize its economic impact, Government of India has prioritized building our Artificial Intelligence technology capabilities.

(1145/RV/SRG)

महोदय, कुछ चीजों के अन्दर विशेष रूप से इनीशिएटिव्स लेकर ऑलरेडी सिग्निफिकैंटली रूप से काम हो चुका है। जैसे - Imaging Bio-bank for Cancer, नीति आयोग के साथ मिलकर, we aim to a build database of cancer related radiology and pathology images of more than 20,000 profiles of cancer patients with focus on major cancers prevalent in India, as I just now mentioned, along with the associated annotations and labels from clinical data for effective use of Artificial Intelligence in cancer management. Also, NITI Aayog is working on using

Artificial Intelligence for early diagnosis of diabetic retinopathy and we are trying to integrate Artificial Intelligence capabilities with portable eye screening device using retinal imaging and APIs enables operators to get Artificial Intelligence powered insights even when they are working at eye check-up camps in remote areas. यानी रूरल एरियाज़ में भी वहां के पेशेंट्स को दूर से कनेक्ट करके आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के डेटा से रोगों की early diagnosis कर सकते हैं। We get an intermittent connectivity to the cloud to detect diabetic retinopathy in a patient which is at a far away place in a rural village. Similarly, our Department of Biotechnology, which is of my own Ministry, has issued a call for pre-proposals on use of Artificial Intelligence in the area of cancer biology, tuberculosis and pulmonary diseases..

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्या ने तो यह पूरा जवाब पढ़ लिया है।

DR. HARSH VARDHAN: But again she wanted that to be repeated here. She asked the same question which she had already asked. महोदय, इसके बारे में मुझे दो-तीन चीजों के बारे में और कहना है कि वर्ष 2018 में नीति आयोग ने इसके संदर्भ में बहुत अध्ययन किया, क्योंकि यहां पर एक साल पहले माननीय वित्त मंत्री जी ने नीति आयोग को एक निर्देश दिया था। नीति आयोग ने वर्ष 2018 में भारत में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने के लिए डायरेक्शंस दिए और उस पर काम करने के लिए भी कहा। उसमें चार-पाँच प्रायॉरिटी एरियाज़ तय किए गए। Health is one of them. Education is also one of them. Mobility is also one of them. ट्रांसपोर्ट के अन्दर, जिस तरह से सड़कों पर कनजेशंस इत्यादि चीजें होती हैं, ऐसे चार-पाँच क्षेत्रों पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। अभी हेल्थ के संदर्भ में मुझे इतना ही कहना है कि अभी डेटा बहुत सारा है और डेटा को ठीक ढंग से प्रोसेस करके एक को-ऑर्डिनेटेड और इंटिग्रेटेड वे में अगर हम उसे आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की मशीन के अन्दर नहीं फीड कर पाते हैं तो उस डेटा के कारण कभी-कभी गलती हो सकती है, जिसका नुकसान पब्लिक हेल्थ की फील्ड में हो सकता है। अभी इसके लिए काफी ज्यादा सेंसिटाइजेशन की जरूरत है। हमारे प्रधान मंत्री जी के बारे में मैं कह सकता हूँ कि as you know, he is very passionate about digital things. देश के विकास के लिए, देश के लोगों की समस्याओं के लिए, चाहे वह पब्लिक हेल्थ हो या एजुकेशन हो, सभी चीजों को मजबूत बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का बड़े पैमाने पर उपयोग करने की आवश्यकता है। इसका जो भविष्य में प्लान है या इसमें जो डिफिकल्टीज़ हैं, उन सबके बारे में मैंने बहुत विस्तार से चर्चा की है। I can assure you that in Artificial Intelligence, we are going to be one of the important nations in the times to come and we will use Artificial Intelligence in a big way to see that most of the unresolved issues of this country are helped and solved through the domain of Artificial Intelligence.

SHRIMATI APARAJITA SARANGI (BHUBANESWAR): The answer is very comprehensive and I thank hon. Minister for that. But the point is that our pace is very slow. There should be widespread awareness and we should compete with the best of the countries. US, UK and Sweden, as I mentioned, are doing great work as far as usage of Artificial Intelligence is concerned. So, I was just wondering whether we were facing many challenges. सर, इसका प्रचार-प्रसार और उपयोग जिस तरह से दूसरे देशों में हो रहा है, हमारे देश में क्यों नहीं हो रहा है, यह मेरा सीधा-सा प्रश्न है।

DR. HARSH VARDHAN: It may appear that our pace is slow, but I think we are moving ahead very systematically in a very, very, I would say, meticulous manner. We are taking care of everything which we can apprehend as troubles. As I mentioned, if you do not use the data properly, you can be misguided by the data and by that misinterpretation, you can probably land yourself into trouble and you can put the public health system of the country or any other particular system in jeopardy.

(1150/KKD/MY)

And, you can put the public health system of the country or any other particular system in jeopardy.

Maybe, we may not be using it to the extent to which USA or UK may be using, but I can tell you that our working in this field is comparable to any good nation of the whole world. In the times to come, you will find that this will be a big movement in the country.

You have asked this Question here, and I am really grateful to you because through your Question, we are spreading awareness about artificial intelligence and we are making people realise that this is one of the important domains that has to be considered. Even NITI Aayog, as you know, has come out with a national strategy. I talked about their Paper; and there is a lot more of details that are being worked out in the Government system. This is not the place where I can talk about all that, in detail. I have mentioned some of them in my answer, and if the hon. Member wants any specific information, we can provide that to her.

(ends)

(Q. 284)

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Sir, we know the importance of parameters of pathological investigations because they play a pivotal role for prescribing the medicines and providing the treatment by doctors. अब क्वेश्चन यह है कि जो पैरामीटर्स फिक्स हुए हैं, वे कहां से आए हैं? मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें आपने लिखा है कि जो ये पैरामीटर्स आए हैं, वे मेडिकल टेक्स्ट बुक और रेफरेन्स बुक से हैं। इसमें जब हम और गहराई में जाते हैं कि वे पैरामीटर्स मेडिकल टेक्स्ट बुक तथा रेफरेन्स बुक में कहां से आए हैं, तो पता लगता है कि डायग्नेस्टिक टेस्ट के जो मोस्ट ऑफ दी पैरामीटर्स आए हैं, वे अमेरिकन प्रोफेशनल एसोसिएशंस एवं प्रोफेशनल सोसाइटी से आए हैं और ये उनके ही पैरामीटर्स हैं। अब उनकी अकाउन्टबिलिटी क्या है, वह एक डिफरेंट इश्यू है, लेकिन मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा और आपने भी खुद रिप्लाई में कहा है कि ये जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, वे डिबेट कर रही हैं, कोई कह रहा है कि पैरामीटर यह होना चाहिए, कोई कह रहा है कि कुछ और होना चाहिए। आपने कहा कि अगर लैब का प्रोसिज़र अलग है, तो पैथोलॉजिकल टेस्ट के अलग-अलग पैरामीटर्स आएंगे और वे वैरी करेंगे। अगर मशीन अलग है तो मशीन से भी अलग आएंगे। इन्स्ट्रूमेंट अलग है तो इन्स्ट्रूमेंट से भी अलग आएंगे। डॉक्टर जो मेडिसिन प्रिसक्राइब करता है, वह पैथोलॉजिकल पैरामीटर्स के बेस पर करता है। जो पूरा का पूरा मेडिकल सर्विस है, वे इन पैरामीटर्स पर चलती हैं।

सर, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, जैसे विटामिन-डी की बात है। विटामिन-डी को हमारे कंट्री में माना जाता है कि विटामिन डेफिशेन्ट कंट्री है। हमारे यहां पर फार्म्स लेबर हैं, जो सफिसिएंट सनशाइन में काम करते हैं। गांव में काम करने वाले जो लोग हैं और शहर में हॉकर्स एवं लेबर्स हैं, उनमें भी विटामिन-डी की कमी की वजह बताते हैं। मैं यह भी कहूंगा कि आप डेयरीज़ को देखिए, वे फोर्टिफिकेशन के लिए विटामिन-डी डाल देते हैं। आप डॉक्टर हैं, विटामिन-डी डालने से उसका इफेक्ट यह होगा कि जिसको विटामिन-डी की जरूरत नहीं है, उसके पेट में पथरी हो जाएगी और उसको दूसरी तकलीफ होगी।

अगर हम विटामिन-डी की बात करें, जैसे यह देखें कि उसमें जो इन्स्टीट्यूट्स ऑफ मेडिसिन हैं, वे कहती हैं कि अगर एम.जी. 12 से नीचे होगी तो डेफिशेन्ट होगा। उसमें अमेरिका की एक सोसाइटी कहती है अगर 20 से नीचे होगा तो उसमें डेफिशेन्सी होगी।

माननीय अध्यक्ष: विद्वान माननीय सदस्य, मंत्री जी को जवाब देने दीजिएगा, या आप ही जवाब दीजिएगा।

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): मैं यही पूछ रहा हूं कि ये जो पैरामीटर्स हैं, जो बीमार नहीं हैं, उनको आप दवाई दे देते हैं। मेरा मंत्री जी से यह सवाल है कि यह फील्ड अनऑक्यूपाइड है और अनऑक्यूपाइड होने की वजह से कोई लेजिस्लेशन नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसमें अपनी खुद का इंडिजनस इन्स्टीट्यूट होना चाहिए, जो पैरामीटर को रिव्यू करे, चाहे डब्ल्यूएचओ के हो, चाहे अमेरिकन एसोसिएशन या सोसाइटी के हों। उन पैरामीटर्स को रिव्यू करके हमारे कन्टिनेन्ट में क्या पैरामीटर्स सेट होंगे, उन पैरामीटर को सेट डॉक्टर्स करके कम से कम एक लाइन तो पकड़े, नहीं तो

डिफरेंट लाइन में ही चले जाएंगे। कोई कहता है कि डिजीज है, कोई कहता है कि नहीं है। मेरा मंत्री जी से सवाल है कि क्या इसमें आप कोई एग्जॉस्टिव लेजिस्लेशन ला रहे हैं? क्या आप इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस एवं इसके रिसर्च के लिए पैरामीटर एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ लेजिस्लेशन ला रहे हैं? बहुत-बहुत धन्यवाद।

(1155/CP/RP)

डॉ. हर्ष वर्धन: मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि जो बेसिक पैरामीटर्स एस्टैब्लिश हुए, ये वर्षों की रिसर्च के बाद जो नेशनल और इंटरनेशनल प्रोफेशनल बॉडीज होती हैं, उनके अंदर भी जो लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काम करते हैं, उन सबके बीच में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कनसेन्सस बनता है, उसके आधार पर ये पैरामीटर्स बने हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने आर्बिट्ररिली बना दिया है। किसी को यह पसन्द आया और उसने वह बना दिया। इसके साथ-साथ कुछ चीजें उसमें देश के हिसाब से थोड़ा-बहुत वैल्यूज के अंदर अपर लिमिट या लोअर लिमिट में परिवर्तन होता है, तो उसके लिए देश के लेवल पर अध्ययन होता है।

पैथोलॉजी का टेस्ट करने के लिए कई तरीके होते हैं। एक सिम्पल प्रिमिटिव मैथड है, जो हो सकता है कि मैंने 40 साल पहले पढ़ाई में पढ़ा होगा। माडर्न टेकनिक के साथ, उसके माडर्न इक्विपमेंट्स, माडर्न मैकेनिज्म्स डेवलप हुए। उसके हिसाब से थोड़ा-बहुत पैरामीटर्स के अंदर फर्क होता है और हर चीज वेल डिफाइंड होती है। वह 12 है या 14 है, डॉक्टर उसके आधार पर ट्रीटमेंट तय नहीं करता है।

जहां तक पैरामीटर्स की बात है, इसके बारे में मुझे कहना है कि ऐज ए पेशेंट किसी को परेशान होने की जरूरत है। इसमें न तो कोई हैंकी-पैंकी है, न ही इसमें इतना बड़ा कोई कनफ्यूजन डॉक्टर के लेवल पर है कि जिसके कारण किसी पेशेंट का डायग्नोसिस गलत हो रहा है और उसे गलत इलाज मिल रहा है। आप इसके बारे में बिलकुल एश्योर हो जाइए। इसके बारे में कोई लॉ बनाने की चीज नहीं है। जैसा मैंने कहा कि अलग परिस्थिति के लिए थोड़ा-बहुत फर्क हो सकता है। देश में एक क्लीनिकल एस्टैबलिशमेंट एक्ट है, जिसको भारत सरकार ने ही बनाया है। इसे कुछ स्टेट्स फॉलो करते हैं, कुछ फॉलो नहीं करते हैं। सरकार कहती है कि इसे सबको फॉलो करना चाहिए। इसमें लगभग 200 से ज्यादा बीमारियों के बारे में ट्रीटमेंट शेड्यूल्स प्रेस्क्राइब्ड हैं। उसमें पैरामीटर्स के साथ जोड़कर आदमी और डॉक्टर के लिए उसका आइडियल ट्रीटमेंट क्या है, वह भी उसके अंदर प्रेस्क्राइब्ड है। इन पैरामीटर्स के संदर्भ में ब्रॉडली ऐज ए ले मैंन किसी को भी कोई कनफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। This is all broadly scientific. उसके अंदर जो डिफरेंस है, उसका भी कोई न कोई लॉजिकल साइंटिफिक रीजन है।

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): महोदय, आपने जो आंसर दिया है, उसमें कई फार्मास्युटिकल कंपनीज की कंप्लेंट्स के बारे में बताया है। आपने इसमें लिखा है कि ये कंप्लेंट्स उनकी एसोसिएशन के पास जाती हैं। इसमें लास्ट में लिखा है कि the Managing Director or CEO of the pharma company is ultimately responsible for ensuring the adherence of the Code. यह तो कानफ्लिक्ट ऑफ इंटर्रेस्ट होगा। जिस फार्मा कंपनी के खिलाफ होगा और वही

रेस्पॉसिबल होगी, तो इसमें मेरा मानना है, क्योंकि यह भी एक ऐसी अनऑक्यूपाइड फील्ड है। इसमें जो रेग्युलेटरी मेजर्स हैं, वे गवर्नमेंट के होने चाहिए, न कि कंप्लेंट जिस फार्मा कंपनी के खिलाफ है, अगर उसी को आप भेज देंगे, तो वह क्या डिसाइड करेगी? They cannot be judge of their cause. There must be some statutory authority and legislation in this field also.

डॉ. हर्ष वर्धन: इसके संदर्भ में मुझे यह कहना है कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल्स जो है, जो एथिक्स फार्मास्युटिकल कंपनीज को फॉलो करना है, उसे रेग्युलेट करता है। उन्होंने उस संदर्भ में पहले एक यूनिवर्सल कोड बनाकर फार्मास्युटिकल कंपनीज को दिया। शुरुआत में यह कहा गया कि वालेंटरली उस कोड को, it is like a code of ethics, तो ये उस कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करें। थोड़े समय के बाद यह देखा जाता है कि अगर फार्मास्युटिकल कंपनी उस कोड ऑफ एथिक्स को वालेंटरली ठीक से फॉलो नहीं कर रही है, तो क्या हम स्टेट्यूटरी लॉ बनाने की दिशा में बढ़ सकते हैं? इस संदर्भ में भी जो सम्बन्धित विभाग हैं, उनके अंदर विचार इत्यादि चल रहा है। यूनिवर्सल कोड को कंपनीज अभी स्वयं प्रेरणा से फॉलो करें। बहुत सारी कंपनीज उसको बहुत एथिकली फॉलो भी करती हैं। स्टेट ऑफ दि आर्ट सिस्टम्स को भी डेवलप करती हैं। इसलिए जनरल अगर हम कहें कि कोई फॉलो नहीं करता है, तो that may not be correct.

(1200/NK/RCP)

इस संदर्भ में जो शिकायतें आती हैं, वह संबंधित फार्मास्युटिकल्स से जुड़ी हुई एसोसिएशन्स होती हैं, उनके पास वह रेफर की जाती है। उनका जो सिस्टम है उसके तहत वह उन पर कार्रवाई करती है।

प्रश्न काल समाप्त

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1201बजे

माननीय अध्यक्ष : मुझे विभिन्न विषयों पर कुछ सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। यद्यपि ये मामले महत्वपूर्ण हैं तथापि इनके लिए आज की कार्यवाही में व्यवधान डालना आवश्यक नहीं है। इन मामलों को अन्य अवसर पर उठाया जा सकता है, इसलिए मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1202 बजे

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे; श्री नरेन्द्र सिंह तोमरा।

कृषि और किसान कल्याण मंत्री; ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2019-2020 के लिए कृषि और कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत): अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2019-2020 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT AND MINISTER OF TEXTILES (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Cotton Corporation of India Limited and the Ministry of Textiles for the year 2019-2020.
- (2)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Jute Board, Kolkata, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Jute Board, Kolkata, for the year 2017-2018.
- (3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.
- (4)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Silk Board, Bengaluru, for the year 2017-2018.
 - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central Silk Board, Bengaluru, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.
 - (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Silk Board, Bengaluru, for the year 2017-2018.
- (5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.
- (6) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-
 - (1) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Women and Child Development for the year 2019-2020.
 - (2) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Textiles for the year 2019-2020.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Earth Sciences for the year 2019-2020.
- (2) A copy of the Technology Development Board (Terms and Conditions of service of the Secretary and Employees) Amendment Regulations, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. F. No. TDB/64/2017/RR/Admin. in Gazette of India dated 18th July, 2018 under Section 23 of the Technology Development Board Act, 1995.
- (3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

THE MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Information and Broadcasting for the year 2019-2020.
- (2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-
 - (i) Review by the Government of the working of the Broadcast Engineering Consultants India Limited, Noida, for the year 2017-2018.
 - (ii) Annual Report of the Broadcast Engineering Consultants India Limited, Noida, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the North Eastern Institute of Ayurveda and Homoeopathy, Shillong, for the years 2012-2013 to 2015-2016, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the North East Centre for Technology Application and Reach, Shillong, for the years 2012-2013 to 2015-2016.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.
- (3) A copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of AYUSH for the year 2019-2020.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI R.K. SINGH): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Power for the year 2019-2020.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) पहला संशोधन विनियम, 2019 जो 31 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 02-01/ईएनएफ-1(1)/एफएसएसएआई-2012 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विषाक्त तत्व और अवशिष्ट) तीसरा संशोधन विनियम, 2018 जो 24 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ .सं. 1-एसपी(पीएआर)-अधिसूचना -कीटनाशक/मानक-एफएसएसएआई-2017 में प्रकाशित हुए थे।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (SHRI BABUL SUPRIYO): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Biodiversity Authority, Chennai, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Biodiversity Authority, Chennai, for the year 2017-2018.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.
- (3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-
 - (i) Review by the Government of the working of the Andaman and Nicobar Islands Forest and Plantation Development Corporation Limited, Port Blair, for the year 2017-2018.
 - (ii) Annual Report of the Andaman and Nicobar Islands Forest and Plantation Development Corporation Limited, Port Blair, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.
- (5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986:-
 - (1) G.S.R.397(E) published in Gazette of India dated 31st May, 2019 regarding Sale and Use of Petcoke in Lime Kilns.
 - (2) S.O.1651(E) published in Gazette of India dated 25th April, 2019 regarding amendment of the Environmental Pollution (Prevention and Control) Authority.
 - (3) S.O.6314(E) published in Gazette of India dated 26th December, 2019 regarding Taj Trapezium Zone Pollution (prevention and Control) Authority at Agra.

(6) A copy of the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Amendment Rules, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.178(E) in Gazette of India dated 5th March, 2019 under Section 26 of the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) A copy of the Notification No. G.S.R.419(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 13th June, 2019 making certain amendments in the Notification No. G.S.R.606(E) dated 16th June, 2016 under Section 7A of the Public Liability Insurance Act, 1991.

(8) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986:-

- (1) G.S.R.37(E) published in Gazette of India dated 18th January, 2019, regarding coastal and Island Regulations are mandate of this Ministry with a view to conserve and protect the unique environment of coastal stretches and marine areas, besides livelihood security to the fisher communities and other local communities in the coastal areas and to promote sustainable development based on scientific principles taking into account the dangers of natural hazards, sea level rise due to global warming.
- (2) S.O.1242(E) published in Gazette of India dated 8th March, 2019, regarding coastal and Island Regulations are mandate of this Ministry with a view to conserve and protect the unique environment of coastal stretches and marine areas, besides livelihood security to the fisher communities and other local communities in the coastal areas and to promote sustainable development based on scientific principles taking into account the dangers of natural hazards, sea level rise due to global warming.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ANURAG SINGH THAKUR): Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

- (1) Detailed Demands for Grants of the Parliament, Secretariats of the President and Vice-President for the year 2019-2020.
- (2) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Finance for the year 2019-2020.

**STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF
RECOMMENDATIONS IN 323RD AND 317TH REPORTS
OF STANDING COMMITTEE ON SCIENCE AND
TECHNOLOGY, ENVIRONMENT AND FORESTS – LAID**

1203 hours

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN): I beg to lay the following statements regarding: -

(1) the status of implementation of the recommendations contained in the 323rd Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on Action taken by the Government on the recommendations/observations contained in 315th Report of the Committee on the Demands for Grants (2018-19) pertaining to the Ministry of Earth Sciences.

(2) the status of implementation of the recommendations contained in the 317th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in 309th Report of the Committee on the Demands for Grants (2018-19) pertaining to the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology.

BUSINESS OF THE HOUSE

1204 hours

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL):
Hon. Speaker, Sir, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 15th of July, 2019 will consist of :-

1. Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper: - *[it contains (i) Further discussion and voting on Demands for Grants under the control of the Ministry of Railways for 2019-20; (ii) Consideration and passing of the Central Universities (Amendment) Bill, 2019; and (iii) Discussion and voting on Demands for Grants under the control of the Ministry of Road Transport and Highways for 2019-20.]*
2. Discussion & Voting on Demands for Grants of the following Ministries for 2019-20:-
 - (i) Rural Development and Agriculture and Farmers' Welfare
 - (ii) Youth Affairs and Sports
3. Guillotining of outstanding Demands for Grants in respect of Union Budget for 2019-20.
4. Introduction, consideration and passing of the Appropriation (No.2) Bill relating to the Demands for Grants for 2019-20.
5. Consideration and passing of the Finance (No.2) Bill, 2019.
6. Consideration of passing of the following Bills:-
 - (i) The DNA Technology (Use and Application) Regulation Bill, 2019.
 - (ii) The Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2019.
 - (iii) The National Investigation Agency (Amendment) Bill, 2019
 - (iv) The Protection of Human Rights (Amendment) Bill, 2019
 - (v) The Consumer Protection Bill, 2019
 - (vi) The Jallianwala Bagh National Memorial (Amendment) Bill, 2019.

(1205/SK/SMN)

श्री अर्जुन लाल मीना (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय शामिल किए जाएं:

1. राजस्थान राज्य में अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आए मीणा और मीना दोनों को ही एक समान माना जाए।
2. मानगढ़ धाम जो कि राजस्थान बांसवाड़ा जिला गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। मेरी आपके माध्यम से केंद्र सरकार से मांग है कि मानगढ़ धाम को जनजातीय राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें।

श्री महाबली सिंह (काराकाट): माननीय अध्यक्ष जी, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए:

1. बिहार के औरंगाबाद बिहटा रेलवे का निर्माण कार्य केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। यह कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। इस महत्वपूर्ण योजना को जनहित में यथाशीघ्र कराया जाए।

SHRI THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): I request you that the following matter may be included in the next week's List of Business:

1. In 1965, the Lokur Committee appointed by the Central Government had recommended that the Narikuravar alias Kuruvikkarar community be given ST status. I urge upon the Union Government to bring the constitution (Scheduled Castes & Scheduled Tribes) orders (Amendment) Bill 2019 to extend the Scheduled Tribes status to Narikuravars.

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): माननीय अध्यक्ष जी, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए जाएं:

1. नागौर जिले में सैनिक परिवारों की संख्या को देखते हुए सैनिक स्कूल खोलने पर विचार किया जाए।
2. नागौर जिले के विस्तृत भू-भाग तथा जनसंख्या को देखते हुए अतिरिक्त केन्द्रीय विद्यालय खोलने पर विचार किया जाए।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाए:

1. मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल में महाराजगंज एवं चैनवा रेलवे स्टेशन के साथ खाली पड़ी जमीन/भूमि पर रैक प्वाइंट बनाने पर विचार किया जाए।

2. मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सारण छपरा जिला, बिहार के जलालपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एवं एनआईईएलआईटी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान खुलवाने पर विचार किया जाए।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): माननीय अध्यक्ष जी, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय शामिल किए जाएं:

1. मेरे संसदीय क्षेत्र नालंदा में केन्द्रीय विद्यालय, राजगीर के इंटर की कक्षा में अभी कामर्स एवं विज्ञान विषय की पढ़ाई हो रही है। परंतु इंटर में आर्ट्स की पढ़ाई नहीं होती है। मेरी माननीय मानव संसाधन मंत्री जी से मांग है कि केन्द्रीय विद्यालय राजगीर में शिक्षा सत्र, 2019-20 से ही आर्ट्स की पढ़ाई इंटर की कक्षा में प्रारंभ की जाए।
2. बिहार में बीपीएल के नए मापदंड के कारण मात्र 60 लाख परिवारों को ही सूची में शामिल किया गया है, जबकि 1 करोड़ 33 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिन्हें बीपीएल श्रेणी में शामिल करने की आवश्यकता है।

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): माननीय अध्यक्ष जी, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित करने हेतु प्रस्तुत करता हूं:

1. राजस्थान के सीकर, झुंझुनू जिलों के किसानों को सरकारी एजेंसी द्वारा नकली डीएपी बेचने के संबंध में चर्चा कराई जाए।
2. सीकर झुंझुनू जिलों सहित राजस्थान में पेयजल की गंभीर समस्या पर चर्चा कराने के संबंध में।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): I request you that the following two matters may be included in the next week's List of Business:

1. Fatal pedestrian accidents on NH4 stretch from Bavdhan to Ravet of Maharashtra. I request the Government to take cognizance of urgency and construct foot overbridges, underpasses to ensure pedestrian's safety.
2. There is high unemployment and lack of jobs in the country. There is also lack of sufficient work under MGNREGA in drought hit regions of Maharashtra. I urge the Centre to release sufficient funds for drought.

(1210/MMN/MK)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, I request you that the following two matters may be included in the next week's List of Business: -

1. The proposed Kendriya Vidyalaya Kottarakkara, Kollam district, Kerala should be commenced from this academic year.

2. Pathanapuram is one of the Taluks of my Parliamentary constituency in Kerala. Pathanapuram Taluk is the most backward and thickly forested area. There is a proposal to set up an FM Radio Station there, and I urge the Government to take action in this regard.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I request you that the following two matters may be included in the next week's List of Business: -

1. Denial of admission to the wards of insured persons in ESI medical colleges due to the verdict of Madras High Court.
2. Revival package for cashew industry giving relief to lakhs of poor cashew workers.

ELECTIONS TO COMMITTEES

(i) Central Supervisory Board

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN): Sir, I beg to move the following:-

“That in pursuance of clause (f) of sub-section (2) of Section 7 read with clause (a) of sub-section (1) of Section 8 of the Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two women members from amongst themselves to serve as members of the Central Supervisory Board subject to the provisions of Section 15 of the said Act and the rules made thereunder.”

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (क) के साथ पठित धारा 7 की उप-धारा (2) के खंड (च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों और उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्याधीन सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो महिला सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**(ii) Post-Graduate Institute of Medical Education and Research (PGIMER),
Chandigarh**

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN): Sir, I beg to move the following:-

“That in pursuance of Section 5(g) read with sub-section (1) of Section 6 of the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh Act, 1966, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Institute Body of Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh subject to the other provisions of the said Act and the rules made thereunder.”

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ अधिनियम, 1966 की धारा 6 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 5 (छ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्याधीन स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के संस्थान निकाय के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(iii) Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research (JIPMER), Puducherry

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN): Sir, I beg to move the following:-

“That in pursuance of Section 5(k) read with sub-section (1) of Section 6 of the Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Puducherry Act, 2008, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Institute Body of Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Puducherry, subject to the other provisions of the said Act and the rules made thereunder.”

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी अधिनियम, 2008 की धारा 6 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 5 (ट) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्याधीन जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी के संस्थान निकाय के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(iv) National Tiger Conservation Authority

THE MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE AND
MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRAKASH
JAVADEKAR): Sir, I beg to move the following:-

“That in pursuance of clause (c) of sub-section 2 of Section 38(L) of the Wild Life (Protection) Act, 1972, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the National Tiger Conservation Authority, subject to the other provisions of the said Act.”

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 (ठ) की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यक्षीन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(1215/YSH/VR)

कार्य मंत्रणा समिति तीसरे प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्ताव

श्री अर्जुन राम मेघवाल: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि यह सभा 11 जुलाई, 2019 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति से तीसरे प्रतिवेदन से सहमत है। ”

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि यह सभा 11 जुलाई, 2019 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति से तीसरे प्रतिवेदन से सहमत है। ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

***श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी):**

*Laid on the Table.

***श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल (भिवंडी):** माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आपने मुझे रेल बजट पर अपने विचार रखने के लिए समय दिया।

मैं सर्वप्रथम माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे लोकप्रिय प्रिय प्रधान मंत्री जी के साथ और सबका विकास और विश्वास के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए विकसित रेल सेवाएं जनता को समर्पित की हैं।

विकास का मार्ग रेल द्वारा ही सबके पास पहुंच सकता है, वर्ष 2014 से पहले जितने रेल मंत्री रहे हैं, उन्होंने 20,25 वर्षों में एक के बाद एक नई रेल परियोजनाएं शुरू किए जाने की उद्घोषणाएं कीं जिनमें से अधिकांश अभी तक सिर्फ कागजों तक ही सीमित रही हैं। इन वर्षों में मेरे कई साथियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में रेल परियोजनाएं आदि शुरू किए जाने की मांग उन सरकारों से की परंतु वे मांगें मंजूर नहीं हो सकीं। ऐसी कई परियोजनाएं धरातल पर नहीं आ सकी हैं।

माननीय रेल मंत्री जी ने सभी वर्ग के यात्रियों की सुविधा, उनके सामान की सुरक्षा, यात्रा की गुणवत्ता, रेल की स्वच्छता, खान-पान की क्वालिटी में सुधार, रेल के समय पर परिचालन, उनकी मौजूदा स्पीड को बढ़ाने की दिशा में जिन कदमों को उठाए जाने का उल्लेख इस बजट में किया है, वह असाधारण है। गरीब यात्रियों के लिए पहली बार अनारक्षित ट्रेन चलाया जाना एक अच्छा कदम है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि रेल बजट रेल को आधुनिक, स्वावलंबी, सक्षम, प्रत्येक यात्री की सुविधानुसार बनाए जाने की दिशा में परिपक्व है।

रेल बजट में 65,837 करोड़ यात्री सुविधा पर ध्यान देकर यह आबंटन हुआ है। वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में नई लाइनों के निर्माण के लिए 7255 करोड़ रुपये की धनराशि, गेज परिवर्तन के लिए 2200 करोड़ रुपये, रोलिंग स्टाफ के लिए 6,114.82 करोड़ रुपये देकर सरकार ने 130 करोड़ भारतीयों को (अमीर या गरीब) उद्यमियों, उद्योग, नए काम और अवसरों को बढ़ावा देने वाला यह बजट है।

महोदय मेरा संसदीय क्षेत्र भिवंडी महाराष्ट्र है। मेरे क्षेत्र को भारतीय रेल से बहुत उम्मीदें हैं। मैं उनका जिक्र करूंगा। मेरे क्षेत्र भिवंडी सहित सम्पूर्ण महाराष्ट्र में रेलवे नेटवर्क को बढ़ावा देने की जरूरत है।

मेरे क्षेत्र में मुरवाइड तहसील है, इस क्षेत्र को नए रेल मार्ग से शीघ्र जोड़ा जाए। पिछले बजट में यह पास हो चुका है। टिटवाल-मुरवाइड मंजूर रेल लाइन का फाइनल लोकेशन, सर्वे तथा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जल्द बनाकर इस नए मार्ग के निर्माण का कार्य शुरू किया जाए। टिटवाला-खड़बली स्थानकों के दरमियान गुरबली स्थानक का निर्माण किया जाए। डहानु-करसा-कर्जन और डहानु-दिवा-पनवेल से नई लोकल ट्रेनों की शुरुआत शीघ्र की जाए। पनवेल-दिवा-भिवंडी रोड-बसई रोड, रूट पर रेल सेवा को बढ़ाया जाए। वाग्णी-बदलापुर के दरमियान चामटोली स्थानक का निर्माण शुरू किया जाए। दिवा से बसई रूट पर आने वाले पिंपलास स्थानक निर्माण हेतु मान्य दी जाए। मध्य

रेल के आढ आंव और तामशेत इन स्थानकों के बीच आरयूबी 98/2 को यथाशीघ्र चौड़ा किया जाए ताकि सम्पूर्ण महाराष्ट्र में रेल गति को यथा समय में पूरा किया जाए।

देश के विकास के लिए बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है। हमारे देश के सभी नागरिक इस बुलेट ट्रेन की राह देख रहे हैं। बुलेट ट्रेन के प्रकल्प में सभी मार्गों पर सर्विस रोड बनाना आवश्यक है। जहां नदी, खाड़ी पर ब्रिज बनाने वाले हैं, वहां दोनों तरफ एक्सीडेंट होते रहते हैं। अगर इन जगहों पर सर्विस रोड बनाई जाए तो यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

रेल बजट की विशेषताओं में रेल पर्यटन बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र के तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों को बढ़ावा दिया गया है। इसके लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और रेल बजट की अनुदान मांगों का पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

(इति)

*श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा (बारदौली)

*Laid on the Table.

*श्रीमती शारदाबेन अनिलभाई पटेल (महेसाणा):

*Laid on the Table.

*श्री राहुल कस्वां (चुरु):

*Laid on the Table.

*श्री देवजी एम. पटेल (जालौर):

*Laid on the Table.

*श्री विष्णु दयाल राम (पलामू):

*Laid on the Table.

*श्री राजू बिष्ट (दार्जिलिंग):

*Laid on the Table.

*श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू):

*Laid on the Table.

*श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद):

*Laid on the Table.

*DR. SUBHAS SARKAR (BANKURA): Thank you very much to have scope to narrate Demands for Grants in Railway Budget.

I also would like to thank Smt. Nirmala Sitharaman, Minister of Finance & Shri Piyush Goyal, Minister of Railway for such a citizen friendly visionary Budget.

But any opposition leader and Member have not uttered a single sentence that this Budget has not given any burden on passenger fare.

I would like to place the following demands for Jangal Mahal area of West Bengal:

1. Chhatna – Mukutmanipur Railpath – 48 km
Year of sanction 2005-2006
2. Purulia – Jhargram – Railpath
3. Bishnupur – Tarakeswar
4. Bowaichandi – Khana Jn.
5. Escalator at Bankura Jn.

(ends)

*श्री कृष्ण पाल सिंह उर्फ डॉ. के.पी. यादव (गुना):

*Laid on the Table.

***प्रो. एस. पी. सिंह बघेल (आगरा):** महोदय, मैं रेल बजट पर डिमांड फार ग्रांट के पक्ष में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यदि बोलने का टाइम न हो तो मेरा लिखित वक्तव्य मान लिया जाए।

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी एवं रेल मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी को इस लोक कल्याणकारी बजट के लिए धन्यवाद देता हूँ।

मेरी मांग है कि-

1. आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के सर्कूलेटिंग एरिया का विस्तार किया जाए तथा द्वितीय प्रवेश व निकास द्वारा सराय ख्वाजा की तरफ शुरू किया जाए।
2. आगरा में रेलवे के बहुयामी (मल्टीडिस्प्लनरी ट्रेनिंग सेंटर) गधापाडा, बेलनगंज में विभिन्न तकनीकी प्रशिक्षण एवं कोर्सेस जैसे सिग्नल, टेलिकम्यूनिकेशन, गैंगमैन, ट्रॉलीमैन, प्वाइंटमैन आदि के प्रशिक्षण कोर्स प्रारंभ हो सके।
3. आगरा शाहगज, अर्जुन नगर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए।
4. राजामंडी रेलवे स्टेशन पर चामुण्डा देवी के साईड पुल की तरफ टिनशैड लगाया जाए।
5. आगरा सिटी स्टेशन का सौन्दर्यीकरण एवं आरक्षण केंद्र निर्माण कराया जाए।
6. फिरोजाबाद एवं टूण्डला रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित सीढ़ी (एक्सलेटर) लगाए जाएं, जिससे बुजुर्ग यात्रियों को राहत मिल सके।
7. टूण्डला रेलवे स्टेशन के लिए बनाई गई सौन्दर्यीकरण की योजना हेतु रेलवे बोर्ड में लम्बे समय से पड़े बजट को जारी किया जाए।
8. गाड़ी सं. 04191/04192 एटा-आगरा फोर्ट पैसेंजर स्पेशल को, जिसको नवम्बर 2017 से बंद कर दिया गया है, उसे पुनः संचालित किया जाए।
9. बरहन रेलवे जंक्शन पर पेयजल हेतु समर्सीबल पम्प बोरिंग कर लगाया जाए। इसके अतिरिक्त यात्री एवं वेटिंग रूम की व्यवस्था की जाए।
10. बरहन जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पुरी तथा संगम एक्सप्रेस का ठहराव किया जाए।
11. विभिन्न गाड़ियों का ठहराव
 - निजामुद्दीन से मुम्बई तक चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस (गाड़ी सं. 222222/222221) का ठहराव आगरा कैंट स्टेशन पर प्रतिदिन किया जाए।
 - इलाहाबाद से नई दिल्ली तक चलने वाली प्रयागराज एक्सप्रेस (गाड़ी सं. 12417/12418) का ठहराव टूण्डला जंक्शन पर किया जाए।
 - मूरी एक्सप्रेस (गाड़ी सं. 8101/8102) एवं (गाड़ी सं. 4114/4164) संगम एक्सप्रेस का ठहराव बरहन जंक्शन पर किया जाए।
 - वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव टूण्डला जंक्शन पर किया जाए।
 - लखनऊ से नई दिल्ली गोमती एक्सप्रेस (गाड़ी सं. 12419/12420) ट्रेन का ठहराव जलेसर रोड स्टेशन पर किया जाए।

(ends)

* Laid on the Table

*DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE (DHULE):

*Laid on the Table.

*SHRIMATI SUMALATHA AMBAREESH (MANDYA):

*Laid on the Table

*DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): I would like to first of all congratulate the Hon'ble Minister of Railways for changing the face and pace of Indian Railways under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modiji.

After getting elected as an M.P. of Nandurbar, the major projects undertaken taken by me are of Railways.

Hon'ble Speaker Sir, I represent a tribal area and the work of Railways was a game changer for us.

When for the first time the Railway Budget was implemented in Modi 1.0 Government, the most important doubling work and electrification work of the Surat Bhusaval Line which was pending for ages, got funds of Rs. 550 crores. I am happy to share that today this work is completed and functioning. The inauguration of this double line was done by the Prime Minister Modiji.

Today, I also wish to share that the long standing demand of Nandurbar was starting of train from Nandurbar to Mumbai. This was also fulfilled by the Government during its last tenure and Khandesh Express was started. This train runs thrice a week. I request the Hon'ble Railway Minister to make this train daily as there is demand from my constituents. The train runs in full strength and it is also difficult to get tickets. This itself shows that this train is like a 'life line' for Nandurbar.

Also there is a demand for starting of a new train to Pune from Nandurbar. There are thousands of students from Nandurbar constituency who live and study in Pune. So, if a 'NEW TRAIN' is started, it will facilitate the people of Nandurbar constituency who want to travel to Pune as Pune is an educational hub.

I also would like to request the Hon'ble Railway Minister if the demand of the stoppages of Railways of my constituency is fulfilled, it will benefit passengers of my constituency.

At Nandurbar Railway Station, if an elevator is made available, it will benefit the senior citizens and handicapped persons.

I congratulate the Minister and Government for bringing in new modernised technologies in Railways.

(ends)

*Laid on the Table.

*श्री सुदर्शन भगत (लोहरदगा):

*Laid on the Table.

*श्री राजेन्द्र धेड्या गावित (पालघर):

*Laid on the Table.

*श्रीमती केसरी देवी पटेल (फूलपुर):

*Laid on the Table.

*श्री मुकेश राजपूत (फर्रुखाबाद):

*Laid on the Table.

*श्रीमती गीताबेन वजेसिंहभाई राठवा (छोटा उदयपुर):

*Laid on the Table.

सामान्य बजट-अनुदानों की मांगे रेल मंत्रालय---जारी

1216 बजे

रेल मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल): अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। कल आपने जिस प्रकार से लगभग 12 घंटे तक पूरे सदन में सभी मैम्बर्स को अपनी-अपनी बात रखने का मौका दिया। वास्तव में पूरे संसद के लिए यह गर्व की बात है कि आपने सभी सदस्यों को बड़े विस्तार से रेलवे के डिमाण्ड्स फॉर ग्रांट्स पर चर्चा करने का मौका दिया। आपने अपने आप में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। मैं आपका और सभी मैम्बर्स का धन्यवाद करना चाहूंगा साथ ही हमारे कर्मठ कर्मचारी, जो इसके पहले भी और रात को 12 बजे के बाद भी अपना रूटीन काम करने के लिए बैठे होंगे, जिन्होंने इतना को-ऑपरेट करके इस सदन को चलाने में मदद की। मैंने कई मीडिया के मित्रों को भी देखा जो रात तक बैठे थे, जब हम निकले तो बाहर भी हमें मिले। मैं सभी का धन्यवाद शुरू में करना चाहूंगा। आज बहुत ही सुखद अवसर है, हम सभी के लिए खुशी की बात है कि आषाढी एकादशी के दिन हम इस चर्चा को आगे लेकर जा रहे हैं। यह एकादशी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और सभी जगहों पर हर्ष और उल्लास से मनाई जाती है।

मैं महाराष्ट्र से आता हूँ वहाँ वर्कर्स लाखों की संख्या में आज के दिन भगवान विठ्ठल के दर्शन करने, उनके आर्शीवाद लेने पंढरपुर जाते हैं। मैं उनके आर्शीवाद से अपनी बात रखना चाहूंगा। वास्तव में विठ्ठल भगवान ने पूरे वैश्विक भाईचारे के लिए, शांति के लिए, समरसता के लिए जो सीख हम सबको दी थी कि बिना भेदभाव के देश चले, बिना भेदभाव के हर एक व्यक्ति अपना काम करे, मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पिछले पांच वर्ष बिना भेदभाव के पूर्ण विकास का काम किया है, समाज के हर वर्ग की चिंता की है। हर वर्ग को साथ लेकर चले हैं। विकास प्रगति के मार्ग पर तेज गति से चले और वैसे ही रेलवे ने गत पांच वर्षों में तेज गति ली है, देश को प्रगति देने का एक बड़ा योगदान दिया। इसकी मैं कुछ झलक दिखाने का प्रयत्न करूंगा। इस डिबेट पर मेरे से पूर्व लगभग 99 वक्ता बोले हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं 100वें स्पीकर के रूप में बोल रहा हूँ...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): मंत्री जी को मिलाएंगे तो सेंचुरी हो ही जाएगी। सुरेश अंगड़ी साहब बोले हैं, तो अब 100 हो गए...(व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल: मैं समझता हूँ कि मेरे से पूर्व सदानंद गौडा जी और माननीय सुरेश प्रभु जी ने रेलवे के सभी कार्यों में गति दी थी। जिस प्रकार से उन्होंने रेलवे का एक बड़ा विजन बनाया, उसको आगे लेकर जाने के लिए मुझे जिम्मेदारी मिली। सुरेश अंगड़ी जी, कल 12 घंटे बिना ब्रेक लिए सबकी बातें यहां बैठकर सुनीं। सभी के मार्गदर्शन से सभी के प्रभावी कदमों से आज रेलवे बहुत उज्ज्वल भविष्य की तरफ तेज गति से बढ़ रहा है।

(1220/RPS/SAN)

कल एक और याद रखने वाला दिन था – 11 जुलाई। जब मुंबई, जिस शहर से मैं आता हूँ, जहाँ मैं जन्मा हूँ, पला-बढ़ा हूँ, बड़ा हुआ हूँ, मैं कल के दिन 11 जुलाई, 2006 को ट्रेन्स में लगभग सात बम ब्लास्ट हुए थे, जिनमें करीब 209 लोगों की मृत्यु हुई, उन्होंने वीरगति प्राप्त की और 700 से अधिक लोग घायल हुए। यह अलग बात है कि वह वर्ष 2006 था, उस समय इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया गया, कोई कदम नहीं उठाए गए। ... (व्यवधान) अगर मोदी जी की सरकार होती तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से मुंहतोड़ जवाब दिया जाता। ... (व्यवधान)

आप सब याद कर सकते हैं कि अगर इस प्रकार की घटना मोदी जी के सरकार में होती तो किस प्रकार से मुंहतोड़ जवाब देकर हम उन आतंकवादियों को उनके घर-ठिकाने में बैठाते। ... (व्यवधान)

सर, यह बहुत अच्छी बात है कि कल रेलवे की अलग-अलग उपलब्धियों की बहुत सारी बातें हुईं। रेलवे के बारे में बहुत सारे अच्छे सुझाव आए। बहुत सारे मॅबर्स ने डिटेल में रेलवे के बजट को स्टडी किया और रेलवे के बजट में से बहुत सारे नए-नए पहलू हमारे समक्ष रखे। बहुत सारे सुझाव भी आए। माननीय अध्यक्ष जी पूरे समय अपने हंसमुख चेहरे से हम सबको प्रोत्साहित भी करते रहे, किसी को रोका-टोका भी नहीं। इन सब चर्चाओं से मैं समझता हूँ कि जब चारों दिशाओं से नए-नए सुझाव आते हैं, नए-नए विचार आते हैं तो हमें भी प्रोत्साहन मिलता है कि कैसे हम और अच्छे तरीके से रेलवे का काम आगे बढ़ा सकते हैं। वास्तव में, अगर हम भारत के इतिहास को देखें तो आज़ादी की लड़ाई के समय से ही भारतीय रेल ने एक बहुत प्रमुख स्थान रखा है। हम इस वर्ष महात्मा गांधी जी की 150वीं जयन्ती मनाने जा रहे हैं। अगर उस समय साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी जी को ट्रेन से बाहर नहीं निकाला गया होता तो शायद इतिहास कोई अलग ही मोड़ ले सकता था। इसलिए मैं आज इस अवसर पर जरूर महात्मा गांधी जी को भी अपनी श्रद्धांजलि देना चाहूंगा, याद करना चाहूंगा। ... (व्यवधान)

महोदय, मेरे ख्याल से रेलवे एक ऐसी ऑर्गनाइजेशन है, जो 24 घण्टे काम करती है और 365 दिन तत्पर रहती है। जो 13 लाख कर्मचारी दिन-रात रेलवे की सेवा करते हैं, मैं उनके कर्मठ प्रयासों के लिए, आज इस अवसर पर उनको जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा। गत पांच वर्षों में जिस प्रकार से उन्होंने हमारी जिस प्रकार से सहायता की है कि हम बहुत सारे कामों में गति लाएं, तेज गति से काम करें, वह करना संभव नहीं होता, जब तक इन सब लोगों ने अपना-अपना योगदान नहीं दिया होता। लगभग सभी मॅबर्स से मेरा मिलना-जुलना होता है, सब नए मॅबर्स अभी तक नहीं मिले होंगे। लेकिन सभी मॅबर्स की फीडबैक लेना, मॅबर्स के कामों की चिन्ता करना और मुझे विश्वास है कि ऐसा कोई मॅबर नहीं होगा, जिसका कोई न कोई काम किसी न किसी तरीके से पिछले पांच वर्षों में करने की हमने कोशिश न की हो, परन्तु यह भी सच्चाई है कि जिस प्रकार की व्यवस्था वर्ष 2014 में हमें मिली थी, वह बहुत जर्जर थी। मैं एक ही आंकड़ा शुरू में रखना चाहूंगा, जिससे सभी मॅबर्स को एक प्रकार से अनुभव होगा कि क्या बदलाव गत पांच वर्षों में आया है। कल काफी बातें हुई हैं स्टॉपेज की, नई रेल लाइन्स की, मैंने बीच में उठकर थोड़ा इंटरवीन भी किया था कि यह वास्तविकता भी है

कि रेलवे ओवरबर्डन्ड भी है, ट्रैफिक ज्यादा है। मैं उसकी थोड़ी डिटेल्स आपके समक्ष रखना चाहूंगा। वर्ष 1950 में पूरे देश में 77,609 ट्रैक किलोमीटर्स थे।

(1225/RAJ/RBN)

वर्ष 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई, प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा, एनडीए की सरकार ने काम संभाला, तब वर्ष 1950 से बढ़ कर वर्ष 2014 में ये ट्रैक किलोमीटर बढ़ कर 89,919 हुआ था, मात्र 12,000 किलोमीटर बढ़ा था। यानी 64 सालों में ट्रैक किलोमीटर 77,609 किलोमीटर से बढ़ कर 89,919 किलो मीटर हुआ, लगभग 12,000 किलोमीटर बढ़ा, इतनी मेरी आयु भी नहीं है। केवल पांच वर्षों में यह ट्रैक किलोमीटर बढ़ कर वर्ष 2019 में 1,23,236 किलोमीटर हुआ... (व्यवधान) 33,000 किलोमीटर ट्रैक, इस सरकार के आने के बाद अलग-अलग प्रकार से बढ़ा... (व्यवधान)

माननीय सदस्य को चिंता है कि इतना काम नहीं हुआ तो मैं इतना बता दू कि जिस तेज गति से हम ने अलग-अलग काम, चाहे वह गेज कन्वर्जन हो - नैरो गेज से ब्रॉड गेज, डबलिंग, ट्रिपलिंग, क्वार्टरप्लिंग हो या नई लाइन्स कमीशन करनी हो, इन सभी चीजों में हम ने लगभग 59 प्रतिशत इन्क्रीज किया। In commissioning of new lines, doubling, tripling and quadrupling between 2009 and 2014 की तुलना में, वर्ष 2014 से 2019 के बीच और कोई उदाहरण ले लें। कल जैसे अधीर रंजन जी ने एक विचित्र बात कही कि विद्युतीकरण में यूपीए के समय में 3000 किलोमीटर का काम होता था, हमारे समय में सिर्फ 3300 किलोमीटर का काम हुआ। मैं बड़ी हैरानी में था क्योंकि मुझे जानकारी थी कि केवल पिछले साल हम ने 4000 किलोमीटर से ज्यादा काम किया। मैंने जब डिटेल देखी तो इलेक्ट्रिफिकेशन वर्ष 2009 से 2014 के बीच, मैं पांच वर्षों का आंकड़ा बता रहा हूँ, पूरे पांच वर्षों में भारतीय रेल का विद्युतीकरण 3,038 किलोमीटर हुआ, लगभग 600 किलोमीटर हर साल। हम ने क्या किया कि सिर्फ पांच वर्षों में 13,687 यानी साढ़े चार गुना विद्युतीकरण, हमने इनके बनिस्पत पांच वर्षों में करके दिखाया... (व्यवधान) अगर आपको और अच्छा देखना हो... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2013-14 में एक वर्ष में लगभग 650 किलोमीटर लाइन का विद्युतीकरण हुआ है। पिछले केवल एक ही वर्ष में, हमने 4,087 किलोमीटर का काम किया... (व्यवधान) अब वर्ष 2018-19 खत्म हुआ है... (व्यवधान) वर्ष 2017-18 में 4087 किलोमीटर का काम हुआ है और वर्ष 2018-19 में 5200 किलोमीटर का काम कर दिया।

मेरे ख्याल से सच्चाई बड़ी कड़वी लगती है, बड़ा मुश्किल होता है। कई बार क्या होता है कि हारने वालों और जीतने वालों में बस एक फर्क रहता है। हारने वाले मुश्किलों को देखते हैं और जीतने वाले मंजिलों की तरफ जाते हैं। मैं समझता हूँ कि हम सभी माननीय सांसद भली-भाँति जानते हैं कि रेलवे एक अतिआवश्यक सुविधा है। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में बढ़े, हमारे गांवों तक पहुंचे। रेलवे ज्यादा इकोनॉमिकल भी है और सस्ती भी पड़ती है।

(1230/IND/SM)

यह सच्चाई हमारे सामने आनी चाहिए और हमें समझना भी चाहिए कि क्यों रेल मंत्री नया स्टापेज नहीं दे पाते हैं या नई रेलगाड़ी क्यों नहीं चला पाते हैं। मैंने बताया है कि रेल ट्रैक किलोमीटर इतना कम बढ़ा, रूट किलोमीटर इतना कम बढ़ा, लेकिन फ्रेट लोडिंग, माल ढोना पिछले 64 सालों में लगभग 1300 प्रतिशत बढ़ा है। उसी ट्रैक में इतना लोड बढ़ाना, आप समझ सकते हैं कि कैपेसिटी कितनी ओवरलोडेड है। अगर पैसेंजर्स की बात करें, तो पैसेंजर्स किलोमीटर में लगभग 1642 परसेंट बढ़ा है। जब इतनी वृद्धि डिमांड की होगी और सप्लाई पर कभी निवेश नहीं किया गया, जिस प्रकार से निवेश होना चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से तकलीफें आंगी। मोदी जी की सरकार आने के बाद जो निवेश कैपेक्स पर खर्च होता था, वह लगभग ढाई गुना पिछले पांच वर्षों में हुआ। उसी के कारण इतना सारा काम हम पूरे देश में कर पाए। अटल जी ने एक बात कही थी और वह आज के संदर्भ में बहुत एप्रोप्रिएट है।...(व्यवधान)

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): You should address the Chair. ...*(Interruptions)*

SHRI PIYUSH GOYAL : Are you insulting the hon. Members? Sir, it seems that he is insulting the hon. Members and I think I have every right to look where I want. ...*(Interruptions)* अटल जी ने कहा था कि 'मैं हमेशा से ही वायदे लेकर नहीं आया, इरादे लेकर आया हूँ।' मैं समझता हूँ कि मोदी जी ने अटल जी के दिखाए हुए उन इरादों को तेज गति दी। जिस प्रकार से मोदी जी ने रेलवे के पूरे काम पर एक प्रकार से निगरानी भी रखी और मार्गदर्शन भी दिया, वह बहुत प्रशंसनीय है। मोदी जी ने काम के अलग-अलग पहलुओं में चिंता की और विशेष रूप से रेलवे में पांच वर्षों के अंदर मोदी जी के मार्गदर्शन और सानिध्य में हमारा मंत्रालय आगे बढ़ता रहा। मैं इस सदन को बताना चाहता हूँ कि अपने आप में शायद एक चाय वाला, जिसने रेलगाड़ियों के सामने चाय बेचकर छोटी आयु में असली देश का परिचय किया, वही समझ सकता था कि रेलवे कितनी अहम भूमिका निभा सकता है।

अध्यक्ष जी, रेलवे के विषय में माननीय सदस्यों द्वारा कई बातें कही गईं। रात भर बैठ कर उन सभी बातों को कम्पाइल किया गया और ये करीब-करीब 74 पेजेज हैं, जिनमें सभी एमपीज द्वारा उठाए मुद्दे हैं। हाँ, कई सदस्यों ने स्टापेज या नई ट्रेनों की बात कही है। आप जानते हैं कि वह सब काम रात भर में नहीं हो सकता है, उसे विभाग स्टडी करेगा। लेकिन आप सभी के विषय हमने नोट किए हैं और सभी को पत्र लिखकर आपसे संबंधित विषयों का जवाब मिलेगा। इस बात का लालच आता है कि आज कुछ विषयों को तो सदन में रखा जाए, खास तौर पर शुरूआत में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता ने कुछ विषय उठाए। वे बहुत इंटरेस्टिंग थे। उन्होंने कहा कि - The shine and glamour which were visible in the Railway Budget have been lost after the Railway Budget and the General Budget were combined. मैं समझता हूँ कि आज पूरे देश ने और दुनिया ने सराहना की है कि एक राजनीतिक बजट, जो पहले सिर्फ और सिर्फ देश को और माननीय सदस्यों को गुमराह करने वाला बजट दिखाया जाता था, सैकड़ों ट्रेनों, नए ट्रैक्स

इलेक्शन जीतने के लिए और अपने क्षेत्र के लोगों को खुश करने के लिए एनाउंस होते थे। उन्हें ख्वाबी पुलाव दिखाने की कोशिश पहले रेल बजट्स में की जाती थी, प्रधान मंत्री जी ने उस विषय को समाप्त करके देशहित का काम किया है, जनता के हित का काम किया है। जनता को कोई गुमराह न कर सके और जो काम किया जा सकता है, वही विश्वास देश के समक्ष रखा जाए। ... (व्यवधान)

(1235/VB/SM)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी के अलावा कोई भी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान) ... (Not recorded)

श्री पीयूष गोयल: माननीय अध्यक्ष महोदय, डिबेट के समय बड़ी ही इंट्रेस्टिंग बातें रखी गईं। हम हर बार सुनते हैं कि जो विषय होता है, उसके बारे में कहा जाता है कि यह हमारे समय में शुरू हुआ था, ... (व्यवधान) ठीक है, देश में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लगने चाहिए। देश आपका धन्यवाद करता है, इसे आपने वर्ष 2007 में शुरू किया। लेकिन वर्ष 2007 के बाद आपने क्या किया? वर्ष 2007 से 2014 के दौरान सात वर्षों में मात्र नौ हजार करोड़ रुपये उस प्रोजेक्ट पर खर्च किए और एक किलोमीटर भी ट्रैक लिंकिंग नहीं कर पाए। ... (व्यवधान) वर्ष 2014 के बाद हमने इस काम को तेज गति दी। इस काम को तेजी से अपने हाथ में लिया और मात्र पाँच वर्षों में इस प्रोजेक्ट पर 39 हजार करोड़ रुपये खर्च किए और अब तक हम 1900 किलोमीटर का ट्रैक लिंकिंग पूरा कर चुके हैं। वर्ष 2021 तक ये दोनों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हम पूरा कर देंगे। ... (व्यवधान) मैं तो और डिटेल दे सकता हूँ। टेंडर तक नहीं दिये गये थे, सात वर्षों में। ... (व्यवधान) हम एक बार नहीं, आपके साथ दस बार डिबेट कर लेंगे। ... (व्यवधान) सात साल में आपने जो काम किया था, हमने पाँच साल में उसका चार गुना से अधिक निवेश करके 1900 किलोमीटर ट्रैक लिंकिंग कर दिया। ... (व्यवधान)

उन्होंने थोड़ी-बहुत बातें रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की भी रखीं। उसके बारे में, मैं पहले भी प्रश्नकाल में जवाब दे चुका हूँ। लेकिन, वही बात बार-बार बोलने से कोई सच्चाई बदल नहीं सकती है। सच्चाई यह है कि यदि हमको रेलवे की सुविधाओं को बढ़ाना है, रेलवे की सुविधाओं को गाँव-गाँव और चारों कोनों तक पहुँचाना है, तो स्वाभाविक है कि इसमें बड़े पैमाने पर निवेश करना होगा। सभी यात्री अच्छी और सुगम यात्रा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश का जो फ्रेट है, माल है, उसे ढोने के लिए रेलवे की क्षमता बढ़े। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि आगे चलकर हम और ज्यादा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को एनकरेज करेंगे और हमारी जो क्षमता है, उसको बढ़ाने के लिए बाहर से निवेश लाने के लिए कुछ यूनिट्स को कॉरपोरेटाइज करेंगे। यह कोई हमारी नहीं, यह भी आपके समय का ही काम है। आपने जो काम अधूरा छोड़ा था, हम उसको पूरा कर रहे हैं। ... (व्यवधान) यह तो हमारा काम ही रहा है, शायद जनता ने इसीलिए हमको चुनकर भेजा है। ... (व्यवधान) कि आप जिन कामों को करने में विफल रहे थे, हम उनको पूरा कर रहे हैं, तो आज आप क्यों क्रोकोडाइल टीयर्स ला रहे हैं। आज आप सदन में क्यों क्रोकोडाइल टीयर्स बहा रहे हैं कि कॉरपोरेटाइजेशन क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है। ... (व्यवधान) हमें समझ नहीं आता है कि उनके कहने का हेतू क्या है। ... (व्यवधान) मैं समझता हूँ कि जब हमारे वित्त मंत्री जी ने बहुत ही विश्वास के साथ इस बात को रखा कि हम रेल और रेल से जुड़ी हुई सुविधाओं में लगभग 50 हजार करोड़ रुपये

अगले 10-12 सालों में निवेश करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि यह हिम्मत का काम है। सभी मेम्बर्स यही तो चाहते हैं। इसीलिए तो हम चुनकर भेजे गए हैं। यही काम करने की तो हमारी जिम्मेदारी है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने जो कहा कि नई सोच और नई दिशा के साथ यह सरकार काम करेगी, मैं माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, हमारी बहन ने देश के सामने जिस प्रकार का एक विस्तृत चित्र रखा है कि आगे देश और रेलवे कैसे प्रगति करेगा, उसमें हम सभी प्रतिबद्ध हैं और हम सब उसे पूरा करने के लिए दिन-रात काम करने वाले हैं।

(1240/KDS/SPR)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपस में नई संसद मत चलाएं। कल रात को 12 बजे तक सदन चला। कोई टेक्निकल कारण था, नहीं तो रात 2 बजे तक भी चलता। जिन माननीय सदस्यों को बोलने का मौका देना था, मैंने दिया। फिर भी यदि आपके मन में कोई बात होगी, तो मैं और सवाल-जवाब करा लूँगा। लेकिन माननीय सदस्यगण, मेरा आपसे आग्रह है। मैं इधर के माननीय सदस्यों से विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूँ। मंत्री जी सक्षम हैं, आप बीच में टोका-टोकी मत करें। आप बैठे-बैठे मत बोलिए। इसकी मैंने अनुमति नहीं दी है। जब माननीय मंत्री जी बोलेंगे तो कोई भी माननीय सदस्य बैठे-बैठे टिप्पणी नहीं करेगा। माननीय मंत्री जी कृपया आप बोलें।

श्री पीयूष गोयल: धन्यवाद अध्यक्ष जी। ... (व्यवधान) **माननीय अध्यक्ष :** आप लोगों को जो भी स्पष्टीकरण चाहिए वह मैं दिलाऊँगा।

श्री पीयूष गोयल: हमने 50 लाख करोड़ रुपये की जो आगे की योजना सोची है, उसमें जो हाई डेंसिटी नेटवर्क्स हैं, जहां-जहां पर बहुत ज्यादा कैपेसिटी स्ट्रेंथ है, बहुत ज्यादा गाड़ियों की डिमांड है, इस प्रकार की लाइनों पर अगर हम लगभग 6 लाख करोड़ रुपये खर्च करते हैं, तो उसकी कैपेसिटी बड़े रूप में बढ़ सकती है और अच्छी तरह से लोगों की सुविधाएं बढ़ सकती हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप लोगों को स्वागत करना चाहिए। हमने कल्पना की है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर और बनाए जाएं, जिससे जहां-जहां पर माल गाड़ियों की डिमांड है, वह और बढ़ सके। उसमें लगभग साढ़े 4 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से जो मेन गोल्डन क्वाड्रीलेटरल है जिससे मुंबई से दिल्ली जाते हैं, मुंबई से कोलकाता जाते हैं, जो मेन लाइंस हैं और उनके इंटरसेक्शन है, उसकी गति बढ़ाने का काम पर अगर हम करीब डेढ़ लाख करोड़ खर्च करते हैं तो मैं समझता हूँ वह स्वागत योग्य है। इस प्रकार से हमने एक-एक विषय पर गहराई से, विषय की जड़ तक जाकर, समस्या की जड़ तक जाकर, रूट कॉज एनालिसिस करके, बिना राजनीतिक हस्तक्षेप से, किन्तु इकनॉमिक कारणों से देश की भलाई के लिए, जनता की सुविधा के लिए, किन-किन चीजों पर निवेश करने से आगे रेलवे देश की और अच्छी तरीके से सेवा कर सके, उस पर ज्यादा बल दिया है। आप सब भलीभांति जानते हैं कि पहले आईसीएफ कोचेज़ हुआ करते थे। अभी भी बड़ी संख्या में आईसीएफ कोचेज़ इस देश में चल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, सालों से बनते आ रहे आईसीएफ कोचेज़ अर्थात् (इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री)। 30 साल पहले एलएचबी कोच का एक डिजाइन स्विट्जरलैण्ड, जर्मनी वगैरह से आया। उसका काम शुरू हुआ, लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में एलएचबी कोचेज़ बनते थे। आईसीएफ कोचेज़ हमारे आने तक

बड़ी मात्रा में बनते ही जा रहे थे। हमने निर्णय लिया कि जो पुराने आईसीएफ कोचेज़ हैं, जिनके कारण इतने बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं, जिससे लोगों की मृत्यु होती है, उनको क्यों न हम पूरी तरह से फेज़ आउट कर दें और सिर्फ एलएचबी कोचेज़ बनाएं। आज देश में एक भी नया आईसीएफ कोच नहीं बन रहा है। पुराने आईसीएफ कोचेज़, जो चल रहे हैं, जैसे-जैसे उसकी लाइफ खत्म होगी, उसको हम फेज़ आउट कर देंगे। उनको ओवरहॉल करके फिर से आपके लिए नहीं भेजेंगे, उसको एलएचबी कोचेज़ से रिप्लेस करेंगे। इस सब में तो जरूर बड़े पैमाने पर खर्चा होगा। अब यह खर्चा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? स्वाभाविक रूप से जनता चाहेगी कि करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, सिग्नलिंग सिस्टम, आखिर सुरक्षा के साथ सिग्नलिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज यह गाड़ी कहां है, कब रोकनी है। अगर ज्यादा गाड़ियां चलती हैं तो कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, जैसे मुंबई लोकल में हर 3-4 मिनट में एक गाड़ी चलती है। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम है।

(1245/MM/UB)

पूरे देश को क्यों न उसका लाभ मिले और पूरे देश में आटोमेटिक सिग्नलिंग हो। ऐसे काम करने के लिए सरकार पहल करती है, सरकार उसके लिए निवेश बड़े रूप में लाने की चेष्टा करती है तो मुझे लगता था कि विपक्ष भी शायद हमारी सहायता करेगा और हमारी सराहना करेगा कि अच्छा काम हो रहा है। कभी-कभार राजनीति से ऊपर उठकर भी देखना चाहिए कि कैसे अच्छा काम हो सकता है और हम कैसे उसमें योगदान दे सकते हैं। परंतु, टीका-टिप्पणी करनी है तो मैं इतना बताना चाहता हूं कि कोई ऐसा विषय नहीं है, जिस पर मैं अच्छे तरीके से समझा नहीं सकता हूं कि कैसे पुराने जमाने में काम होता था और कैसे आज होता है। सबको याद नहीं है, कई नए माननीय सांसद भी आए हैं, मैंने पिछले टर्म में जवाब देते हुए मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो रायबरेली, उत्तर प्रदेश में स्थित है, उसका जिक्र किया था। यह प्रोजेक्ट वर्ष 2007-08 में मंजूर हुआ और बनना शुरू हुआ था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014 में जब हम आए थे तो वहां एक भी कोच नहीं बनता था। वहां कपूरथला और चैन्नई से कुछ शैल लाए जाते थे, उन पर पेंट करते थे या पेंच कसते थे और बोलते थे कि प्रोडक्शन हो गया। यह सब छोड़िए, जनरल मैनेजर तक अपॉइंट नहीं हुआ था, एक आदमी भी अपॉइंट नहीं हुआ था, टेम्परीज़ भेजे जाते थे। जब माननीय प्रधान मंत्री जी ने सत्ता संभाली और उनके समक्ष यह गम्भीर विषय आया तो उन्होंने तुरन्त ऑर्डर किया कि इसमें लोगों की भर्ती तुरन्त की जाए। अफसरों को अपॉइंट करो और यहां प्रोडक्शन शुरू करवाओ। अगस्त, 2014 में वहां से पहला कोच बनकर निकला। उसके बाद हमारी कार्यशैली देखिए, हम हर वर्ष प्रोडक्शन को बढ़ाते रहे और आज हम वहां सौ प्रतिशत एलएचबी कोचेज़ बना रहे हैं। अच्छे और सुरक्षित कोचेज़ बना रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि दिन-रात हम प्रोडक्शन को बढ़ाते रहे और लगभग 711 कोचिज़ वर्ष 2017-18 में बने। उसकी क्षमता 1000 कोचेज़ की है और 711 कोचिज़ वर्ष 2017-18 में बने थे। आप समझ सकते हैं कि सरकारी फैक्ट्री में साधारणतया 70 परसेंट कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन होता है तो लोग छाती पीट-पीटकर अपना गुणगान सब जगह करते हैं, लेकिन हमारे प्रधान मंत्री किसी काम से संतुष्ट नहीं होते हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने मुझ से पूछा कि 711 कोचेज़

बने हैं तो ज्यादा क्यों नहीं बन सकते हैं। मैंने कहा कि साहब उसकी कैपेसिटी ही 1000 की है और 711 बन रहे हैं। कोई भी फैक्ट्री इतना नहीं बनाती है। उन्होंने कहा कि मैं खुद देखने आऊंगा। माननीय प्रधान मंत्री जी एमसीएफ गए। उन्होंने पूरी फैक्ट्री का राउंड लिया, कर्मचारियों से मिले, हमारे नौजवान इंजीनियर्स से बातचीत की और उन्होंने दिशा-निर्देश दिया कि अगले वर्ष इस फैक्ट्री के प्रोडक्शन को डबल किया जाए। हमने वर्ष 2018-19 में 1425 कोचिज़ वहां बनाए। 1000 की क्षमता वाली फैक्ट्री में हमने 1425 कोचेज़ बनाए और डबल किया। नामुमकिन को मुमकिन करने के मैं ऐसे सैंकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ। वैसे यह अलग बात है कि अगर हम इसमें और निवेश करें, और टेक्नोलॉजी लाएं और यह हमारी कल्पना है, जिसके बारे में हमने सोचा है कि इसको कोर्पोरेटाइज़ करें, नई टेक्नोलॉजी लाएं, नया निवेश लाएं और हम चाहते हैं कि रायबरेली स्थित फैक्ट्री पांच हजार की क्षमता वाली विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री बने। आप सोचिए इससे कितने लोगों को नौकरी मिलेगी, कितनी छोटी एंसिलियरी यूनिट्स चारों तरफ लगेगी, कैसे हमारे छोटे उद्योग और व्यापार को बल मिलेगा। यह सोच इस सरकार की है। वहां से पूरे विश्व में भारत में बनी ट्रेन, ट्रेन सेट और कोच जाकर चलेंगे... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्लीज़।

माननीय सदस्य, मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूँ और यह मेरा इस सदन में अंतिम आग्रह है।

श्री पीयूष गोयल : कई बार यह कहा जाता है कि हम रेलवे को प्राइवेटाइज़ करने जा रहे हैं। मेरा तो वैसे भी गला जल्दी बैठ जाता है, पर गला फाड़-फाड़ के बार-बार बोल चुके हैं कि कोई रेलवे को प्राइवेटाइज़ कर ही नहीं सकता है।

(1250/SJN/KMR)

रेलवे को प्राइवेटाइज़ करने का कोई मतलब ही नहीं है, यह कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन अगर कुछ नई सुविधाएं आती हैं, कोई नए प्रोजेक्ट्स लगते हैं, कोई नए रूप से टेक्नोलॉजी लाते हैं, कोई नई क्षमता बढ़ाई जाती है, ट्रेक्स, रूट्स, लाइन्स, कुछ नए स्टेशन्स बनाने को तैयार हो जाते हैं, किसी जगह पर हाई स्पीड ट्रेन, सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाना चाहते हैं, तो मैं यह समझता हूँ कि यह देश हित का काम है। इसमें निवेश को इन्वाइट करना चाहिए... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, कई सारे विषय उठाए गए हैं। मैं आपके माध्यम से एक विषय के बारे में माननीय सदस्यों को जरूर बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने संरक्षा और सुरक्षा इन दोनों को प्रमुख उद्देश्य में रखकर काम किया है। अगर मैं वर्ष 2009-10 को एक उदाहरण के लिए लूँ, क्योंकि कई माननीय सदस्य उस पार्टी से आते हैं, जिनकी नेता तब रेल मंत्री थीं। रेलवे में वर्ष 2009-10 में 2,107 करोड़ रुपये महिलाओं, बच्चों और यात्रियों की सुरक्षा पर खर्च होते थे। इस वर्ष हम लगभग 5,690 करोड़ रुपये सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा पर खर्च करने वाले हैं, यह इतना बड़ा बदलाव है।

माननीय अध्यक्ष जी, अगर हम वर्ष 2004 से 2009 के बीच में एक्सीडेंट्स की संख्या देखें, तो लगभग 206 एक्सीडेंट्स हर वर्ष होते थे। वर्ष 2009 से 2011 के बीच 153 एक्सीडेंट्स हुए। हमारे समय वह घटकर 100 से भी नीचे आ गए हैं, 95.6 एक्सीडेंट्स हर वर्ष होते हैं, यानी हमारे समय में

एक्सीडेंट्स भी कम हुए। उन एक्सीडेंट्स में जिन लोगों की जान जाती थी, उसकी फिगर वर्ष 2009-11 में लगभग 300 तक पहुंच गई थी।... (व्यवधान) आज हमने उसको घटाकर शायद 50 के आसपास किया है।... (व्यवधान) ऐसा सुधार शायद रेलवे में पहले कभी नहीं देखा गया होगा।... (व्यवधान)

एक विषय माननीय सदस्यों ने ऑपरेटिंग रेशियो का पूछा है। स्वाभाविक है कि ऑपरेटिंग रेशियो में जो मैन पावर कॉस्ट है, वह भी इन्क्लूडेड होती है। आज रेलवे में जो 12-13 लाख कर्मचारी काम करते हैं, उनको हमने सेवन पे कमीशन के बाद लगभग 22 हजार करोड़ रुपये ज्यादा दिए हैं। उसके बावजूद रेलवे को प्रॉफिट में रखा है और रेलवे सही तरीके से अपना काम कर पा रही है, निवेश कर पा रही है। यह अपने आपमें दर्शाता है कि जैसे-जैसे हम एफिशियंसी को सुधारते हैं, वैसे-वैसे रेलवे में इतना बड़ा भार लेने की क्षमता भी बन जाती है। यह तो एक खर्च है, बाकी भी खर्चे थोड़े-बहुत बढ़ते हैं। हम उन सब पर भी नियंत्रण लाए हैं। मेरा विश्वास है कि जो ये एफिशियंसी के पैरामीटर्स हैं, जिसमें हम इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं, उससे आगे चलकर और भी रेल सुविधाएं जनता तक पहुंचे और जनता को उसका लाभ मिले, हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं।

एक विषय है, पता नहीं कहां-कहां से कुछ-कुछ फिगर्स बताए जाते थे, एलआईसी बॉरोइंग दो हजार करोड़ रुपये की हुई है। पांच हजार जोड़ लें, तो सात हजार, ऐसे कई सारे विषय हैं, जो एकदम बेबुनियाद हैं। जब हमें लगेगा, तो हम एलआईसी से पैसा ले लेंगे। अगर हमें नहीं लगता है, तो क्या हम जबरदस्ती बॉरोइंग करके अपना ब्याज का खर्चा बढ़ाएं? क्या कोई अपने बहीखाते में ऐसा कहता है कि जब जरूरत नहीं है, तो ब्याज पर पैसा ले लो। जब जरूरत होगी, तो ले लेंगे, जब जरूरत नहीं थी, तो नहीं लिया। फिर भी सांसद महोदय की जानकारी के लिए बता दूं कि हम अब तक लगभग 18,000 करोड़ रुपये ले चुके हैं। जब-जब हमें जरूरत पड़ेगी, तब हम उसके हिसाब से उनसे बात करके ले सकते हैं। वैसे बॉरोइंग के और भी बहुत-से आप्शनस हैं, हम तो उससे बॉरो करते हैं, जहां से सबसे सस्ता पैसा मिलता है।

इसी प्रकार से कई एमओयू का जिक्र किया गया है, मेरे पास डिटेल्स हैं। मैं उसे लिखित रूप से भी भेज दूंगा कि हमने कैसे एक-एक एमओयू के ऊपर काम करके रेलवे में सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए हैं।... (व्यवधान)

(1255/GG/SNT)

इनको तो इतना भी नहीं मालूम है कि मैं अमरीका से पढ़ाई करने के लिए कभी लंबे अर्से नहीं गया था। शॉर्ट कोर्सिज वगैरह जरूर मैंने बहुत सारे किए हैं। मैं समझता हूँ और मैंने एक रूल बनाया है कि रेलवे में हर कर्मचारी की एक हफ्ते की ट्रेनिंग होना कम्पलसरी होना चाहिए। हर साल एक हफ्ते रेलवे में ट्रेनिंग कम्पलसरी की है, जिससे रीलर्निंग होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय ने नए सांसदों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आजकल चला रखा था। Training is something, which is necessary for everybody. बड़े से बड़े व्यक्ति को भी रीलर्न करना पड़ता है, नहीं तो वह इतिहास के पन्नों के हिसाब से जीता है। दुर्भाग्य है कि शायद कुछ लोगों को यह बात ध्यान नहीं है, हमारी पार्टी में तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हर वर्ष किए जाते हैं। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, हमारी पार्टी के

एमपीज़ के लिए किए जाते हैं, जिससे कंटीन्यूएस हम भी इवॉल्व हों और दुनिया के साथ-साथ हम भी आगे बढ़ें। परंतु आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि मैं शॉर्ट कोर्सेज़ के लिए जरूर अमरीका गया। मैं स्वदेशी पढ़ाई कर के यहां तक पहुंचा हूँ और स्वदेशी पढ़ाई कर के मैं यहां पर मंत्री बना हूँ ... (व्यवधान) आपने शब्द यह इस्तेमाल किया कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो आप पढ़ाई करने यू.एस. कैसे जाते? यह शब्द आपने इस्तेमाल किया था, वह भी लिखा हुआ है। आपकी वर्बेटिंग ट्रांसक्रिप्ट ले कर हमने यह बनाया है। ... (व्यवधान)

महोदय, इन्होंने ट्रैक रिन्युएबल की भी बात की थी। मुझे तो यह बात समझ ही नहीं आई कि ये क्या कहना चाह रहे थे। ... (व्यवधान) जब हम सरकार में आए, तब जो जर्जर स्थिति थी, ट्रैक रिन्युएबल कितने पुराने समय से नहीं हुआ था, हमने उन सबको टेकअप किया, सबको बढ़ाया और उसी के कारण आज यह सेफ्टी का फिगर इतना सुधरा है कि कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सिडेंट्स सन् 2013-14 में जो 118 होते थे, आज 2018-19 में घट कर 59 रह गए हैं, आधे हो गए हैं।

महोदय, विद्युतीकरण का वैसे तो मैंने जवाब दे ही दिया है, परंतु हमारा विश्वास है और हमारा संकल्प है कि आगे आने वाले कुछ वर्षों में पूरी भारतीय रेल को, जो ब्रॉडगेज नेटवर्क है, जो मेन नेटवर्क है, पूरे भारतीय रेल का ब्रॉडगेज नेटवर्क शत प्रतिशत विद्युतीकृत हो जाएगा। ... (व्यवधान) हजारों-करोड़ रुपयों का डीजल बचेगा। विदेश से क्रूड ऑयल लाने में देश की विदेशी मुद्रा बचेगी। साथ ही साथ, क्योंकि माननीय सांसदों को बड़ी चिंता रहती है, पर्यावरण में इसका बहुत बड़ा प्रभाव होगा, दिल्ली में आने वाली गाड़ियां भी सभी इलैक्ट्रिसिटी से चलेंगी, दिल्ली का भी पर्यावरण सुधरेगा, मुंबई का भी पर्यावरण सुधरेगा और जहां-जहां से रेलवे जाएगी, उन गांवों का भी पर्यावरण सुधरेगा।

महोदय, वैसे मेरे मैनिफैस्टो की भी चर्चा की गई। मैं बताना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री मोदी जी इतनी चिंता करते हैं कि देश में एक भी ऐसा विषय हमारे मैनिफैस्टो में नहीं है जिस पर लगातार मंत्रियों को देखना नहीं पड़ता है, मॉनिटर नहीं करना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि मैनिफैस्टो के ऊपर इस सरकार ने पिछले पांच सालों में जितने प्रतिशत काम किया है, इसके पहले किसी सरकार ने मैनिफैस्टो को इतना सीरियसली नहीं लिया होगा, जितना हमारी सरकार ने लिया है।

महोदय, सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि पहले मैंने एक विषय – ट्रैक किलोमीटर का कहा था। उसको मैं सिर्फ संशोधित कर दूँ कि वह रनिंग किलोमीटर था। रेलवे की अलग-अलग भाषा होती है। जो मैंने 89 हजार 919 फिगर दी थी, वह रनिंग किलोमीटर था। कृपया स्टॉफ उसको ट्रैक किलोमीटर के बदले रनिंग किलोमीटर ठीक से कर दे। ... (व्यवधान) मुझे लगता है कि करैक्शन करने का तो मुझे अधिकार है। मैं पूरा ही संशोधित कर देता हूँ।

(1300/KN/GM)

जो 64 साल में 12 हजार रनिंग किलोमीटर बढ़ाया था, वह हमारे समय में सिर्फ पाँच साल में पाँच हजार किलोमीटर बढ़ा। टोटल ट्रेक किलोमीटर, जो 64 साल में लगभग 49 हजार किलोमीटर बढ़ा था, वह हमारे समय में सिर्फ पाँच साल में सात हजार किलोमीटर बढ़ा। यह मैं संशोधित कर दूँ कि वह फिगर्स बोलने में मुझसे गलती हुई। उसको मैंने संशोधित कर दिया।

एक बात यह बताई गई कि वन्दे भारत पूरी क्षमता से नहीं चलती है। स्वाभाविक है, क्योंकि पहले तो किसी ने हिम्मत ही नहीं की थी कि इतनी अच्छी बढ़िया ट्रेन भारत में बनाने की। हमने हिम्मत और साहस किया तथा पहली बार हमारे इंजीनियर्स ने भारत की शुद्ध डिजाइन वाली एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन वन्दे भारत ट्रेन सैट के रूप में बनाई... (व्यवधान) आप तो पहले रेल मंत्री रह चुके हैं, आपको इतना भी नहीं पता कि कोच को जॉइन करना और एक ट्रेन सैट के बीच में फर्क क्या होता है? पहली बार देश में ट्रेन सैट बनी, जो वन्दे भारत के नाम से दिल्ली से बनारस जाती है। आप सब को जानकर खुशी होगी कि इसका लगभग शत-प्रतिशत ऑक्युपेंसी पहले दिन से आज तक चल रहा है, अच्छे तरीके से सेवा कर रही है। एक लाख से अधिक किलोमीटर की जर्नी वन्दे भारत कर पाई है। आप में से कुछ मित्रों को याद होगा कि कैसे छोटी सी घटना पर कुछ लोगों ने वन्दे भारत को लेकर हमारे इंजीनियर्स, हमारे कर्मचारियों का मज़ाक उड़ाया था। आज उन सब के लिए मेरी एक दरखास्त है कि जब हमारे भारत के इंजीनियर्स और कर्मचारी कुछ काम करते हैं तो उनकी सराहना की जाए, उनकी तारीफ की जाए। उनका मनोबल, उनका प्रोत्साहन बढ़ाया जाए। उनको रिडिक्यूल करके अपने छोटे मन और छोटे दिल को देश के सामने मत दर्शाइये।

मुझे कहा गया कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की हमने बात की थी और उस पर हमने काम नहीं किया। आपने मॉडल शेयर रेलवे का 89 परसेंट से घटकर 30 परसेंट के आस-पास कुछ फिगर्स रज़ की थी। इसको कहते हैं- अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि मॉडल शेयर ज़रूर वर्षों पहले 89 परसेंट था... (व्यवधान) वर्ष 1950 के पहले 89 परसेंट मॉडल शेयर था, लेकिन घटते-घटते और आज़ादी के बाद लगभग पूरे समय एक ही सरकार चली है, उसमें भी ज़्यादा समय एक ही परिवार ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सरकार चलाई। वर्ष 1950 से पहले 89 परसेंट से घट कर 2014 में 34 परसेंट हो गया था। अब उसकी ज़िम्मेदारी किसकी है। आप बता दें कि वह ज़िम्मेदारी लेने को तैयार हैं कि नहीं, वह क्यों घटा, क्यों इतना कम हो गया?

मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार ने जिस प्रकार से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को ट्रेन से जोड़ने की चेष्टा की है और आगे चल कर हम और बढ़ाने वाले हैं, यह अपने आप में कृषि क्षेत्र को और हमारे किसानों के आगे आने वाले काम में और फूड प्रोसेसिंग के काम में बल देगा।

कई सारी और भ्रांतियाँ फैलाने की कोशिश की गईं। एक बड़ी ही आश्चर्यजनक फिगर्स आई थी कि बायो-टॉयलेट्स का काम धीरे चल रहा है। मैं परेशान हुआ। मैंने कहा कि यह कहां से हो गया, हमारा तो बहुत तेज गति से काम चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर खुशी होगी कि लगभग 58400 कोचेज में बायो-टॉयलेट्स लगाने थे। आज उसमें टोटल लगभग 2 लाख 40 हजार के आस-पास बायो-टॉयलेट्स लगने हैं। हमने आज के दिन 2 लाख 10 हजार के करीब बायो-टॉयलेट्स

ऑलरेडी लगा दिए हैं। पहले टारगेट था कि वर्ष 2021-22 तक सब ट्रेन्स में बायो-टॉयलेट्स लग जाएं। मुझे आपको बताते हुए खुशी है, मुझे लगता है कि अगले 12 महीने में ही हम यह सभी ट्रेन्स में बायो-टॉयलेट्स लगा देंगे।

फिर बताया गया कि एस्केलेटर्स, लिफ्ट और दिव्यांगों की चिंता करनी चाहिए। बड़े-बड़े अच्छे उपदेश दिए गए। मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन सच्चाई भी सामने रखनी आवश्यक है।

(1305/CS/RK)

वर्ष 2004 से वर्ष 2009 के बीच, अलग-अलग मंत्री थे, मेरे पास पूरी लिस्ट भी है, बहुत सारे मंत्री आए और गए। वर्ष 2004 से वर्ष 2009 के बीच रेलवे में मात्र 28 एस्केलेटर बने और 19 लिफ्ट लगीं। वर्ष 2009 से वर्ष 2014 के बीच वह संख्या बढ़ी और 115 एस्केलेटर और 78 लिफ्ट लगीं। हमने 5 साल में क्या किया, हमने सिर्फ बढ़ाकर 457 एस्केलेटर लगाए और 377 लिफ्ट बनाईं यानी 19 लिफ्ट से बढ़कर 78 लिफ्ट लगीं और हमने 377 लिफ्ट लगाईं। 28 एस्केलेटर से बढ़कर 115 एस्केलेटर और हमने 457 एस्केलेटर लगाए। यह काम करने का ढंग होता है... (व्यवधान) पंच्युएलिटी की भी बड़ी-बड़ी बातें की गईं। जब हमारी सरकार आई, हमने देखा कि पंच्युएलिटी वास्तव में एक चिंताजनक विषय है। हम सबको याद है कि पंच्युएलिटी के विषय पर सब त्रस्त रहते थे और स्वाभाविक रूप से लोग समय पर पहुँचें, यह हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। यह अलग बात है कि ट्रेक्स पर्याप्त नहीं हैं, ट्रेन्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की आवश्यकता है, इसलिए थोड़ी-बहुत समस्याएँ तो नेचुरल हैं। सिग्नलिंग सिस्टम बाबा आदम के जमाने का है और इस सबको सुधारने में समय लगेगा। हमने देखा कि पंच्युएलिटी की वजह से जनता त्रस्त है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पंच्युएलिटी इतनी खराब नहीं है।

महोदय, जब हम इसकी गहराई में गए तो हमें बहुत ही विचित्र बात मालूम पड़ी। आजादी के लगभग 67 वर्ष बाद भी, वर्ष 2014 तक पंच्युएलिटी का जो पुराना सिस्टम था, उसके अनुसार किस समय उसके स्टेशन पर ट्रेन पहुँची, किस समय ट्रेन उसके स्टेशन से निकली, स्टेशन मास्टर इस समय को लिखता था। वह सत्य माना जाता था और उसी हिसाब से पंच्युएलिटी के फिगर्स बताए जाते थे, जिससे वास्तव में पूरे रूप में असलियत पता नहीं चलती थी। हमारी सरकार ने आकर उसे टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा। हमने ऑटोमेटिक डेटा लॉगर्स लगाए कि ट्रेन का समय एकदम शत-प्रतिशत सच देश के समक्ष आए। जैसे हम डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते हैं, तो जब डॉक्टर को बीमारी पता हो तभी तो वह इलाज कर सकता है, उसी तरह से यह बीमारी सामने आई और इसका हल निकला। ओवरनाइट जब ये डेटा लॉगर्स लग गए, पंच्युएलिटी फिगर 20 प्रतिशत घटा, क्योंकि अब सच्चाई, आइना सामने आ गया। इसके बाद पूरी रेलवे उसको सुधारने में लग गई। आज मुझे बताते हुए हर्ष है कि मैंने पंच्युएलिटी के ऊपर इस प्रकार की शिकायतें और इस प्रकार की गहरी चिंता ऑफ लेट नहीं सुनी हैं, जैसी कई वर्षों पहले तक हम सुनते थे। किसी ट्रेन के डिले होने पर जो मिनिट्स लूज होते हैं, एक-एक ट्रेन कितनी लेट होती है, अब हम उसे मिनटों में मॉनीटर करते हैं और वह हम सबके पास तो रहता ही है, हमने यह पूरी जानकारी “रेल दृष्टि” ऐप के माध्यम से आज पूरे देश के समक्ष रख दी है। आप सभी मोबाइल फोन पर “रेल दृष्टि” ऐप ले लीजिए। “रेल दृष्टि” ऐप

के माध्यम से आपको सब जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी। हर स्टेशन की फोटोज उस पर मिलेंगी कि कैसे स्टेशन सुन्दर होते जा रहे हैं, कैसे स्टेशंस पर स्वच्छता हो रही है, टॉयलेट कितने साफ हैं, हर समय-सीमा के हिसाब से, हर स्टेशन की फोटो उस पर अपलोड होती है। अगर कहीं भी हमें लगता है कि यहाँ सफाई कम-ज्यादा है तो इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाती है। आज “रेल दृष्टि” ऐप पर आप हर ट्रेन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

1 बजकर 09 मिनट पर जब अब हम यहाँ पर हैं, तो इस समय भारतीय रेल की हर ट्रेन कहाँ-कहाँ, किस-किस स्टेशन से गुजर रही है, यह सब आप अभी “रेल दृष्टि” ऐप पर देख सकते हैं। इतनी सारी जानकारी हमने पब्लिक कर दी है। यह सब पारदर्शिता से हो रहा है।

महोदय, मैं बहुत सारे विषयों पर यहाँ कह सकता हूँ, लेकिन मुझे नोट आ रहा है कि हम ये और सब चीजें बाद में देते रहें, लेकिन मैं एक-दो चीजें जरूर सदन के सामने रखना अपना दायित्व समझूँगा।

(1310/RV/PS)

अध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल के बारे में बहुत-सी बातें हुई हैं। पश्चिम बंगाल में 54 नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं - 16 नई रेल लाइन, 4 गेज कन्वर्जन, 34 डबलिंग के कार्य। इनका अनुमानित खर्च 42,000 करोड़ रुपये है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पश्चिम बंगाल में जो सबसे पुराना प्रोजेक्ट चल रहा है, वह वर्ष 1974-75 से चल रहा है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, हावड़ा से अम्टा और बरगछिया से चम्पादंगा प्रोजेक्ट्स में से आज तक हम सिर्फ 43 किलोमीटर कमीशन कर सके हैं क्योंकि वहां की सरकार हमें जमीन ही नहीं देती है। हम कैसे काम करें? रेलवे के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर हमें जमीन मिल जाए तो हम तुरन्त काम करने को तैयार हैं। दूसरा प्रोजेक्ट भी बड़ा पुराना है। यह वर्ष 1983-84 का है। एकलाखी से बालूरघाट के बीच लगभग 163 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। इसमें 76 किलोमीटर का काम हेल्ड-अप है, क्योंकि वहां की सरकार जमीन नहीं देती है। इसी तरह से, एक वर्ष 1984-85 का प्रोजेक्ट है, जो तामलुक से दीघा के बीच 168 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। इसमें 80 किलोमीटर का काम अटका पड़ा है क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार जमीन ही नहीं देती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसे गिनता जा सकता हूँ। मैं बार-बार पत्र लिखता रहता हूँ। 15 जून को भी मैंने प्रोजेक्ट-वाइज डिटेल देकर एक पत्र माननीय दीदी को भेजा है कि हमारे क्या-क्या काम अटके पड़े हैं। अगर आप लोग मेरी मदद कर सकें तो मैं आपका ऋणी रहूँगा...(व्यवधान)

महोदय, अब केरल की बात करते हैं। केरल के बारे में भी कई सारी चिंताएं व्यक्त की गईं। केरल में आज 9 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसके लिए हम सभी को, मैं समझता हूँ कि पूरे सदन को चिंता होगी। यह तिरुनवया से गुरुवायूर के बीच का प्रोजेक्ट है। गुरुवायूर मन्दिर जाने की इच्छा सभी श्रद्धालु भक्तों की होती है। रेलवे ने इस प्रोजेक्ट को लेने का निर्णय लिया। आज से 24 साल पहले से यह प्रोजेक्ट चल रहा है, पर हम उसका फाइनल लोकेशन सर्वे भी जमीन पर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहां की सरकार सहायता नहीं देती है। एक प्रोजेक्ट अंगामाली से सबरीमाला के बीच का है। हम सबकी इच्छा होती है कि सबरीमाला जाकर दर्शन करें।

सबरीमाला जाने से काम करने का हमारा मनोबल और बढ़ता है। वह प्रोजेक्ट भी आज से बीस साल पहले बजट में लिया गया था। बजट में तो सभी कुछ ले लेते हैं। उसमें केरल सरकार ने पहले नवम्बर, 2015 में कहा कि हम 50 प्रतिशत कॉस्ट बियर करेंगे। अब वे बोलते हैं कि हम इसे बियर नहीं करेंगे, हम पैसे नहीं देंगे। बाकी सारे राज्य इसके लिए पैसे देते हैं। चाहे झारखण्ड हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, सभी राज्य पैसा देते हैं, प्रोजेक्ट लगाने में सहायता करते हैं, पर केरल सरकार कहती है कि हम नहीं देंगे। यहां फाइनल लोकेशन सर्वे करने में राज्य सरकार हमारी मदद नहीं कर पा रही है।

(1315/MY/RC)

मैं समझता हूं और इन्हें गिनता जा सकता हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सी डिटेल्स हैं। इस बारे में भी मैंने 15 जून को माननीय मुख्य मंत्री जी को चिट्ठी लिखकर अवगत कराया था कि अगर आप मदद कर दें तो हमें बहुत सारे फायदे होंगे।

कर्नाटक में हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय लिया गया है कि कर्नाटक के बेंगलुरु में सब-अर्बन रेलवे बनाई जाए। वहां लोगों को घंटों तक जो तकलीफ़ होती है, उसको हम कैसे कम कर सकें, वहां लोगों को सुविधा दे सकें, मेरे पास कर्नाटक के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की जानकारियां हैं। अब मैं और समय न लेते हुए बताना चाहता हूं कि अलग-अलग मेम्बर्स के जो विषय सामने आए थे, उनको लिखित रूप से सब का जवाब देने के लिए आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं सभी माननीय सांसदों, माननीय अध्यक्ष जी और सभी स्टाफ का पुनः एक बार धन्यवाद करते हुए, आप सब से अर्ज करता हूं कि आप डिमांड फॉर ग्रांट, डिमांड नं. 82 रेलवेज को अपना अनुमोदन, समर्थन और आशीर्वाद देकर हमको अनुगृहीत करें। धन्यवाद।

(ends)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज से अध्यक्ष की नई व्यवस्था है कि जो सदस्य माननीय मंत्री जी के भाषण के बीच में व्यवधान पैदा करेंगे, उनको आज के बाद क्लैरिफिकेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी और जो सदस्य मंत्री जी का पूरा भाषण सुनेंगे एवं उसके बाद क्लैरिफिकेशन मांगेंगे, तो मैं सभी का क्लैरिफिकेशन कराऊंगा। क्या पूरा सदन यह व्यवस्था चाहता है?

अनेक माननीय सदस्य: हाँ, चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष: यह सदन सर्वसम्मति से चलना चाहिए। सर्वसम्मति से सदन चले, सभी दलों की सहमति से चले, तो सदन ठीक से चलता है।

अधीर रंजन जी, अब आप एक प्रश्न पूछ लें।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन मिनट बात करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बातें बोल दी हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपको नया भाषण नहीं देना है।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, कोई झगड़ा नहीं होगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप केवल क्लैरिफिकेशन पूछ लें।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, आज के बाद वह चालू होगा। गोयल साहब, आप देखिए।
...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अधीर रंजन जी, आप इधर देखिए।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, हमारे बीच दोस्ती है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अगर माननीय मंत्री जी भी इस तरह से बोलेंगे तो मैं उनको भी टोकूंगा। आप निश्चित रहें, माननीय मंत्री जी हों या कोई अन्य वरिष्ठ सदस्य हो, जो इधर की जगह उधर से पूछेंगे तो मैं उनको भी बोलूंगा।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, बिल्कुल झगड़ा नहीं होगा, मैं आपसे वादा करता हूँ।...(व्यवधान) इस तरह से बातें करना अच्छा लगता है। अगर कोई गोयल साहब को पायल, डोयल या कोयल पुकारे, तो वह नहीं होगा, क्योंकि गोयल तो गोयल ही रहेंगे। ऐसे ही अगर रेल को हम किसी तरह से देखें, लेकिन रेल रेल ही रहेगी। बात यह है कि बचपन में आप और हम सभी रेडियो सुनते थे, उसके बाद टीवी आ गया और अभी हाथ में मोबाइल आ गया, यह सब राजीव गांधी जी की देन है। लेकिन, आप यह कहें कि हमने मोबाइल को तय कर दिया, आपने कुछ नहीं किया, यह कहना बिल्कुल गलत होगा। इसलिए, मैं कहना चाहता हूँ कि रेलवे की जो सारी तरक्की हो रही है, यह ऑन गोइंग प्रोसेस है, जैसे कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हमने शुरू किया, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर हमने शुरू किया, यानी बुलेट ट्रेन तक हमने सोचा था, अभी यह ऑन गोइंग प्रोसेस है। कल से हमने अपनी तरफ से सुझाव देने की कोशिश की, इसके अलावा कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ सुझाव देने का कोशिश की। जैसा कि वे सेफ्टी सिक्योरिटी की बात कहने लगे। गोयल साहब, आप सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करते हो, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी में 'सी' तथा 'डी' ग्रेड के जो कर्मचारी हैं, उनका बड़ा योगदान रहता है। आप देखें कि रेलवे के 'सी' तथा 'डी' ग्रेड में दो लाख 64 हजार वैकेंसी फिल अप नहीं की जा रही है। इसका असर क्या होगा? इसका असर रेलवे की सेफ्टी तथा सिक्योरिटी पर होगा। मैं इनको सजेशन देना चाहता हूँ, जैसे कि डीआरएफ में अंडर प्रोविज़निंग होता है, इसको आप बजट कहते हैं। आप कहते हैं कि ऑपरेटिंग रेश्यो 9-10 परसेन्ट इसके-उसके या सेवेन्थ पे कमीशन के लिए है। यह ठीक है, लेकिन आपको कहना चाहिए कि आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। आप यह मत सोचिए कि हमारी तरफ से आपको कोई सहयोग नहीं होगा। हम तो कल से आपको सहयोग करने के लिए कह रहे हैं। हम आपको कुछ सलाह देते हैं, आप उसको थोड़ा ध्यान में रखिए। A total of 49719 deaths were reported between 2015 and 2017.

(1320/SNB/CP)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I have a specific clarification and my clarification is regarding privatisation of the Railways. In the Budget of 2015-16, the then hon. Finance Minister had earmarked a five-year development

programme for the Railways by which a sum of Rs. 8.5 lakh crore was supposed to be attracted from private investment by way of PPP and all those things. Now, the Government proposes to invest a sum of Rs. 50 lakh crore by 2030 for infrastructure development. I would like to know wherefrom this money would come ...*(Interruptions)*

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, first of all I would like to say that hon. Minister mentioned about the Eklakhi – Balurghat Railway line in his reply. I would like to invite him to board the Eklakhi – Balurghat express train and I can assure him that it would be a joy for him to have travelled in that train. This train is running in full command.

Sir, I am raising a very crucial point. There are more than 1,74,000 railways bridges in this country. Of them, many are more than 100 years old and this is related to the question of safety and security of the Railways. What steps the Government proposes to take for these bridges which are more than 100 years old. I would like to know if any repair work of those bridges would be taken up or not. ...*(Interruptions)*

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): अध्यक्ष महोदय, कल मैंने एक स्पेसिफिक प्रश्न पूछा था कि वर्ष 2008 में डोमेस्टिक ट्रैफिक और एक्सपोर्ट ट्रैफिक के बीच में जो घपला कांग्रेस की सरकार ने और उसके बाद ...*(व्यवधान)* इसके मंत्रियों ने किया। उस पर 30 हजार करोड़ की जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, उसके बारे में भारत सरकार क्या एक्शन ले रही है? ...*(व्यवधान)*

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक बात कहना चाहता हूँ। कल हमारे दो सदस्यों ने टीआरएस पार्टी की तरफ से अपनी बात रखी। उन्होंने यह कह दिया कि वे उन क्लेरिफिकेशंस का उत्तर करेंगे। ए.पी. रिहैबिलिटेशन एक्ट में रेलवे के इश्यूज के बारे में उसको प्रायोरिटी देकर उसको कंप्लीट करें।

दूसरा, एक ही प्वाइंट है, उसमें भद्राचलम, सतुपल्ली और कोव्वुरु, जो दो स्टेट को कंबाइंड करता है। यह वर्ष 2012 में सैंकशंड हुआ था। हमारी रिकवैस्ट है कि हमारा नया स्टेट है, इसकी तरफ आप ध्यान दें। ...*(व्यवधान)*

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Speaker, Sir, I would like to inform the House about one thing. It is today, I think, that the return journey of Lord Jagannath. The hon. Minister is very much aware of it. I would like to remind the hon. Minister that there are two long pending projects – one is the Haridaspur – Paradip line. Land acquisition was a problem which has already been sorted out. The other is the Khurda Road – Bolangir line. The problem now has been

sorted out by the State Government and the State Government also is participating in it. How long will it take to fully operationalise these two lines?

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I would like to put just two to three quick questions. The hon. Minister talked about land acquisition issues in the States of Kerala and West Bengal. The bullet train was a flagship programme of this Government and it has now been over five years. It is your Government at the Centre and also at Maharashtra. So, why has there been no land acquisition in Maharashtra and why is the work of the Bullet train not started?

Sir, secondly, I would just like to elaborate on what Shri Premachandran ji said. You used words like 'corporatisation' 'SPV' 'PPP' etc. Can the hon. Minister please elaborate on these?

Finally, my point is on the running kilometres and track kilometres. Can the hon. Minister please explain what exactly these mean? ...*(Interruptions)*

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, this is regarding the Railway Zone for the State of Andhra Pradesh which the Government announced just before the elections. It was also mentioned in the AP Re-organisation Act also. You are saying now that it has been fulfilled. But I just wanted to know regarding the Waltier Division which has been split. The goods traffic has all been given to the State of Odisha and only the passenger traffic remains with the State of Andhra Pradesh now.

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, क्या आप स्पष्टीकरण देना चाहते हैं?

(1325/RU/NK)

So, all the incomes are with Odisha and all the expenditure are with Andhra Pradesh. Earlier the Railway Zone was considered unviable.....*(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी आप स्पष्टीकरण देना चाहते हैं?

श्री पीयूष गोयल: अध्यक्ष महोदय, मुझे अच्छा लगा कि विपक्ष के कई सांसदों ने मेरे भाषण को अच्छी तरह सुना इसलिए प्रश्न भी अच्छे आए हैं। अधीर रंजन जी, आपके समर्थन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने जरूर शब्दों का कुछ किया, कोयल गोयल वगैरह रेल रेल ही रहेगा, लेकिन पीयूष का एक मतलब अमृत भी होता है। मैं आपको अमृत ही दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। प्रेमचन्द्रन जी, हमने बजट में कभी भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट साढ़े आठ लाख करोड़ रुपये नहीं कहा था, आप बजट पुनः पढ़ लें। हमने उस समय कहा था कि लगभग साढ़े आठ लाख करोड़ रुपये का निवेश रेलवे अलग-अलग माध्यम से करेगी। कुछ सरकारी खर्च से, कुछ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए, कुछ ईबीआर

बॉरोइंग से हो, उस दिशा में रेलवे ने अलग-अलग माध्यम से पैसा लिया है। उन सभी माध्यमों को जोड़ कर लगभग ढाई गुना निवेश पहले की तुलना में पिछले पांच सालों में निवेश हुआ है। सुदीप दादा, आपने बहुत ही अहम प्रश्न पूछा। वास्तव में ब्रिजेज हम सब की चिंता की बात है। आपने सही कहा कि कई ब्रिज सौ सालों से भी पुराने हैं। हम सब पहचानते हैं, मैं समझता हूँ कि शायद हर रेल मंत्री सोने के पहले भगवान से जरूर प्रार्थना करता होगा कि सही सलामत सभी ब्रिजेज रहें, लेकिन हमने प्रार्थना के साथ-साथ रेलवे की व्यवस्था का रेग्युलर ऑडिट इन ब्रिजेज को हर डिवीजन से जोड़ा है। हर डिवीजन और जोन में ब्रिजेज के ऑडिट होते हैं। अभी हाल ही में मैंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। हर ब्रिज, आरओबी और एफओबी पर बोर्ड लगाने वाले हैं। यही डेटा आपके मोबाइल फोन रेल दृष्टि में भी डालेंगे। हर ब्रिज के बारे में कि यह कब बना था, लास्ट इन्सपेक्शन कब हुआ था, इन्सपेक्शन में क्या पाया गया और इसके लिए आगे कुछ कार्रवाई की जरूरत है और क्या-क्या कार्रवाई हो रही है, इससे हम सभी को थोड़ी सांत्वना होगी कि ब्रिजेज के ऊपर भी चिंता हो रही है।

जितनी ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता बढ़ेगी, लोग जिम्मेदार होते जाएंगे और जिम्मेदार होंगे जनता और मीडिया के द्वारा निगरानी रखी जाएगी, इससे काम भी अच्छा होगा। माननीय निशिकांत जी, कोई विषय कोर्ट में है या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के पास है, अगर भ्रष्टाचार के कुछ भी विषय कोर्ट के समक्ष हैं तो हमारी सरकार उसमें दखलंदाजी नहीं करती है। उनका काम वह करें, हम विकास और प्रगति के काम में अपने आपको लिमिटेड रखते हैं, बिजी रखते हैं। हमारी तरफ से पूरी छूट है। एजेंसी का जो भी दायित्व है, वह उसे पूरी ईमानदारी से इंडिपेन्डेंटली निभाएं।

राव जी ने कुछ लाइनों का जिक्र किया है, उसका मैं लिखित जवाब नहीं दे पाऊंगा, आज के आज नहीं होगा। माननीय सांसद ने याद दिलाया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा अपनी रिटर्न जर्नी करेगी। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हमने श्रद्धालुओं को स्पेशल ट्रेन से यात्रा की सुविधा दी है। मैं उसका दो लाइन में लिखित जवाब दूंगा। माननीय सुप्रिया जी ने महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन के लिए एक्विजिशन की बात की, स्वाभाविक रूप से यह बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। उसका प्रत्येक चार्ट के हिसाब से काम अलग-अलग चल रहा है। महाराष्ट्र में पालघर में थोड़ा लैंड एक्विजिशन में विलंब चल रहा है, लेकिन यह कोई चालीस या पचास साल पुराना विलंब नहीं है। मैं उसकी बात कर रहा था। इस विलंब पर एक डेढ़ साल से चर्चा चल रही है। हम संवेदनशील सरकार हैं। आदिवासी भाई-बहनों के साथ चर्चा कर रहे हैं कि हम उनके सुख-दुख में क्या कर सकते हैं, कैसे हम उनकी मदद कर सकते हैं, भाईचारे से जमीन को लेकर ट्रेन अपने निर्धारित समय पर काम करेगी। आपने कॉरपोरेटाइजेशन, एसपीवी वगैरह अलग-अलग शब्द हैं, ये अलग-अलग तरीके हैं, जिनसे निवेश लाया जाता है, पीपीपी, ये सब अच्छे तरीके होते हैं और देश हित के लिए हम सब इन तरीकों को अपनाते हैं। आपने रनिंग किलोमीटर और ट्रैक किलोमीटर का फर्क पूछा। मुझसे गलती हुई थी और मैं उसे स्वीकार करता हूँ क्योंकि दोनों फिगर्स इंटरप्ले हो गए थे। जो रनिंग किलोमीटर होते हैं, वे यार्ड्स के अंदर लाइन होती हैं या सटिंग लाइन होती है उसको नहीं गिनते हैं। उसको बाहर निकाल कर रनिंग किलोमीटर बनाया जाता है।

(1330/SK/NKL)

अब 1 लाख 23 हजार ट्रैक किलोमीटर है, रनिंग किलोमीटर 94,735 है, the difference is of shunting lines, yard lines and all that.

माननीय गाला जी ने वाल्टियर डिवीजन के बारे में पूछा है। गाला जी, आप तो बड़े उद्योगपति हैं, अर्थव्यवस्था और कैसे आर्थिक जगत कैसे चलता है, इसकी बहुत समझ रखते हैं। हम जोन्स की एक-एक प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, निवेश से सुविधाओं में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। पूरे देश की रेल की चिंता रेलवे करती है। स्वाभाविक है कि अलग एरियाज़ में अलग-अलग प्रॉफिट एंड लॉस होगा। इधर फ्रेट से ज्यादा है, ऐसे देखें तो भारत की रेल का पूरा निवेश सिर्फ झारखंड या उसके आसपास करना पड़ेगा। झारखंड, छत्तीसगढ़ के इलाके से बहुत बड़े रूप में मिनरल वैल्यू आती है। ऐसे नहीं होता है। रेलवे पूरे देश का चित्र देखकर आवश्यकता के हिसाब से निवेश करती है। आंध्र प्रदेश के भाई-बहनों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई छोटी लाइन रहे, न रहे या दूसरे डिवीजन में जाए, पूरे रेल की प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से निवेश होता है। आंध्र प्रदेश के साथ कोई भेदभाव कभी नहीं होगा। धन्यवाद।

(इति)

माननीय अध्यक्ष: रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर सदस्यों द्वारा अनेक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। मैं अब सभी कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान हेतु रखूंगा जिन्हें पेश किया गया माना गया है।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है –

“ कि अनुदान की मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में रेल मंत्रालय से संबंधित मांग सेख्या 82 के सामने दर्शाए गए मांग शीर्ष के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु अनुदानों की मांगों की सूची के स्तम्भ 4 में दर्शायी गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही दो बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।
1332 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न-भोजन के लिए अपराह्न दो
बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

(1430/SRG/MK)

1433 hours

*The Lok Sabha re-assembled after Lunch at ThirtyThree minutes past
Fourteen of the Clock.*

(Shri Bhartruhari Mahtab *in the Chair*)

RE: BUSINESS OF THE HOUSE

HON. CHAIRPERSON: We are taking up The Central Universities (Amendment) Bill, 2019.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I have a point of order. The financial business is listed in today's List of Business as item No. 21 i.e. discussion and voting on Demands for Grants under the control of the Ministry of Road Transport and Highways for 2019-20. As per Rules 220 and 221, when the financial business is incorporated in the List of Business, then, only after the completion of the financial business, the legislative business shall be taken up except the introduction of the Bill. You may kindly go through Rule 220. Rule 220 says:

“Notwithstanding that a day has been allotted for financial business under rules 207, 208, 218 or 219, a motion or motions for leave to introduce a Bill or Bills may be made and a Bill or Bills may be introduced on such day before the House enters on the business for which the day has been allotted.”

(1435/SRG/YSH)

It means that only introduction of Bill is permitted when the financial business is listed in the List of Business. Also, Rule 221 gives ample powers and authority to hon. Speaker to conclude the financial business at the earliest. It is to protect the Government. I would like to know from the Government whether the financial bill or the financial business is more essential or this Bill is important. I would like to know whether this Bill is so important than the financial business of the Government. I would like a clarification from the Government. If Rules 220 and 221 are there, it is really a bar until and unless the Speaker directs it in a different way.

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): Hon. Minister.

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): प्रेमचन्द्र जी ने इश्यू तो वैलिड उठाया है, लेकिन इनके ध्यान में रहना चाहिए कि BAC is supreme.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): BAC is not supreme.

HON. CHAIRPERSON: Let him complete.

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: As regards consideration and allotment of time, the BAC is supreme. It is mentioned in the Rules. ...*(Interruptions)*

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Please do not mislead the House. BAC is not the supreme authority. Rules and Procedure is the supreme authority.

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: But who made the Rules and Procedure?

...*(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, let us first hear him.

श्री अर्जुन राम मेघवाल: बी.ए.सी. में यह तय हुआ था। बी.एस.सी. में यह डिसाइड हुआ कि नेशनल हाइवे एण्ड रोड ट्रांसपोर्ट सोमवार को ले ले, यह बी.ए.सी. ने डिसाइड किया था और बिल आज पास करेंगे। यह भी बी.ए.सी. ने ही डिसाइड किया था।

HON. CHAIRPERSON: The question which Mr. Premachandran has raised is that if the Government is willing to put the financial matters at a later time, then he is willing. That is what the Rules provide for.

श्री अर्जुन राम मेघवाल: इसे सोमवार को लेने के लिए रिक्वेस्ट की है...*(व्यवधान)*

HON. CHAIRPERSON: I do not think he has any objection. It is about the priority of the business.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Today being a Friday, we just have one hour. Since it is a very small Bill, we would like to take this Bill and on Monday, we will continue with other work.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): मिस्टर प्रेमचन्द्र जी, इस हाउस के वरिष्ठ सदस्य हैं और इन्हें कानून के बारे में बहुत जानकारी है। रूल 389 यह साफ कहता है कि स्पीकर का सभी चीजों के ऊपर अधिकार है। यदि सरकार के साथ बात करके और यदि स्पीकर ने यह टाइम अलौट किया है तो इस पर कोई डिस्कशन ही नहीं होना चाहिए...*(व्यवधान)*

HON. CHAIRPERSON: I would give the benefit of doubt to Mr. Premachandran. He has raised a valid point and the Government has responded to it. Let us proceed.

Hon. Minister

CENTRAL UNIVERSITIES (AMENDMENT) BILL

1438 hours

मानव संसाधन विकास मंत्री (डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक): मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए”

श्रीमन्, मैं आंध्र प्रदेश के लोगों को बधाई देने के लिए भी खड़ा हुआ हूँ। आंध्र प्रदेश के लिए जो आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन एक्ट 2014 बना था, उसमें यह प्रावधानित था कि उसमें एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय और एक केन्द्रीय जनजाति विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। श्रीमन्, जैसा कि आप जानते ही हैं कि यह देश शिक्षा के क्षेत्र में पूरी दुनिया में शिखर पर रहा है। तक्षशिला और नालन्दा जैसे विश्वविद्यालय इस देश में रहे हैं। हमेशा इस देश के बारे में एक उक्ति रही है, जिसमें कहा है कि ‘एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्र शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्व मानवाः’ सारी दुनिया के लोगों ने हमारे देश में आकर के शिक्षा ग्रहण की और उसका हमेशा अनुसरण किया।

श्रीमन्, शिक्षा किसी भी व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र की नींव होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। शिक्षा ठीक होगी तो पूरा तंत्र ठीक होगा, परिवार ठीक होगा, समाज ठीक होगा, देश ठीक होगा और मुझे यह कहते हुए गर्व महसूस होता है कि नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने शिक्षा उन्नयन की दिशा में बहुत गंभीरता से ध्यान केन्द्रित किया है। सभी दिशाओं में चाहे प्रारंभिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो या चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र में तमाम प्रकार के शोध हों, उस दिशा में एक अभिनव पहल करते हुए, इस देश को फिर से ऊँचाइयों तक ले जाने का संकल्प लिया है।

(1440/RPS/KKD)

उसी संकल्प के साथ आज इस विधेयक को विचार करने और पारित करने के लिए सदन में लाए हैं। आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट की 13वीं अनुसूची में सभी बातों के होते हुए, ये दो विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात थी। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए 491.23 एकड़ और जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 525.08 एकड़ भूमि देने की पेशकश की थी। उसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपनी एक चयन समिति को वहां भेजा था और उस समिति ने सभी स्थानों को देखने के पश्चात् अनन्तपुर जिले में केन्द्रीय विश्वविद्यालय और विजयनगरम जिले में केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की थी। उसको मंत्रालय ने स्वीकार किया और उसकी डीपीआर बनाने के लिए ‘एडसिल’ को निर्देशित किया। ‘एडसिल’ द्वारा डीपीआर बनाने के बाद व्यय वित्त समिति से इसका अनुमोदन हुआ और मंत्रिमंडल ने इस पर अपनी सहमति दी है और दोनों विश्वविद्यालयों को खोलने के लिए सहमति दी है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 16 मई, 2018 को, जो आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने की दिशा में पहले चरण में 450 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था और जब तक विधिवत यह एक्ट पास होता है, तब तक इसको एक अस्थायी परिसर में चलाने की सिद्धान्ततः सहमति दी थी। उसी समय केन्द्रीय

विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 संसद में भी प्रस्तुत किया गया था, लेकिन वह पास नहीं हो पाया था। केन्द्रीय विश्वविद्यालय के साथ-साथ जो जनजातीय विश्वविद्यालय बनना था, उसके लिए भी 8 नवम्बर, 2018 को मंत्रिपरिषद ने अपना अनुमोदन दिया था और इसके प्रयोजन के लिए 420 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान भी किया।... (व्यवधान) पहला केन्द्रीय विश्वविद्यालय है और दूसरा जनजातीय विश्वविद्यालय है, दोनों अलग-अलग हैं। पहले के लिए 450 करोड़ रुपये और दूसरे के लिए 420 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। ... (व्यवधान) फिर हमने संयुक्त रूप में आन्ध्र प्रदेश में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय और एक जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2018 को हम लेकर आए और 14 दिसम्बर, 2018 को यह विधेयक सदन में प्रस्तुत भी हुआ। उसके बाद वर्ष 2018 चला गया तो वर्ष 2019 आया। चूंकि इसमें संशोधन जरूरी था, इसलिए तत्काल प्रभाव से हमारी सरकार ने उसे संशोधित भी किया और संशोधन करने के बाद वर्ष 2019 में 28 जनवरी, 2019 को संशोधित करते हुए, 12 फरवरी, 2019 और 13 फरवरी, 2019 को इसे लोक सभा में विचार के लिए लाया गया, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो सकी। 16वीं लोक सभा का विघटन हाने के कारण यह विधेयक व्यपगत हो गया। जब 17वीं लोक सभा आई, चूंकि इसके लिए मंत्रिपरिषद का अनुमोदन जरूरी था, हमारी सरकार ने मंत्रिपरिषद की दूसरी बैठक में इन दोनों को अनुमोदन दिया, जिसके बाद हम इस विधेयक को पिछली तारीख में लेकर आए। 8 जुलाई को यह विधेयक प्रस्तुत हुआ, उसके बाद आज हम इस पर विचार करने के लिए अनुरोध करने आए हैं। मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि हमारी सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के उन्नयन की दिशा में, ... (व्यवधान) शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए हमारी सरकार ने यह सशक्त और सबल कदम उठाया है और हम आज इस विधेयक को यहां लाए हैं।

(1445/RAJ/RP)

जब आंध्र के इतिहास में एक केन्द्रीय विश्व विद्यालय और एक केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है तो मैं बहुत विनम्रता से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पर विचार किया जाए और फिर इसको पास किया जाए।

(इति)

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): Motion moved:

“That the Bill further to amend the Central Universities Act, 2009, be taken into consideration.”

1445 hours

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Thank you, Chairman, Sir, for giving me this opportunity to speak on this important Bill, the Central Universities (Amendment) Bill, 2019, further to amend the Central Universities Act, 2009.

Sir, we are going to discuss a very important Bill in this august House. The Bill seeks to amend the Central Universities Act, 2009 to establish two Central Universities in Andhra Pradesh. Apart from Goa, Andhra Pradesh is the only State in India which does not have any Central University. The establishment of the Central University in Andhra Pradesh is mandatory under the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014.

According to the Bill, the objective of establishing two universities will increase access and quality of higher education and also promote avenues of higher education and research facilities for the people of Andhra Pradesh. But, there is nothing special in this Bill. It has an unclear Statement of Objects and Reasons. There is no mention of funding pattern for universities.

HON. CHAIRPERSON: You do not have it in the Bill. The detailed funding is never done in the Bill.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, ensuring quality education and reducing funding in Central Universities remains a big issue. These are lacunae in this Bill. The Government wants to promote higher education by establishing new Central Universities in all parts of the country, especially, in backward areas. This Bill does not give details of establishing both the Universities. It only states: "The aim would be to enhance education and research in two Universities." For example, there is no mention about the curriculum and administration of the Universities.

As far as establishment of the Tribal University is concerned, it is unclear whether the University would be reserved for tribals or not. What percentage of tribal population will get the benefits of this University? In what way the university will promote advance knowledge by providing instructional and research facilities in tribal art, culture and customs and advancement in technology to the tribal population of India? It is also unclear. The Bill is silent on crucial details like separate curriculum of the University.

The NDA Government is known for reducing grants for Central University. Besides that, the NDA Government has unduly interfered with the administration of many Universities in India. There have been attempts to re-formulate curriculum for these Universities.

The Central Universities in India are vastly understaffed. As on July, 2018, a total of 12 Central Universities, out of 40, have more than 75 per cent vacancy of professors, while for two of the Universities, the vacancy is 100 per cent. For example, the Central University of Haryana and Odisha have 10 per cent vacancies of professors.

(1450/RCP/IND)

I would like to give some examples. The Central University of Orissa in Koraput, Odisha is one of the 15 Central Universities established by UPA Government during the UGC XI Plan period to address the concerns of 'equity and access' and as per the policy of the Government of India, ...(*Interruptions*). I would not like to go through all the Universities. I would only like to give some examples regarding the number of sanctioned posts and vacant posts in the Central University of Orissa. Sanctioned posts of Professors are 23 and Professors posted are nil.

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): That was the position as on 1st April, 2018.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): These are the details according to the various papers available in the library also. Sanctioned posts of Associate Professors are 43 and only one Associate Professor is posted; 42 posts are lying vacant. Sanctioned posts of Assistant Professors are 88 out of which 16 Assistant Professor are posted; 72 posts are lying vacant. This is the position in the Central University of Orissa. ...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I think, this is the reply which the former Minister Shri Prakash Javadekar has given in this House in the last Lok Sabha. When he was HRD Minister, he had given this answer in this House.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Till now, that is the situation; there is no change. No appointment has been done so far.

I wish to highlight the serious lapses that the Government is conveniently side-lining. Higher education is the key and the gateway to the nation's progress. The allocation for higher education needs to be in parallel with the

increase in Gross Enrolment Ratio (GER). As per the All India Survey on Higher Education 2017-18, Gross Enrolment Ratio in higher education in India is 25.8 per cent, which is calculated for 18 to 23 age group. In 2016-17, the GER was 25.2 per cent.

Based on the increased ratio, I reiterate the position of Kothari Commission that six per cent of GDP must be allocated for education sector. The fact however remains that the share of spending in education in the whole Union Budget has decreased from 4.6 per cent in 2014-15 to 3.5 per cent in the Interim Budget 2019-20.

The spending on education sector as a percentage of GDP has reduced under the NDA Government in the past five years. The Ministry of Education, renamed as the Ministry of Human Resource Development, failed to spend over Rs. 4 lakh crore made available to them between 2014-15 and 2018-19, failing to meet the budgetary targets. According to a report of the Centre for Monitoring Indian Economy, the underspending by the NDA Government was nearly 17 per cent in 2014-15, which was the highest in the last 10 years. In the Central Universities, we have to ensure the quality of education.

(1455/SMN/VB)

In Kerala also, a Central University is established in Kasargod. It is a very backward district. In that Kerala Central University, a serious problem is being faced by the teachers. A large number of vacancies are vacant there. Our Ministry has not taken note to fulfil the teachers' vacancies. Without teachers, without professors and without associate professors, how can they run the University?

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): Your point is taken. You have another Member from your party to speak.

SHRI KODIKUNNIL SURESH(MAVELIKKARA): Yes Sir, I am concluding. I am not going into the details.

In Central University of Kerala, the BJP leaders have promised one thing. It is not only the BJP leaders but also the Ministers who have promised to change the name of the Central University as Narayana Guru University. This was the promise. But so far, no action has been taken.

So, I would like to request the hon. Minister to rename the Central University, Kasargod as Sree Narayana Guru University.

Hon. President of India in his speech has mentioned about Sree Narayana Guru. So, if you want to honour us, please honour Sree Narayana Guru and rename the Central University.

I have the last point. Sri Ayyankali is a great social reformer in Kerala. During the UPA Government period, Ayyankali Chair was established in Kasargod Central University. After that, the NDA Government came to power. This Chair was cancelled. So, I would like to request the hon. Minister to reinstate that Chair and sanction sufficient fund for this Chair so as to make students aware of this great social reformer.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): Hon. Chair has asked another Chair to sit down!

SHRI KODIKUNNIL SURESH(MAVELIKKARA): I am concluding Sir.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): One Chair has asked another Chair to sit down! ...(*Interruptions*)

SHRI KODIKUNNIL SURESH(MAVELIKKARA): I am talking of the Central University Chair. ...(*Interruptions*)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): Your mike is off!(*Interruptions*)

SHRI KODIKUNNIL SURESH(MAVELIKKARA): I can put the mike on. ...(*Interruptions*)

In my Constituency, there is one Raja Ravi Verma Arts School. That school can be taken over by the Central University.

(ends)

1458 बजे

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): माननीय सभापति जी, सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल में यह बहुत ही साधारण-सा संशोधन है। जब प्रारंभिक तौर पर मैंने इस बिल को देखा, तो मेरे दिमाग में एक राजनीतिक विषय आया कि आखिर हमारी सरकार, जो देश की सरकार है, हमारी जो कल्पना है आंध्र प्रदेश के बारे में, बंटवारे के बाद हम लोगों ने आंध्र प्रदेश के लिए जो भी तय किया, आज उसका परिणाम है कि हमारी सरकार के प्रति जो आस्था है, देश के प्रधान मंत्री के प्रति जो आस्था है, वह दिखता है। जिन लोगों ने प्रधान मंत्री की आस्था पर ठेस पहुँचाई, आज न तो वे राज्य सरकार में हैं और न ही उनके कोई सदस्य यहाँ बैठे हैं। ... (व्यवधान) इसे देश की जनता समझती है। देश के प्रधान मंत्री की इस निष्ठा को जब-जब कोई चुनौती देगा, तब तक उसका जवाब इस देश की जनता इसी तरह से देगी।

यह बिल बहुत अच्छा है। इसके माध्यम से नौ सौ करोड़ रुपये एक ट्राइबल और एक जनरल यूनिवर्सिटी के लिए दिए गए हैं। स्थान भी अच्छा चुना गया है, यह भी बेहतरीन है। इस विषय पर थोड़ा इतिहास में जाना आवश्यक है।

859 ए.डी. में दुनिया की जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज थीं, वे मोरक्को में थीं और उसके बाद इटली की बुलगाना यूनिवर्सिटी थी। हमारे देश में वैदिक एज से, हजारों वर्षों से हम लोग इस परम्परा को लेकर चल रहे हैं। वैदिक एज के बाद मॉडर्न एजुकेशन एज आया, जो ब्रिटिशर्स के समय था। ईस्ट इंडिया कम्पनी भारत में आई और उसने अपने उद्देश्यों के लिए भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की।

(1500/KDS/MMN)

सबसे पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में 1781 में विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उसके बाद बंगाल में 1784 में एशियाटिक सोसायटी की स्थापना की। बंगाल का पुराना इतिहास रहा है। दादा, let's listen. आज बंगाल की भूमिका में भले ही परिवर्तन हो चुका हो, लेकिन देश के इतिहास में बंगाल की बड़ी भूमिका है। फोर्ट विलियम कॉलेज सन् 1800 में स्थापित हुआ। Now, these figures और भारत के प्राचीन विश्वविद्यालय महोदय, अगर मंत्री जी को बोलने के लिए छोड़ दिया जाए तो हम लोगों को बोलने का चांस ही नहीं मिलेगा, क्योंकि विषय पर असली ज्ञान तो इनका है जो इस कुर्सी पर बैठे हैं और उनको सुनकर सच में अच्छा लगता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो आधुनिक पाकिस्तान में इस्लामाबाद के पास स्थित है वह सातवीं शताब्दी में बना। नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है, हम लोगों के लिए प्रिय है। विश्वविद्यालय के रूप में सेंट्रल यूनिवर्सिटी 450 ईसवीं में, उदानपुरी बिहार 550 ईसवीं में, सोनपुर बांग्लादेश में है, जगदला पश्चिम बंगाल में है। बंगाल तो हमेशा कमाल करता रहा। नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में, विक्रमशिला बिहार में है। निशिकांत जी यहां नहीं है। यहां भी विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्वीकृति हुई है। वल्लभ जी गुजरात में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में बनारस विश्वविद्यालय, कांचीपुरम, मनिखेत कर्नाटक में, शारदा पीठ कश्मीर में, पुष्पागिरी, ओडिशा में, यह हमारे इतिहास में है। सन् 1857 के बाद 3 ऑफिशियल यूनिवर्सिटीज बने। दादा ने सही कहा - मुंबई, कोलकाता और मद्रास में। यह सब ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के पैटर्न पर था तो भारत का उसमें बहुत खास योगदान नहीं था।

महोदय, अब जिस विषय पर मैं आ रहा हूं, वह यह कि भारत में आजादी के तुरंत बाद 20 विश्वविद्यालय और लगभग 496 कॉलेज थे, लेकिन अगर बहुत सारे विश्वविद्यालयों में हम पन्ने पलट कर देखें तो ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय हैं और ऐसे ऐसे कॉलेजज भारत में हैं जिनमें से एक भी कॉलेज के सिलेबस में एक शब्द का भी परिवर्तन पिछले 40 वर्षों में नहीं हुआ। वहां उसी तरह की पढ़ाई चल रही है। हम आज केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं बड़ी गुणवत्ता के साथ विश्वविद्यालय अध्यापन के लिए भारत सरकार और मोदी जी चिंतित हैं। अलग से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना, जो अभी तक 14-15 हैं और दो की आज स्वीकृति प्राप्त होगी। सन् 1956 में यूजीसी की स्थापना इस उद्देश्य से हुई कि एक स्टैंडर्ड बने, मॉडल एजुकेशन बने। आज की तारीख में लगभग 700 विश्वविद्यालय और 40 हजार कॉलेजेज पूरे भारत में हैं, लेकिन एक चीज हम देखते हैं कि जब भारत में इतने सारे कॉलेजेज हैं, जिन पर लगभग 43 हजार करोड़ रुपये वार्षिक खर्च होता है, फिर भी बड़ी संख्या में भारत के विद्यार्थी बाहर जाकर पढ़ते हैं। यह एक बड़ा विषय है और इसके बावजूद आज भारत के विश्वविद्यालयों में बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ते हैं। आपने भी विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है। हायर एजुकेशन में भी शिक्षा हेतु कई सारे कमीशन बनाए गए हैं। आज पूरे भारतवर्ष में लगभग 14 करोड़ बच्चे विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। भारत, अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। वास्तव में यह संख्या बहुत बड़ी है।

माननीय मंत्री जी, ये आंकड़े इसलिए हैं, क्योंकि जिस विषय पर मैं पहुंचने वाला हूं उससे आप समझ सकें कि आखिर चिंता का कारण क्या है और भारतवर्ष में क्या हो रहा है? हायर एजुकेशन में जो बच्चे हैं, उनकी संख्या लगभग 3 करोड़ 66 लाख है। अभी हमारे भारत में लगभग 700 कॉलेजेज, यूनिवर्सिटीज एफिलिएटेड हैं। हायर एजुकेशन में लगभग 37 हजार एफिलिएटेड कॉलेजेज और 12 लाख 84 हजार शिक्षक हैं। जो भी बजट है, उसका 80 प्रतिशत सैलरी शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग अध्यापकों को दे देते हैं।

महोदय, मैं कभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का महत्व नहीं समझता था, तो मैंने एक टीम बनाई और कहा कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर बच्चों से संपर्क करें। मैं आश्चर्यचकित हो गया कि भारत के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बच्चों की संख्या जानकर कि जितने बच्चे विश्वविद्यालयों में नहीं हैं, उसके तुलनात्मक तौर पर बच्चे आज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हैं। जब कोई कॉलेज का बच्चा आकर मुझसे कहता था कि बड़ी चिन्ता है, एग्जाम्स टाइम पर नहीं हो रहे हैं, डिग्री नहीं मिल रही है, तो मैं हर बार सोचता था कि यह तो उस कॉलेज का विद्यार्थी है ही नहीं, जिसकी यह बात कर रहा है। कभी मैंने इसकी पढ़ाई नहीं देखी है, तो इसे सर्टिफिकेट की चिंता क्यों हो रही है?

(1505/MM/VR)

इसे सर्टिफिकेट की चिंता क्यों हो रही है? उसे सर्टिफिकेट की चिंता इसलिए हो रही है कि वह बच्चा कॉलेज में दाखिला लेता है, उसके बाद जब परीक्षा आती है, वह रजिस्ट्रार के ऑफिस के सामने बैठा रहता है। अगर उसे किसी नौकरी के लिए एप्लीकेशन डालनी है तो उसे ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, उसे पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। उसकी पढ़ाई तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश और हमारे माननीय अध्यक्ष जी का शहर इसके लिए प्रसिद्ध है कि कोई बच्चा इंटरमीडिएट में एडमिशन लेता है और सीधे कोटा के लिए रास्ता पकड़ लेता है। यह गलत नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन शैक्षणिक व्यवस्था में एक परिवर्तन आया है। मेरे दिमाग में तो यह आया है कि कॉलेजेज के बिल्डिंग्स खाली पड़े हैं, अगर सचमुच डिग्री ही देनी है तो आप ऐसे कोचिंग कॉलेजेस के लोगों को बुला लीजिए और उनसे कहिए कि इतने क्लास रूम्स खाली हैं, आप बिडिंग करके इतने बच्चों को क्लास में ले आइए, हम आपको बिडिंग फ्री में दे देंगे, आप बच्चों को कॉलेज में ले आइए। अगर आप देश के कोचिंग वालों को कह दीजिएगा कि ये भव्य बिल्डिंग्स, जिनके बड़े-बड़े अहाते हैं, फुटबाल ग्राउण्ड्स हैं, उनमें बच्चों को लाने के लिए कोचिंग क्लासेस वालों को अनुमति दे देंगे कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस बिल्डिंग में पढ़ा सकते हैं तो जो बच्चे देश भर के कॉलेजेस के कैम्पसेस को छोड़कर पढ़ाई कर रहे हैं, वे वापस अपने कैम्पस में लौट आएंगे। अब सोचने का समय आ गया है कि आखिर हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्या कमी है? पूरे भारत में 40 बिलियन यूएस डॉलर की ट्यूशन इंडस्ट्री है और 35 परसेंट सीएजीआर है। Compounding growth of admission and teaching in private institutions of coaching categories is 35 per cent. आजकल तो वेबसाइट्स आ गई हैं, एड्यूकार्ट, ब्रिजेज और भी कई नाम हैं, जिनमें आप चले जाइए तो यह बताएगा कि यह कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छा है।

सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज़ 15 बना देंगे, 20 बना देंगे, हम प्रधान मंत्री जी से आग्रह करेंगे तो वे 30 बना देंगे।

माननीय सभापति (श्री भर्तृहरि महताब): सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज़ अभी 40 हैं और ये दो और बन रहे हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): मैं यह कह रहा हूँ कि 40, 50 या 60 बना देंगे। आखिर पूरे भारत के विश्वविद्यालय के कॉलेजेस ठीक नहीं हैं तो हम कैसे इसको स्टैंडर्डइज़ करेंगे, इसमें क्वालिटी एक्सीलेंस लाएंगे। आखिर देश में यह कब तक चलता रहेगा? मैं यह नहीं कहता हूँ कि सब जगह पढ़ाई खराब है। मैं पंजाब विश्वविद्यालय से पास करके आया हूँ और मैं जानता हूँ कि वहां की पढ़ाई उस समय तक अच्छी थी और आज भी अच्छी होगी। लेकिन कई सारे विश्वविद्यालयों की जो स्थिति है, मैं अपनी आंख से देखता हूँ कि कॉन्स्टीयूट कॉलेजेस के कमरे खाली हैं, एफिलिएटिड कॉलेजेस के कमरे खाली हैं, परीक्षा के समय फॉर्म भरने के लिए लम्बी-लम्बी लाइनें लगती हैं। संजय जी बैठे हैं, नित्यानन्द जी बैठे हैं और हम सब लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से पहले लम्बी लाइनें लगती थीं। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, मैं राजनीति में चला आया। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं पाया। मैं पटना के एएन कॉलेज में लेक्चरर बना। मैं तीस साल से राजनीति में हूँ और आज भी छुट्टी पर हूँ, यह दूसरा विषय है। आज भी लेक्चरर हूँ। NSSO data says that one out of every four students in this country goes for a tuition. The total number of children who go for tuition in this country is 7.1 crore, which includes four crore boys and three crore girls. This is the number of children going for tuition. इसमें भी स्टडी ग्रुप्स। किस तरह से ट्यूशन होता है, यह सब लेजिटिमेट है और हम सबके घरों से बच्चे जाते होंगे, हमारे परिवार के बच्चे जाते होंगे। क्लासरूम में स्टडी ग्रुप्स हैं, होम ट्यूटोरियल्स हैं। 3500 करोड़ रुपये की ऑनलाइन शिक्षा है। देश के प्रधान मंत्री को बधाई देना होगा कि आप सब अकेडमिक ट्यूशन के हैं, नॉन अकेडमिक ट्यूशन में अगर भारत का सबसे ज्यादा एनरोलमेंट है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसमें है, नॉन अकेडमिक का पूरे भारतवर्ष में योग टीचर का है। यह बहुत ख्याति की बात है। कम से कम स्ट्रीम बदलकर लोग योग की तरफ जा रहे हैं। अधीर जी, आप हंसें नहीं, यह सचमुच में एक बड़ी बात है। भारत की सरकार आज 33 हजार करोड़ रुपये उच्च शिक्षा पर खर्च कर रही है।

1510 बजे

(श्रीमती रमा देवी पीठासीन हुईं)

(1510/SJN/SAN)

आपने सात-आठ हजार करोड़ रुपये बढ़ा भी दिए हैं। महोदया, आपके यहां का भी विश्वविद्यालय हम लोगों के बगल में है और हम लोग जानते हैं। 55,000 करोड़ रुपयों के आसपास प्राइमरी शेड्यूल है। लगभग 85 हजार करोड़ रुपये हम लोग इस देश में शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। मंत्री जी, मैं ठीक कह रहा हूँ। इस बार के बजट में आपने लगभग इतना ही दिया है।

मैं अब थोड़ा बिहार पर आ जाता हूँ। बिहार में भी तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए कहा गया था। एक तो नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसमें काम शुरू हो गया है, वह बहुत अच्छा चल रहा है।

उसे आगे भी मजबूती देनी चाहिए। उसके बाद हमारे यहां महात्मा गांधी विश्वविद्यालय है, राधा मोहन सिंह जी, मोतिहारी से सांसद हैं, भारत की सरकार और प्रधान मंत्री जी ने पैकेज में दिया है। लेकिन श्रीमान्, एक विश्वविद्यालय अटका हुआ है...(व्यवधान)

श्रीमान्, मेरा आपके माध्यम से एक आग्रह है कि हम लोगों ने तक्षशिला के बारे में कहा है, भागलपुर विश्वविद्यालय के बारे में कहा है। पूरी दुनिया में पहला वाइस चांसलर अगर कहीं हुआ है, तो वह तक्षशिला में हुआ है। उस समय के जो वाइस चांसलर थे, वह वाइस चांसलर बिहार से आए और जो नालंदा यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार था, जो शिक्षा को कंट्रोल करता था, वह तक्षशिला में था। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सन् 1194 में जब तक्षशिला में आग लग गई थी, उसी समय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना लंदन में हुई थी। यह एक इतिहास है। अब मैं उस पर लौटकर आता हूं।

मंत्री जी, आप इतने खुशदिल हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं। सारण जिला, छपरा, बिहार जहां से मैं आता हूं और देश के प्रधान मंत्री जी के कारण, मैं कभी-भी 25-30 हजार और 10,000 वोटों से जीतता था, लेकिन इस बार 1,32,000 वोटों से जीतकर आया हूं। कभी सवाल ही नहीं होता था और हम तो लड़ते रहे हैं...(व्यवधान)

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी) : यह छोटा बिल है, इसलिए किसी और को भी समय देने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : महोदया, मैं एकदम ईमानदारी से बता रहा हूं। मंत्री जी भी मेरा समय खा गए हैं और श्रीमान् जी ने भी मेरा समय ले लिया है। उधर जो बैठे हैं, श्री प्रेमचन्द्रन जी ने मेरा समय ले लिया और मैं चीफ व्हीप की बात को नहीं काट सकता हूं। चीफ व्हीप ने 10 मिनट के लिए कहा है और मुझे बोलते हुए अभी 8 मिनट हुए हैं।

माननीय सभापति : आपको 14 मिनट हो गए हैं।

...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : महोदया, आपको अपनी घड़ी को ठीक करना होगा...(व्यवधान) मुझे दो मिनट और दे दीजिए। अगर विषय बीच में ही रह जाएगा, तो इतने बड़े पार्लियामेंट का उपयोग कैसे होगा...(व्यवधान)

माननीय सभापति : अभी दो और माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : महोदया, मैं उनकी भी बात को समझा देता हूं...(व्यवधान) मेरा आपसे आग्रह है कि सारण, छपरा, बिहार, गंगा, घाघरा, गंडक के निकट जय प्रकाश विश्वविद्यालय है। महोदया, जय प्रकाश जी के बारे में आपको क्या बताना है। डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, वहीं से थे। वहां जय प्रकाश विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। आप हमको कुछ मत दीजिए। आप मुझे सेन्ट्रल स्कूल का एडमिशन भी मत दीजिए। श्रीमान्, जय

प्रकाश विश्वविद्यालय पर एक सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव सरकार को दे दीजिए...(व्यवधान)

माननीय सभापति : ठीक है, बहुत अच्छी बात है।

...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : महोदया, हिना जी बैठी हुई हैं और यहां पर सब हमारे माननीय सांसद बैठे हुए हैं। पटना विश्वविद्यालय अच्छा विश्वविद्यालय है, वहां की भी मांग है। जब इसको मांग रहे हैं, तो पटना विश्वविद्यालय का भी दे दीजिए। यह बहुत पुरानी मांग है। देश में पटना विश्वविद्यालय का बहुत नाम है। वहां पर पिछले साल राष्ट्रपति जी गए थे।

महोदय, आप दिल के बड़े हैं और देश के प्रधान मंत्री किसी भी अच्छे काम के लिए, आपने सुना होगा कि पीयूष गोयल साहब ने कहा है कि जहां 700 का टारगेट था, उसको 1400 कर दिया था।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सांसद, प्रोफेसर सौगत राय जी।

...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : महोदया, देश में गुणवत्ता के साथ शिक्षा के लिए यह आवश्यक है कि और भी केन्द्रीय विद्यालय चाहिए। मैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने जिले के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने सभी सांसदों के साथ यह मांग करूंगा कि पटना विश्वविद्यालय को भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। इसके साथ ही साथ जय प्रकाश विश्वविद्यालय जहां पर हमारे क्षेत्र और पूरे सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर के बच्चे पढ़ते हैं।...(व्यवधान) देश के पूर्व प्रधान मंत्री चन्द्रशेखर जी और जय प्रकाश जी की वह धरती है। आप वहां के बच्चों के लिए हमें एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय दे दीजिए।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपको दे दिया।

...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : महोदया, हमारे नित्यानन्द जी की भी हामी है, संजय जायसवाल जी की भी हामी है और पूरे सदन की भी हामी है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : बिहार का उद्धार कर दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : महोदया, अतः मेरा आपसे आग्रह है कि एक प्रस्ताव बनाकर दे दिया जाए।

(इति)

(1515/SAN/GG)

1515 hours

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Madam, I rise to speak on the Central Universities (Amendment) Bill, 2019. This Bill proposes to set up two new universities in Andhra Pradesh – one general and one for the tribals. This is part of the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014. I thank the hon. Minister for fulfilling the commitment made in this Act. Andhra Pradesh has bled from partition and so, it should be made up. The Minister has allocated Rs. 450 crore for one university and Rs. 420 crore for another university in the first phase. More money will be allocated later.

This tribal university will be the first tribal university in India. So, we have to devise new courses, especially on tribal anthropology, social anthropology etc., and I am sure that all that will be done very well.

I have one difference with the concept of Central Universities being confined to one State. I feel that a university means *Vishwavidyalaya* where you bring the whole world's knowledge to one place. I feel that a Central University may be in a State, but it should appeal to the whole country and students from all over the country should come to the Central University. That will be the model. For example, Delhi University is the best university in the country and students from all over the country are coming here. It is a Central University, but cut-off marks for admission are 99 per cent or 99.5 per cent. Unless the Delhi University increases the number of seats in the colleges, this terrible pressure on Delhi University will stay.

There is another university in Delhi, Jawaharlal Nehru University, which truly attracts students and scholars from all over the country. The Government does not like it because it has the likes of Kanhaiya Kumar and others, but I think, it is an excellent centre for studying social sciences and other sciences.

While speaking on this Bill, I may say that there is only one Central University in Bengal – Visva-Bharati University. It is a legacy of the freedom struggle. Gurudev had requested Mahatma Gandhi to take over Visva-Bharati. Mahatma Gandhi had requested Jawaharlal Nehru and that is how Visva-Bharati University came into being, but now that University is in a very bad state. There are infinite number of vacancies for the posts of teacher. So, Visva-Bharati University should be looked after quickly. There is a demand for

another full-fledged Central University in Bengal. I would request the Minister to give attention to the same.

Lastly, I want to say a word about curriculum. I read in the newspapers two days back that a university in Nagpur is including the history of RSS in the curriculum. I am strongly opposed to this. RSS was not a part of our freedom struggle and its history should not be taught in universities and colleges. They did not participate in Quit India Movement, nor in the 1930s movement.

Another thing is that Jawaharlal Nehru had said that universities should foster scientific temperament. Pseudo-sciences like astrology should not be taught in the universities, whatever be the Minister's personal inclination. I want the new universities to be real centres of modern scientific knowledge in both science and humanities. Only then, the purpose for which so much money is being spent will be fulfilled. Let the universities work not to the RSS agenda but work to the national agenda.

Thank you.

(ends)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): मैडम, इनको केवल आर.एस.एस. ही दिखाई देता है। ... (व्यवधान)
आप आर.एस.एस. का नाम हटवा दें।

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): कोई बात नहीं है। दिखने दीजिए न, दिखते-दिखते तो ऐसा हो गया है।

1519 hours

SHRI LAVU SRI KRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): I thank the Chair for giving me this opportunity to speak on this Central Universities (Amendment) Bill, 2019.

On behalf of the YSR Congress Party, we welcome this Bill as it helps my State of Andhra Pradesh. As Andhra Pradesh was divided after 2014, we were left with no Central University in our State, but after passing of this Bill, we will be having one Central Tribal University and also a Central University established in our State in the coming years.

(1520/RBN/KN)

Everyone sitting here will agree to the point that a Central University should attract students from across the country, faculty from across the globe as well as establish modern laboratories and do research which will take the society and the country forward. We all agree to that.

We should all remember that the State of Andhra Pradesh was divided in the year 2014. After the State got divided, we waited for almost four and a half years for this to happen. These two Universities have already been functioning for the last one year in Andhra Pradesh. They do not have the legal sanctity till now. But with this Bill, they are getting the legal sanctity.

I want to make a few more points, through the Chair, to the hon. Minister here. The Ministry of Human Resources Development has sanctioned Rs. 420 crore three years back to the Central Tribal University. Last year the Vice-Chancellor sent a DPR for almost Rs. 952 crore. So, I urge upon the Minister, through the Chair, to re-do the sanction that the MHRD has done.

In 2018, the MHRD has allocated Rs. 10 crore in the Budget and this year it has allocated Rs. 8 crore in the Budget to run the Central Tribal University, which is supposed to attract faculty and students from across India. So, I urge upon the Minister, through you, to be more liberal, to be more magnanimous towards the University. Where is Rs. 952 crore that was asked for and where is Rs. 10 crore that is being allocated every year? We want this to be hastened up so that we can establish the infrastructure sooner or later.

In Andhra Pradesh the literacy among Scheduled Tribes who should be getting into these Universities is around 46 per cent whereas the national average is almost 59 per cent. Why am I mentioning this? We established

Ekalavya schools in areas where tribal population is more. The Budget that is allocated for these schools, where tribal students will go, get educated and do the further education in the universities, in 2017-18 was Rs. 241 crore. But somehow in 2019-20 Budget you have reduced the Budget from Rs. 241 crore to Rs. 31 lakh. If I am wrong please correct me. If the Budget is allocated under some other Head, please correct me. ...(*Interruptions*) Give me one more minute. I will complete my speech. So, you please correct me if I am wrong. Unless we strengthen the schooling system where the students can go, study and then go for further studies, we cannot expect the Central Tribal Universities to be successful.

The hon. Minister has already accepted that 500 acres of land has been allocated in Ananthapur. But this Central University is conducting only one course, which is B.A. (Political Science) and some vocational courses. So, we expect the University to run with few more courses wherein faculty and students can actually come in and take their research forward.

(ends)

1524 बजे

श्री राहुल रमेश शेवले (मुंबई दक्षिण-मध्य): सभापति महोदया, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे द सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल, 2019 पर बोलने का मौका दिया। आंध्र प्रदेश री-आर्गेनाइजेशन एक्ट, 2014 के तहत यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी और सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश को सैंक्शन हुई है। मैं माननीय एच.आर.डी. मिनिस्टर का अभिनन्दन करता हूँ, क्योंकि पिछले पाँच साल से हमारे आंध्र प्रदेश के सदस्य इसकी डिमांड करते थे। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूँ कि आंध्र प्रदेश री-आर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत आंध्र प्रदेश को जो-जो कमिटमेंट दिया है, वह भी आप आने वाले दिनों में पूरा करें।

(1525/CS/SM)

महोदया, हमारी वित्त मंत्री जी ने बजट के दौरान इस सभाग्रह को संबोधित करते हुए बताया कि इस साल के बजट में हम विदेश के स्टूडेंट्स को भी अपने देश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आकर्षित करेंगे और देश के विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। मैं आपके माध्यम से एचआरडी मिनिस्टर को बताना चाहता हूँ कि विदेश के स्टूडेंट्स से ज्यादा हमें अपने स्टूडेंट्स पर ध्यान देना चाहिए। इस बिल पर हो रही चर्चा के माध्यम से मैं मुंबई यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम्स को माननीय एचआरडी मिनिस्टर के सामने रखना चाहता हूँ। मुंबई यूनिवर्सिटी का जो कलिना कैंपस है, उसकी हालत बहुत खराब है। मुंबई यूनिवर्सिटी का इतिहास 162 वर्ष पुराना है, यानी मुंबई यूनिवर्सिटी को 162 वर्ष हुए हैं। वहाँ पर प्रोफेसर के 86 पद हैं, जिनमें से 59 पद खाली हैं। वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के 129 पद हैं, जिनमें से 57 पद खाली हैं। इसी तरह से वहाँ पर बहुत सारे पद रिक्त होने की वजह से स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है। इसका कारण यह है कि मुंबई यूनिवर्सिटी से रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है और वाइस चांसलर वहाँ पर कान्ट्रैक्ट बेसिस पर प्रोफेसर को नियुक्त करते हैं। 7वें वेतन आयोग के तहत उन्हें पेमेंट देना पड़ेगा, इस कारण वे सभी प्रोफेसर को कान्ट्रैक्ट बेसिस पर रख रहे हैं। मैं एचआरडी मिनिस्टर से निवेदन करता हूँ कि मुंबई यूनिवर्सिटी में जो भी पद रिक्त हैं, उन पदों पर प्रोफेसर की नियुक्ति जल्द की जाए। मुंबई यूनिवर्सिटी को एक स्पेशल फण्ड की जरूरत है। मुंबई यूनिवर्सिटी के रीडेवलपमेंट, कलिना कैंपस के रीडेवलपमेंट का प्लॉन ऑलरेडी सब्मिट हुआ है और उसका 500 करोड़ रुपये का बजट है। मुंबई यूनिवर्सिटी या स्टेट गवर्नमेंट के पास इतनी राशि नहीं है। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि 500 करोड़ रुपये का स्पेशल फण्ड मुंबई यूनिवर्सिटी को दिया जाए। मुंबई यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी डिस्टेंस एजुकेशन फण्ड के लिए भी सेन्ट्रल गवर्नमेंट को एप्लाई किया है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो कलिना कैंपस में बनना है, वह प्रपोजल भी मुंबई यूनिवर्सिटी ने दिया है। मुंबई यूनिवर्सिटी के माध्यम से स्पोर्ट्स स्पेशलाइज्ड डिग्री कोर्स चालू करने का प्रस्ताव भी मुंबई यूनिवर्सिटी ने दिया है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से मुंबई यूनिवर्सिटी को इम्प्रूव करने के लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट से निवेदन करता हूँ। अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी का 2-3 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले मुंबई यूनिवर्सिटी में पेपर्स चेंकिंग का काम मैनुअल होता था, अब पेपर्स चेंकिंग का

काम ऑनलाइन होने लगा है और यह काम ऑनलाइन होने की वजह से बीच में 2-3 साल स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हुई थी। जो ऐडमिशन का प्रोसेस है, उसमें भी ऑनलाइन का एक स्कैम सामने आया और उसकी वजह से भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई थी। इन सब चीजों की इंकवायरी मिनिस्ट्री के माध्यम से होनी चाहिए।

अंत में, मैं यही बताना चाहता हूँ कि शिव सेना नेता हमारे आदित्य ठाकरे जी, जो युवा सेना के प्रमुख हैं, उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी का इश्यू बार-बार एचआरडी मिनिस्टर के सामने भी रखा है, केंद्र सरकार के सामने भी रखा है। मैं आपके माध्यम से एचआरडी मिनिस्टर से निवेदन करता हूँ कि मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल फण्ड देना चाहिए। मुंबई से सेन्ट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, 40 परसेंट रेवेन्यू मुंबई से सेन्ट्रल गवर्नमेंट को जनरेट होता है, तो यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि मुंबई के लिए स्पेशल फण्ड देना चाहिए और स्पेशियली मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए, जिसका इतिहास 162 वर्ष का है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से फिर एक बार एचआरडी मिनिस्टर से अनुरोध करता हूँ कि मुंबई यूनिवर्सिटी के जो-जो प्रपोजल्स हैं, उन्हें तुरन्त मंजूरी दी जाए। धन्यवाद।

(इति)

1526 hours

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Madam. There is nothing much to say about. This Bill relates to Andhra Pradesh. But three issues have arisen from this Bill. मेरा एक प्रश्न है, अगर मंत्री जी उसका जवाब दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है कि वर्ष 2014 का बिल पारित हुआ था और आंध्र रीआर्गनाइजेशन (अमेंडमेंट) एक्ट बना था। उसमें प्रतिश्रुति दिया गया था कि यह सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी आन्ध्र प्रदेश में बनेगी और ट्राइबल यूनिवर्सिटी भी आन्ध्र प्रदेश में बनेगी। 5 साल तक आप सत्ता में रहे, लेकिन अभी हाल ही में, वर्ष 2018 में आपने सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी और सेन्ट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए तय किया। यूनिवर्सिटी का कुछ ट्रांजिट ऑफिस भी कहीं अनंतपुर में बना था, जो मुझे बताया गया है। 5 साल तक यह सरकार इस पर आगे क्यों नहीं बढ़ी? मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। आप अभी देर आये-दुरुस्त आये, हम इसका स्वागत करते हैं। There is another issue relating to Central Universities which Shri Suresh has already brought out in this House regarding the lack of faculties in Central Universities.

(1530/RV/AK)

हमारे सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज में फैकल्टीज नहीं मिलते हैं। मुझे याद आता है कि जिस समय डॉक्टर साहब प्रधान मंत्री थे, उस समय उन्होंने बार-बार कहा कि ज्यादा फैकल्टीज नहीं है, इसलिए हम 'यूनिवर्सिटी ऑफ हायर लर्निंग' ज्यादा खोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन, अगर हम आई.आई.एम., आई.आई.टी. और सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज खोल देते हैं तो उस हिसाब से हम उन्हें अट्रैक्ट करेंगे ज्यादातर लोग, जो बाहर पढ़ाने के लिए चले जाते हैं, उन्हें हम देश में वापस ला सकते हैं। पिछले दस सालों से, वर्ष 2008-09 से यह शुरू हुआ। हरेक राज्य में आई.आई.टीज., आई.आई.एम्स., सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज खुलने लगे, पर अब तक वही बुरी हालत है कि ज्यादातर फैकल्टीज इसमें नहीं आ रहे हैं। वे क्यों नहीं आ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सोचना जरूरी है, चर्चा करना जरूरी है। यहां पैसे कम मिलते हैं या कोई और दिक्कतें हैं? क्या इसमें 'सिक्वोरिटी ऑफ सर्विस' नहीं है? इसका क्या कारण है, इसे जरा देखने की जरूरत है। इस बार डिमांड-फॉर-ग्रांट्स में एच.आर.डी. मिनिस्ट्री पर चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो अपने रिप्लाय में यह बता सकते हैं।

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): महताब जी, आप जरा रुक जाइए।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदया, अभी प्राइवेट मेम्बर्स बिल का टाइम हो रहा है। अगर हाउस की सहमति हो और आपकी अनुमति हो तो बिल के पास होने तक इसका समय बढ़ा दिया जाए। इस बिल के पास होने के बाद प्राइवेट मेम्बर्स बिल ले लिया जाए।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): महोदया, इसके लिए कोई टाइम फिक्स कर दीजिए। माननीय मंत्री जी का जवाब चार बजे तक हो जाए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : हाँ, वह हो जाएगा।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): मैडम, जैसा कि प्रेमचन्द्रन जी ने मुद्दा उठाया था कि अभी फाइनेंशियल मुद्दा चल रहा है, उसके बीच में आप इस बिल को ले आए। इसमें रूल्स तोड़ा गया। फिर

दूसरा रूल्स तोड़ने जा रहे हैं। प्राइवेट मेम्बर्स बिल साढ़े तीन बजे होना चाहिए। यह अधिकार है, इसे भी तोड़ने जा रहे हैं। यह ठीक नहीं है। इस तरह से रूल्स को तोड़ना ठीक नहीं है।

माननीय सभापति: यह सदन की सहमति से हुई है। इसे चार बजे तक बढ़ा दिया गया है।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): मैडम, मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूँ। दूसरा पॉइंट यह है कि इस बजट में, जिस पर कल हम लोगों ने चर्चा की, इसमें 'स्टडी इन इंडिया' की बात की गयी है। बड़े तौर पर यह घोषणा की गयी है। इसका मतलब यह है कि ज्यादातर लोग बाहर से आएँ और हमारे यहां हायर एजुकेशन के लिए हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ें। पर, पढ़ने के लिए जो माहौल बनना चाहिए, क्या वह माहौल हमारे सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज में या दूसरी यूनिवर्सिटीज में है या नहीं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। यह जरूरी है कि ज्यादातर फैकल्टीज बाहर से आएँ। ज्यादातर बच्चे, जो बाहर जा रहे हैं, वे भी हमारे यहां पढ़ें।

The last point is that when Mr. Arjun Singh was the Minister for HRD, at that time the concept of having Central Tribal University was mooted. Odisha had asked for having a Central Tribal University in Odisha because Odisha is the repository of more than 24 tribes in Odisha itself whereas in other States there are limited number of tribes. There are large number of people or tribals in those States no doubt, but the variety of tribes are more in Odisha. Subsequently, it went to Madhya Pradesh, and division of Madhya Pradesh also happened.

Now, the first Central Tribal University is in Madhya Pradesh, and I think that the second Central Tribal University is going to be established in Andhra Pradesh. My request to the hon. Minister is this. ... (*Interruptions*)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): आपके यहां ट्राइबल्स कम हैं। हम लोगों के राज्यों में ज्यादा हैं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): तेलंगाना में ट्राइबल्स ज्यादा हैं।

मैडम, प्रकाश जावड़ेकर जी 3 दिसम्बर, 2018 को एक बिल लाए थे। इसमें लिखा गया था कि एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में होगी और वर्ष 2014 में जो एक्ट पास हुआ, उसमें लिखा गया था कि सेन्ट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी तेलंगाना में भी होगी। मुझे पता नहीं कि तेलंगाना के कोई मेम्बर इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ कि यह घोषणा हो चुकी है कि वारंगल में एक सेन्ट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी होगी। पर, अब तक वह नहीं हुआ है। हमारी डिमांड है कि जैसे हर एक स्टेट में एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी खुल रही है, उसी हिसाब से जो ट्राइबल डॉमिनेटेड स्टेट्स हैं, वहां भी सेन्ट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए। उसके साथ ही मैं यह भी जोड़ना चाहता हूँ कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी सिर्फ ट्राइबल्स के लिए नहीं है। उनके ऊपर जो भी रिसर्च करना चाहते हैं, उनके रहन-सहन और उनकी सिविलाइजेशन के बारे में जो भी गवेषणा करना चाहते हैं, वह भी इस करीकुलम में आएँ। आप इसमें एक परसेंटेज जैसे 60 परसेंट या 70 परसेंट रख सकते हैं। पर, बाकी लोग भी उस ट्राइबल यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं, इसके प्रति मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर अपने भाषण को विराम देता हूँ।

(इति)

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): आप लोग थोड़ा-थोड़ा बोलेंगे, तो सभी लोग बोल लेंगे।

(1535/MY/SPR)

1535 hours

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Madam, I stand here in support of this Bill. Justice delayed is justice denied. The Government could have brought this Bill because Andhra Pradesh and Telangana are going through difficult times. I am glad that देर आए दुरुस्त आए। It has come. I have two or three quick questions to ask. For me, education is something passionate, whether you sit on this side or that side. I don't think we disagree on anything when it comes to education. I think, the hon. Minister is bringing these Bills on piece by piece basis. Last week, we discussed the Central Universities Reservation for Teachers bill. Now, you have brought the Central Universities Bill. When we are looking at world class education, we need a New Education Policy for which the country is crying for. Why are you bringing these Bills on piece by piece basis? Why can we not have an integrated discussion on education and include all these Bills? I can't see why this is required in piece by piece basis. I urge the hon. Minister to bring a comprehensive education plan.

About autonomy, which even Shri Mahtab *ji* has talked about, we have to have education for all in an inclusive manner. We have brought the Right to Education for that. We brought it so that all children can study in an integrated manner. So, I would like to second Shri Mahtab *ji's* point.

Shri Krishna spoke specifically about tribal university. I would like to state here that there is a Central Government Programme called Kasturba Gandhi *Balika Vidyalaya*, which is specifically for tribal girls and only from 5th standard to 8th standard. Why do you not extend that in the entire country up to 12th, and then integrate it? I think, that is the only way. यहां 8 ट्राइबल यूनिवर्सिटीज बनाएंगे और देश में जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय चल रही है, इसका-उसका कोई लेना-देना ही नहीं है। I would like to urge the hon. Minister to kindly bring in a comprehensive plan; you take them from the 5th standard all the way up to post-graduation. Otherwise, it would not serve the purpose and would not serve the cause of making inclusive education for all.

Is this going to help in other States? Can we have an integrated programme so that we could have universities like this in the country, and in my State, Melghat in Amravati district, and Palghar in Thane district. Even

from the State I come, there are tribes like the dhangar community. If there is an integrated programme, we would be happy to welcome it.

Who are the stakeholders whom you have consulted in forming this tribal university? World wide there is no great programme; there are a few in isolation. If you are starting something new, we are happy. But then we need to discuss the methodology of it, and the autonomy should not only be with the Vice Chancellor, it should be with the teachers and students. Now, change in education globally is giving autonomy not to the institutions but to the students. So, I take this opportunity, and request the hon. Minister to form an integrated programme for the entire country and to bring in a New Education Policy. Please do not get trapped into bureaucratic procedures by bringing one small piece of legislation. Please bring in the whole policy. We are happy to work as long as you want and take some good ideas but come up with a comprehensive programme. Thank you.

(ends)

1539 बजे

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु (श्रीकाकुलम): सभापति महोदया, आपने मुझे इस अहम विधेयक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

महोदया, यह विषय हमारे राज्य से संबंध रखता है, इसलिए मैं यही आग्रह करूंगा कि आप मुझे बोलने के लिए दो मिनट अलग से समय दीजिएगा। सबसे पहले हम दो यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश के डिवीजन के समय जो ए.पी. रिऑर्गनाइजेशन एक्ट इस सदन में बना था, उस टाइम कुछ इंस्टिट्यूशंस अस्टवाइल आंध्र प्रदेश के थे, वे सारे इंस्टिट्यूशंस हैदराबाद या उसके आसपास हैं, जो उस समय तेलंगाना में जा रहे थे। विद्या के रूप में जो स्वयंशक्ति आंध्र प्रदेश को मिलना चाहिए, उस हिसाब से ए.पी. रिऑर्गनाइजेशन एक्ट में कुछ इंस्टिट्यूशंस रखे गए थे, उनमें से जो दो इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज थीं, वे सेन्ट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी और सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी हैं। दोनों यूनिवर्सिटीज के लिए आज सदन में विधेयक लाया गया है, इसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी इस विधेयक पर बोलने के लिए बहुत सारे स्पीकर्स खड़े हुए थे, उन सभी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आंध्र के विषय में हम जो दर्द सह रहे थे, उसको समझकर मैं उन सभी सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। Like Supriya ji has also mentioned, justice delayed is justice denied. I would like to say that this should have been brought earlier itself. It should have been done faster but better late than never.

(1540/CP/UB)

हमारे जो कंसर्न्स हैं, मैं उन्हें फिर दोहराना चाहता हूँ। हमारे पूर्व चीफ मिनिस्टर चंद्र बाबू नायडू ने विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट में रेल्ली विलेज में लगभग 525 एकड़ इसके लिए इंतजाम करके सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजा था। इसके लिए जो राशि दी गई थी, वह सिर्फ 18 करोड़ रुपये है। पिछली बार 10 करोड़ रुपये और इस बजट में 8 करोड़ रुपये। आपने अभी कहा है कि लगभग 420 करोड़ रुपये फर्स्ट फेज के लिए एस्टिमेशन है। हम यही पूछेंगे कि कब तक यह टाइमलाइन में बनेगा? बहुत सारे इंस्टिट्यूशन्स प्रॉमिस किए गए थे। आईआईटी भी आंध्र प्रदेश के लिए प्रॉमिस किया गया था। इसे तिरुपति में लगाने के लिए हमने कोशिश की। इसके लिए जो बजट एस्टीमेट था, उसमें से बहुत कम प्रतिशत राशि अभी तक रिलीज की गई है। उसी हालत में अभी एनआईटी भी है, उसी हालत में आईआईएम है, जो विशाखपट्टम में खुला है। ये सभी टेम्परेरी कैम्पसेज में हैं। सिर्फ बिल लाने से ही हम पूरी तरह से सहमत नहीं होंगे। जब तक पूरी तरह से ये नहीं बनते हैं, एक परमानेंट फैसिलिटी वहां पूरी तरह से खड़ी नहीं होती और फैकल्टी पूरी तरह से नहीं होती, तब तक इसका जो प्रभाव या महत्व है, उसके बारे में हम पूरी तरह से चर्चा नहीं कर सकते हैं।

जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहां अभी सिर्फ 6 कोर्सेज ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर हैं। यूनिवर्सिटी में फैकल्टी बहुत कम है। वेबसाइट में लिखा हुआ है कि अगले 3 साल तक एक परमानेंट फैकल्टी वहां पर एस्टैबलिश भी नहीं हो सकती। हम यही आग्रह करेंगे कि जल्दी से जल्दी यह बने। इसकी एक टाइमलाइन दी जाए कि कब तक ये सारे इंस्टिट्यूशंस आंध्र प्रदेश में

बनेंगे? केवल ये दो इंस्टीट्यूशंस ही नहीं हैं, वहां आईआईटी है, आईआईएम है, आईसीएआर भी हैं। ऐसे बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एचआरडी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं जिनके लिए हम टाइम लाइन चाहते हैं।

माननीय सदस्य रूडी जी हमारी काफी चिंता कर रहे थे। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी का वोट शेयर केवल .9 पर्सेंट है। उन्होंने 25 एमपी सीट्स और 175 एमएलए सीट्स पर प्रत्याशी खड़ा किया। ...(व्यवधान) वहां नोटा को 1.5 पर्सेंट वोट पड़े, उससे भी कम बीजेपी का वोट शेयर रहा। इसकी चिंता करिए कि यहां वोट क्यों नहीं मिले? ...(व्यवधान)

(इति)

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : ऐसे नहीं बोला जाता है। बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

1542 बजे

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर): सभापति महोदया, आपने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2019 पर अपने विचार सदन के समक्ष रखने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी पहल वर्ष 2014 से वर्ष 2019 के बीच की गई। तमाम उन इलाकों के अन्दर, चाहे ट्राइबल बेल्ट हो या अंतिम छोर पर बैठे हुए नार्थ-ईस्ट के लोग हों, शिक्षा का सबको बराबर अधिकार मिले, हर व्यक्ति शिक्षित हो, हर समाज शिक्षित हो, इस सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने बहुत बड़ी पहल की। मैं मानव संसाधन विकास मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आंध्र प्रदेश के अंदर दो विश्वविद्यालय, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और दूसरा आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के नाम से एक जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का उपबंध किया। इसमें कहा गया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 विभिन्न राज्यों में शिक्षण और अनुसंधान के लिए नए विश्वविद्यालयों की स्थापना और निगमन हेतु एवं उससे जुड़े विषयों के लिए अधिनियमित करता है। इस बिल से निश्चित तौर पर आंध्र प्रदेश राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। इससे उच्चतर शिक्षा तक पहुंच और उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होगी। इससे जनता के लिए उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं का मार्ग प्रशस्त होगा।

मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा हूं। राजस्थान विश्वविद्यालय में हमने आज से 20 साल पहले एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था कि उसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले। उस समय ज्यादातर सरकारें कांग्रेस की हुआ करती थीं। यदि केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा किसी को मिलता है, तो उसे यूजीसी से अतिरिक्त ग्रांट भी मिलती है, सारा पैसा केंद्र सरकार देती है, सारे सबजेक्ट भी खुलते हैं, उसे राज्य सरकार की तरफ टकटकी लगाकर नहीं देखना पड़ता है। राज्य सरकार का हस्तक्षेप कम होता है। मैं इस बिल का, मेरी पार्टी आरएलपी की तरफ से समर्थन करता हूं। आपने यह जो पहल की है, इसका मैं समर्थन करता हूं। मंत्री जी को इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि सेंट्रल स्कूल्स के अंदर 10-10 एडमिशन कर दिए हैं और शायद अभी 50-50 एडमिशन करने का मन बना रहे हैं। मंत्री जी का मन बहुत बड़ा है। हमारे झगड़े भी बहुत बढ़ गए हैं। एक हजार से ज्यादा लोग आ जाते हैं, उनमें से दस लोगों को सिलेक्ट कैसे करें?

(1545/NK/KMR)

मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है। पांच सालों के अंदर सबसे ज्यादा सेंट्रल स्कूल खुले। 87 सेंट्रल स्कूलों के लिए कैबिनेट मीटिंग में घोषणा भी की गई है। इनका बड़ा मन है। नवोदय विद्यालयों में एससी और एसटी को आरक्षण है लेकिन ओबीसी का आरक्षण नहीं है, आप इस पर भी गंभीरता से विचार करें। जनजातीय विश्वविद्यालय की बात इसमें कही गई है। जनजातीय विश्वविद्यालय में भारत की जनजाति कला एवं संस्कृति सहायता शिक्षा, अनुसंधान सुविधाओं का प्रौद्योगिकी के माध्यम से अग्रिम ज्ञान का समाधान करना है। गोवा के सिवाय सभी राज्यों में एक या दो अलग विश्वविद्यालय हैं। राजस्थान में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोल रखा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी जो जयपुर में है, उसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में खोला जाए।

(इति)

माननीय सभापति: अब आपका हो गया, बैठ जाइए।

1548 बजे

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): सभापति महोदय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2019 पर आपने हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। यह निश्चित रूप से ऐसा विधेयक है जिसका सभी लोग समर्थन करेंगे और मैं भी समर्थन करता हूँ।

सभापति महोदय, आप उनको बैठाइए, ऐसा थोड़े न होता है।

माननीय सभापति : बैठ जाइए, आपका माइक बंद है, आपका भाषण रिकार्ड नहीं जा रहा है।

...(व्यवधान)

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): सभापति महोदय, इससे निश्चित रूप से आंध्र प्रदेश की जनता और वहां की सरकार का जो कमिटमेंट था, वह पूरा होगा। सरकार की मंशा है कि यहां विदेशी छात्र भी पढ़ने के लिए आएँ। सरकार ने भी बजट में इसके लिए चार सौ करोड़ रुपये की घोषणा की है। इसके माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।

मेरी चिंता का विषय दूसरा है। देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने देश के सवर्णों के लिए दस परसेंट आरक्षण की व्यवस्था की है। मैं यह बात निराधार नहीं कह रहा हूँ। मैं इस समाज की तरफ से इस बात को जानना चाहता हूँ और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। मैं आपका और सदन का संरक्षण चाहता हूँ। पूर्व में विश्वविद्यालय में आरक्षण था और फिर अचानक आरक्षण खत्म कर दिया गया। क्या विश्वविद्यालय में देश के सवर्ण समाज जो गरीब हैं, जिनको मोदी सरकार ने दस परसेंट आरक्षण दिया, वह सुरक्षित रहेगा या नहीं? वर्ष 2004 से 2014 के बीच जब यूपीए 1-2 की सरकार थी, इस देश के साधन और संसाधन को ही नहीं लूटा गया बल्कि एससी, एसटी, ओबीसी और सवर्ण समाज के गरीबों का हक भी लूटा गया। वर्ष 2006 में अचानक सरकार ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को माइनोरिटी विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया। इसके कारण वहां एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण खत्म हो गया। यह कहानी कोई नई नहीं है। इस देश में कांग्रेस के लोगों ने हमेशा से ऐसा ही किया है। वर्ष 1920 में सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बीएचयू विश्वविद्यालय ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक्ट के माध्यम से खोले गए।

(1550/SK/SNT)

देश में भ्रम फैलाया गया कि यह माइनोरिटी का विश्वविद्यालय है। जब देश आजाद हुआ, वर्ष 1951 में इसी सदन में एक संशोधन विधेयक लाया गया था। इस संशोधन विधेयक पर उस समय के शिक्षा मंत्री जी ने साफ-साफ कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बीएचयू विश्वविद्यालय माइनोरिटी का विश्वविद्यालय नहीं है।

माननीय सभापति जी, आप मुझे बोलने का समय नहीं दे रही हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर जिस तरह से इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी के हक के साथ खिलवाड़ किया गया है।

मैं आपके माध्यम से श्रीमन से निवेदन करना चाहता हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर एक श्वेत पत्र आना चाहिए।...(व्यवधान)

(इति)

1550 बजे

डॉ. अमर सिंह (फतेहगढ़ साहिब): माननीय अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं बहुत कम बोलना चाहता हूँ।

Hon. Chairperson, I want to draw the attention of the hon. Minister. I will speak only for 2-3 minutes. I am not going to take much time.

Madam, I want to request the Minister to have a look at these two Reports, जो उनकी सरकार की है। डॉ. सत्यनारायण जटिया एचआरडी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने रिपोर्ट दी थी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, पिछले वर्ष के इकोनामिक सर्वे का चैप्टर 8 ट्रांसफार्मिंग साइंस एंड रिसर्च है, मैं चाहता हूँ कि इसे देख लिया जाए। जटिया जी ने जैसे तो पांच-छः बातें कही हैं लेकिन इसमें दो मुख्य बातें कही हैं। First, all over the country, there is a lot of shortage of funds. Secondly, there is distortion also. There are a large number of students under the State Universities but more funds are being given to the Central Universities. Hon. Minister, you have to look into the reason behind this and see whether you can make a balance between them. He has also mentioned that more than 40 per cent vacancies are there in the universities. Madam, the hon. Minister has replied to a question on 4th July, itself आपने एडमिट किया है कि 17,834 पोस्ट्स में से 6719 खाली हैं। Then, you are saying that filling of vacancies is a continuous process. कन्टीनुअस होता है अगर रिटायरमेंट होती है, रिटायरमेंट तो पांच से दस परसेंट होती है, 45 परसेंट नहीं होती है। This needs the attention of the Government. This is a very serious issue. ...*(Interruptions)*

Madam, this is my maiden speech. Please allow me. मैं पहली बार बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। I support you on this Bill because you are bringing this Bill for Andhra Pradesh. It is a good bill. हम पांच ट्रिलियन इकोनामी की बात कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इंडिया पांच नहीं दस ट्रिलियन इकोनामी बने। The might of the West has been built with the help of research and innovation. It has not been made only by the funds. अपनी हालत बहुत खराब है।

मेरा एक और निवेदन है, पंजाब यूनिवर्सिटी 100 साल पुरानी है, आप उसे देख लीजिए, इसकी हालत बहुत खराब है।

(इति)

1553 बजे

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल (आगरा) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात इन पंक्तियों से शुरू करना चाहता हूँ:

खुदी सुकरात की हो याकि हो रूदाद गांधी की,
सदाकत जिंदगी के मोर्चे पर हार जाती है।
फटे कपड़ों में तन ढाके दिखता हो जहां कोई,
समझ लेना वह पगडंडी आदिवासी के गांव जाती है।

माननीय मंत्री जी, आप फटे कपड़ों में तन ढांकने का असफल प्रयास करने वाले आदिवासी बच्चे-बच्चियों के लिए विश्वविद्यालय ला रहे हैं, वह भी थोड़ा-बहुत नहीं, 900 करोड़ रुपये का है।

इसी को अंत्योदय कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आए, शिक्षा मिले।

“उत्तम खेती, मध्यम बान, निषिध चाकरी, भीख निदाना”

हम गलतफहमी में रहे, खेती को उत्तम समझते हुए स्कूल नहीं गए। फिर किसी ने कह दिया और हमने मान लिया –

“पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे खराब, खेलोगे-कूदोगे तो बनोगे नवाबा”

इसलिए हम नवाब बन नहीं पाए और खराब हो गए।

1554 hours

(Hon. Speaker in the Chair)

माननीय अध्यक्ष जी, आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन है, विश्वविद्यालय ला रहे हैं और वह भी हैदराबाद में ला रहे हैं, आंध्र प्रदेश में ला रहे हैं।

(1555/MK/GM)

कृपा करके इस बात का ध्यान रखें कि यह दूसरा जेएनयू न बन जाए। कुछ एडमिशन में इस प्रकार की बाध्यताएं जरूर होनी चाहिए कि वहां नारे न लगे। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में नारे लगते हैं कि अफजल हम शर्मिदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, इंशल्लाह इंशल्लाह आप इसको जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के बच्चों का एडमिशन हिन्दुस्तान के किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं होना चाहिए। अगर ये राष्ट्रवादी नहीं बन पाए तो क्या हम उनकी एमएससी, एलएलबी, पीएच.डी, एमबीए, बीबीए, बीसीए, होटल मैनेजमेंट की डिग्री लेकर चाटेंगे? मुझे तो शर्म आती है कि जो लोग जेएनयू की डिग्री लेकर बैठे हुए हैं और इस प्रकार के नारे लगाते हैं, भारत भूमि का टुकड़ा नहीं हैं, जीता-जागता एक राष्ट्रपुरुष है। कश्मीर इसका मस्तिष्क है, हिमालय इसका मुकुट है और गौरी शंकर इसकी जटाएं हैं। पंजाब और बंगाल इसके मजबूत कंधे हैं, विंध्याचल इसकी कमर है, नर्मदा इसकी करधनी है, पूर्वी और पश्चिम घाट इसके दो मजबूत जंघाएं हैं और कन्याकुमारी इसके पैर धोती है। इसका कंकड़-कंकड़ पत्थर है और बूंद-बूंद गंगाजल है। यह वंदन और अभिनन्दन की भूमि है। हम जिएंगे इसके लिए और मरेंगे इसके लिए। इसलिए आपको एडमिशन में कुछ शर्तें जरूर लगानी चाहिए। मैं नालन्दा, विक्रमशीला, तक्षशिला, वल्लभी, ओडिसा में जगतदला, अंदलपुरी की बात करता हूँ। विक्रमशीला और तक्षशीला, दोनों के

आचार्यों का, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, आज ये फल-फूल रहे हैं। ... (व्यवधान) मंत्री जी 1827 में आगरा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और 1823 में आगरा कॉलेज आ गयी थी। It was affiliated with Kolkata University. हमारे विश्वविद्यालय में से कानुपर विश्वविद्यालय, साहू जी विश्वविद्यालय कानपूर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, रूहेलखंड विश्वविद्यालय, जौनपुर विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय, बरेली विश्वविद्यालय, झांसी, और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय बन गये। हमारे विश्वविद्यालय से 26 विश्वविद्यालय बन गये और हम अभी वहीं पर हैं। हमारा केवल नाम बदला गया डॉ.बी.आर.अम्बेडकर विश्वविद्यालय। आगरा दलित समाज की राजधानी है। बी.आर.अम्बेडकर साहब के नाम से विश्वविद्यालय है, जिनकी एटम बम से भी ज्यादा ताकत तीन शब्दों में है- शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहेब ने यह क्यों नहीं कहा कि संगठित रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। उन्हें पता था कि जब तक शिक्षित नहीं बनेंगे तब तक संगठित नहीं हो सकते, संगठित नहीं होंगे तो संघर्ष नहीं कर सकते। इसलिए बाबा साहेब का श्रद्धांजलि के तौर पर आगरा विश्वविद्यालय, जहां के दो राष्ट्रपति -वर्तमान राष्ट्रपति जी और शंकर दयाल शर्मा, तीन प्रधान मंत्री-चौधरी चरण सिंह, गुलजारी लाल नंदा और अटल बिहारी वाजपेयी और दो मुख्यमंत्री- कल्याण सिंह और मुलायम सिंह जी इस विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, यह विश्वविद्यालय सन् 1827 का है। अभी इसका केवल नाम रखा गया है। यदि बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो आप इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दीजिए। मेरा कॉलेज सन् 1823 का है, इसमें 10 हजार बच्चे हैं। नेट ने इसको बी डबल प्लस की मान्यता दी है, इसमें एक पैसा नहीं लगना है, इसके लिए जमीन बहुत है, बिल्डिंग बहुत है, केवल सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी खोलना और आगरा कॉलेज को डिम्ड यूनिवर्सिटी बनाना है। मैं आपसे यही कहना चाह रहा था। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1558 बजे

श्री जसबीर सिंह (डिम्पा) गिल (खडूर साहिब): मैं बिल्कुल संकेत में दो बातें करूंगा। यह एक अच्छा बिल है। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि जो भी ट्राइबल यूनिवर्सिटीज बनती हैं, उनमें ट्राइबल स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स जरूर होने चाहिए। They have made their fortune in India. उनकी एथलेटिक्स भी सबसे बढ़िया है, इसलिए उनको स्पोर्ट्स में आगे लाया जाना चाहिए।

दूसरा, मैंने देखा है कि इंडिया के जो बड़े-बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, they have made their fortune in India. मगर जब भी रिसर्च के लिए पैसे देने की बात आती है, तीन लोग जो यहां के सबसे रिचेस्ट हैं, उन्होंने अमेरिकन यूनिवर्सिटी को बिलियन्स ऑफ डॉलर दिये। आज ही मैं पढ़ रहा था कि एक और कॉर्पोरेट हाउस है, जिन्होंने एक स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी को 7 बिलियन डॉलर दिये। क्या मंत्री जी ऐसा प्रावधान करेंगे, कुछ परसेंट पैसा इंडियन यूनिवर्सिटीज को दें, क्योंकि ये पैसा तो यहां से बना रहे हैं, लेकिन ग्रांट जब देने की बात आती है तो फारेन यूनिवर्सिटी को देते हैं।

(1600/YSH/RK)

माननीय अध्यक्ष: आप सभी सदस्यों की सहमति हो तो इस विधेयक को पारित होने तक समय बढ़ा दिया जाए, उसके पश्चात हम प्राइवेट बिल को ले लेंगे। हां, छः बजे के बाद भी प्राइवेट बिल ले सकते हैं। अध्यक्ष का निर्णय यहां पर अंतिम निर्णय है। अध्यक्षीय व्यवस्था अंतिम है तो समय बढ़ा देंगे। आप जैसे जो सदस्य सदन में बैठते हैं, उससे अच्छा लगता है। कई और भी सदस्य यहां बैठे हुए हैं।

श्री जसबीर सिंह (डिम्पा) गिल (खडूर साहिब): जो कॉर्पोरेट हाउसेज है, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज को फंडिंग करते हैं, ऐसा प्रावधान किया जाए, जिससे ये हमारी इंडियंस यूनिवर्सिटीज को फंडिंग करें और दूसरा प्रश्न यह है कि मैं तरन तारन जिले की बात करना चाहता हूं, जो एक पिछड़ा और बार्डर का एरिया है। वहां पर कोई इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस नहीं है और न ही कोई सरकारी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया करके एक सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी तरन तारन जिले को दे दीजिए। अगर आप दे देंगे तो मैं और 25 लाख लोग, जो वहां के रहने वाले हैं वे भी कहेंगे कि मोदी है तो मुमकिन है, धन्यवाद।

(इति)

1601 बजे

मानव संसाधन विकास मंत्री (डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक): माननीय अध्यक्ष जी, लगभग 13 लोगों ने इस महत्वपूर्ण बिल पर अपने विचार प्रकट किए हैं। उनमें श्री सुरेश जी, आदरणीय राजीव प्रताप रूडी जी, सौगत राय जी, श्री कृष्ण जी, राहुल शेवले जी, बी. महताब जी, सुप्रिया सुले जी, राम मोहन नायडु जी, हनुमान बेनीवाल जी, विनोद कुमार सोनकर जी, अमर सिंह जी और जसबीर सिंह गिल साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। मुझे लगता है कि इसमें समय की बाध्यता नहीं थी, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण सुझाव भी थे।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी पूरी बाध्यता है आप संक्षिप्त कर दीजिए, सभी विद्वान हैं।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : सभी का अलग-अलग जवाब भी हो सकता था, क्योंकि यह आंध्रप्रदेश पुनर्गठन एक्ट 2014 का क्रियान्वयन है। मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि देश की आजादी के बाद किसी भी राज्य का पुनर्गठन होना खुशी की बात है। श्रीमन् हमारे राज्य का भी पुनर्गठन हुआ है, लेकिन देश की आजादी के बाद किसी भी राज्य के पुनर्गठन में इतने कम समय में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों को स्थापित करने का काम केवल नरेन्द्र मोदी सरकार ने ही किया है। आंध्र प्रदेश 2014 में पुनर्गठित हुआ। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने सबसे पहले आई.आई.टी. खोला, एन.आई.टी. खोला, आई.आई.आई.टी. खोला, आई.सी.ए.आर. खोला, आई.आई.एम. को खोला और इन पांच महत्वपूर्ण संस्थानों के बाद आज इस बिल को विचार करने के बाद पारित करने का विषय आया है। मोदी जी की सरकार ने आज दो विश्वविद्यालयों सहित सात महत्वपूर्ण संस्थानों को आंध्र प्रदेश की जनता को समर्पित किए हैं। मुझे लगता है कि आंध्र प्रदेश के लिए महताब जी ने कहा कि इसमें विलंब क्यों हुआ? सच तो यह है कि इस पर लगातार कार्यवाही होती रही। यदि समय होता तो मैं आदरणीय महताब जी को यह बताता कि इसके लिए लगातार इतना पत्राचार किया गया, लेकिन इसके लिए स्थान तो सरकार को ही उपलब्ध कराना था और जब स्थान सुनिश्चित होता या उपलब्ध होता, उसी के बाद इन संस्थानों को खोला जा सकता था।

श्रीमन्, सुरेश जी यहां पर नहीं हैं, लेकिन उन्होंने और कई माननीय सदस्यों ने बजट पर शंका व्यक्त की है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि यदि शिक्षा का वर्ष 2013-2014 का बजट देखा जाए तो 66 हजार करोड़ रुपये था, लेकिन इस समय मेरी गवर्नमेंट ने 95 हजार करोड़ का बजट दिया है और यदि हीफा जो बजट का हिस्सा नहीं है, यदि मैं उसको भी इसके साथ समाहित करूं तो 30 हजार करोड़ रुपये है। एक लाख पच्चीस हजार करोड़ का बजट आज शिक्षा विभाग में है, इसलिए यह तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है।

(1605/RPS/PS)

इन बड़े उच्च संस्थानों को स्थापित करने की दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बिहार में नालन्दा विश्वविद्यालय हो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय या तक्षशिला विश्वविद्यालय हो, जिनके बारे में मैंने जिक्र किया कि ये सारी दुनिया के शीर्ष संस्थान थे। जब सारी दुनिया में शिक्षा का कोई नाम नहीं था, तब यही विश्वविद्यालय थे, जहां से रोशनी पूरी दुनिया में फैलती थी।

श्रीमन्, जनजातीय विश्वविद्यालय के बारे में सौगत दा ने कहा कि उसमें प्रावधान नहीं है। ऐसी बात नहीं है, उसमें सभी प्रावधान हैं। विश्वविद्यालय में क्या-क्या है, उसमें सभी प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने विश्वभारती विश्वविद्यालय की चिन्ता प्रकट की है, मैं समझता हूँ कि विश्वभारती विश्वविद्यालय को हमारी सरकार पूरी ताकत के साथ उभार रही है। विश्वभारती विश्वविद्यालय हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। माननीय सदस्य श्रीकृष्णा जी ने भी बचत के सन्दर्भ में कहा और उन्होंने एकलव्य का जिक्र किया, लेकिन वह व्यवस्था दूसरी योजना के तहत है और कभी जरूरत पड़ेगी, तब विस्तारपूर्वक भी कह दूंगा। राहुल जी ने विदेशी बच्चों और मुंबई विश्वविद्यालय की बात की है। हमारी पहली प्राथमिकता वहां की है।

श्रीमन्, मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि पांच वर्ष पहले जहां हम विश्व स्तर पर रैंकिंग में नहीं थे, वहीं आज हमारी तीन संस्थाएं विश्व स्तर पर रैंकिंग में शिखर पर आ गई हैं। ये संस्थाएं हैं - आईआईटी, मुंबई, आईआईटी, दिल्ली और आईआईएससी, बेंगलुरु। ये तीन संस्थाएं पूरी दुनिया में रैंकिंग पर शिखर पर आई हैं और 23 संस्थाएं उस मानक को छू रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय महताब जी ने इस बात को कहा था। उन्होंने दूसरी बात स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के बारे में कही थी। आपको मालूम ही है और आप लोगों ने ही कहा कि हमारे अधिकांश बच्चे बाहर जा रहे हैं। विदेशों में बच्चे भी हमारे हैं और पढ़ाने वाले भी हमारे हैं। इसलिए स्टडी इन इंडिया का यह जो अभियान है, हम उन बच्चों को भी वापस लाएंगे, उन अध्यापकों को भी वापस लाएंगे और अपनी शिक्षा व्यवस्था को शिखर पर लेकर जाएंगे। यही इसका अभिप्राय है और हम इसमें सफल भी हो रहे हैं। दूसरे सदस्य ने भी पूछा कि इसमें क्या है, हम बहुत अच्छे तरीके से इसे आगे बढ़ा रहे हैं।

सुप्रिया जी ने जिन नियुक्तियों की चर्चा की है, पिछली बार भी बात हुई और आपने कहा कि इसे पार्ट-पार्ट में क्यों ला रहे हैं। आपने कहा कि पहले हम रिक्त पदों को भरने के लिए बिल लाए, फिर दूसरा बिल लाए, फिर तीसरा बिल लाए, लेकिन हम लाए तो और इतने कम समय में ला रहे हैं। एक महीने में हम चार बिल ले आए हैं और लगातार ला रहे हैं। नियुक्तियों के बारे में हमने कह दिया है कि अगले छः महीने के अंदर सभी रिक्त पदों को भरा जाएगा। यह हमने बहुत ताकत के साथ किया है और उसके लिए बिल लाए। जो भी संशोधन करना था, उसे भी किया। जिन माननीय सदस्य की यह चिन्ता है, स्वाभाविक चिन्ता है कि यदि अध्यापक नहीं होंगे तो पढ़ाई कैसे होगी। पहले उसमें कुछ वैधानिक कठिनाइयां थीं, अब उनको दूर कर लिया गया है और अब हम युद्धस्तर पर करेंगे...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): क्या आपने सदन को इस बारे में एश्योर कर दिया है?... (व्यवधान)

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: हां, कर दिया। मैंने एक्ट में ही बोल दिया था। फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी सभी पदों को भरा जाएगा।

माननीय सदस्य राममोहन नायडू जी ने जिस बात को कहा है, मैं बताना चाहता हूँ कि यह टोकन मनी है। मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि इसके लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान है। इन दोनों संस्थानों के लिए लगभग 1700 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक सहमति दी गई है। अभी हम 420

करोड़ रुपये और 450 करोड़ रुपये टोकन मनी के रूप में दे रहे हैं। चार वर्ष के अंदर इनको सुनिश्चित किया जाएगा। इसका समय निश्चित है। यह पहले चरण में, पहली किस्त के रूप में 420 करोड़ रुपये और 450 करोड़ रुपये दिए गए हैं। ... (व्यवधान) ठीक है, इसे कर लेंगे।

श्रीमन्, मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य राममोहन नायडू जी की जो शंका है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि यदि किसी ने काम किया है तो हमारी सरकार ने किया है और इससे 100 प्रतिशत रिजल्ट आने वाला है।

(1610/RAJ/RC)

अगली बार आंध्र प्रदेश में हमारी गवर्नमेंट के सिवा कोई नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने काम किया है और प्रमाण दे दिया है। हम ने यह काम किया है और यह उसके प्रमाण हैं। हम ने बोला नहीं, भाषण नहीं दिया, हम ने काम करके दिखाया है और यह जो शुरुआत होगी, अब इसका रिजल्ट यहीं से शुरू होगा। हनुमान बैनिवाल जी ने चर्चा की है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह बात सही है कि शिक्षा पर हमारी सरकार ने बहुत धन्यवाद दिया है। चाहे केन्द्रीय विद्यालय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आईआईटी, एनआईटी, आईआईआईटी हो या आईआईएम हो, किसी भी क्षेत्र में कोई राज्य अच्छा न रहे, उन राज्यों को हम लोगों ने शीर्ष पर किया है। श्रीमन् विनोद सोनकर जी ने जो चिंता की है, उनकी चिंता अपने-आप में महत्वपूर्ण है। इसके लिए गवर्नमेंट भविष्य में क्या करेगी, इस पर आपने कुछ बिन्दु कहे हैं। आपने जो कहा है, उस पर सरकार जरूर विचार करेगी। अमर सिंह जी ने सत्यनारायण जटिया जी की जो बात कही है, जिस गुलेटिन की बात की है, मैं समझता हूँ कि जो बजट की बात है, उसको मैंने बहुत स्पष्ट किया है। लेकिन हां, हमारी गवर्नमेंट की पहली प्राथमिकता है कि शिक्षा का सुदृढीकरण हो। बघेल साहेब ने जिस बात को कहा है, मैं समझता हूँ कि यह कोई जे.एन.यू. नहीं बने।... (व्यवधान)

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): जे.एन.यू. ने देश को बहुत कुछ दिया है।... (व्यवधान)

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : श्रीमन् मैं यह कहना चाहता हूँ कि जे.एन.यू. शोध के क्षेत्र में दुनिया में शिखर पर है। हम जे.एन.यू. को ठीक-ठाक रखेंगे, ठीक से रखेंगे। जे.एन.यू. सामान्य संस्थान नहीं है। जे.एन.यू. हमारे शोध में दुनिया में शिखर पर है। कुछ लोगों ने बदनाम किया है, यह सरकार उनकी मंशा को पूरा नहीं होने देगी। हम जे.एन.यू. को बढ़िया तरीके से चलाएंगे। हम उसे आगे बढ़ाएंगे। मुझे मालूम है कि जे.एन.यू. बहुत अच्छा संस्थान है। जे.एन.यू. शोध की दिशा में दुनिया अपना स्थान रखता है और उस जे.एन.यू. को बिल्कुल बरकरार रखा जाएगा, उसको ऊपर उठाया जाएगा। राष्ट्र की मुख्यधारा से दूर होने का विषय ही नहीं उठता है।

हमारे बड़े भाई ने कोचिंग की चिंता व्यक्त की है और मैं समझता हूँ कि जो प्रतिस्पर्द्धा में है, ऐसा नहीं है कि कॉलेजों में काम नहीं हो रहा है। मैं अभी बताऊंगा कि दुनिया में हमारे कितने संस्थान शीर्ष पर जा रहे हैं। आज दुनिया की जितनी भी फैकल्टी हैं, अमेरिका के विश्वविद्यालय में देखा जाए, तो हमारे यहां से पढ़ने के बाद वहां फैकल्टी हो रही है, लेकिन हां, प्रतिस्पर्द्धा के कारण ये कोचिंग वाले इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, लेकिन यह सामान्यतः राज्य सरकारों का विषय है।

श्रीमन् मैं यह समझता हूँ कि गिल साहब ने भी पिछड़े क्षेत्र की बात की है। सामान्यतः सभी लोगों की चिंता शिक्षा की रही है और सरकार इस बात को ले कर निश्चित रूप से दृढ़ संकल्पित है कि इस देश की शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। यह विश्व गुरु था, उस विश्व गुरु के स्थान पर भारत को पुनः स्थापित किया जाएगा। मैं सभी से बहुत विनम्रता से अनुरोध और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि शिक्षा का विषय है, इसलिए आंध्र प्रदेश के लोगों को हम बधाई देना चाहते हैं और आंध्र प्रदेश के सभी माननीय सदस्यों को भी बधाई देना चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश में एक नई रोशनी, आज वहाँ उत्सव का माहौल होगा, इसलिए सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से एकजुट हो कर, इस बिल को पारित करने का, मैं आप से अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद

(इति)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:-

“कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(1615/SNB/IND)

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

Clause 2

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I did not speak on the Bill. I fully support the Bill. Access to higher education and quality of education both are equally important. This is a Bill that seeks to provide tribal community to have access to higher education for special arts, their talents and their tradition etc. Nowadays disciplines also are being given the status of universities. So, my only submission through this amendment is to have an Ayurvedic University. There are medical universities, engineering college universities, there are the IITs. So, many universities in the name of their disciplines are being formed in the country. My suggestion, through this amendment, is to establish an Ayurveda University which shall be a body corporate to be known as the Central Ayurvedic University. The State of Kerala is a traditional centre for Ayurveda. Particularly Kollam, my Parliamentary constituency is the best place for having an Ayurveda University. That is the amendment I would like to propose. The hon. Minister for AYUSH is also here. I know it is very difficult to accept the proposal but if any assurance comes from the Government, then definitely I will withdraw my amendment.

माननीय अध्यक्ष : श्री प्रेमचंद्रन जी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am moving my amendment No. 3 to clause 2 of the Bill. Let it be on record.

I beg to move:

Page 2, *after* line 4,--

Insert “3CA. There shall be established an Ayurveda University, which shall be a body corporate, to be known as the Central Ayurveda University, Kollam, Kerala, having its territorial jurisdiction extending to the whole of the State of Kerala as specified in the First Schedule to this Act to provide avenues of higher education and research facilities in Ayurveda”.

(3)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 4

माननीय अध्यक्ष : श्री कोडिकुन्निल सुरेश जी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, during the course of my speech I requested the hon. Minister to rename the university in Kasaragod in Kerala in the name of Sree Narayana Guru. I am moving my amendment no. 1 to clause 4 of the Bill.

Sir, I beg to move:

Page 3, line 4,--

for "Central University of Kerala"

substitute "Sree Narayana Guru Central University of Kerala".

(1)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री कोडिकुन्निल सुरेश द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री अधीर रंजन चौधरी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष जी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद हिंदुस्तान में जहां मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है जैसे मलप्पुरम, मुर्शिदाबाद, किशनगंज आदि जगहों पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी का कैम्पस खोलने का इंतजाम किया गया था। मैं मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। यहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी तो है, लेकिन कोई ढांचा नहीं बना है। जमीन वगैरह सब कुछ है, लेकिन जिस ढंग से पढ़ाई होनी चाहिए, वह नहीं हो रही है। मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा की फार्मर कैपिटल भी था। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि मुर्शिदाबाद जिला, जो बहुत पिछड़ा जिला है, आपके एसपीरेशनल डिस्ट्रिक्ट में मुर्शीबाद शामिल है। इस डिस्ट्रिक्ट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी और मुर्शीबाद सेंट्रल यूनीवर्सिटी द्वारा पढ़ाई का अच्छा इंतजाम करने का सोचें।

पृष्ठ 3, पंक्ति 16, ---

के पश्चात्

"17. पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय संपूर्ण पश्चिम बंगाल राज्य।

अंतःस्थापित करें। (2)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या-2 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am moving my amendment no. 4 to clause 4.

Sir, I beg to move:

Page 3, after line 5,--

Insert "12A. Kerala Central Ayurvedic University Whole of the
Kollam, Kerala. State of Kerala."

(4)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि खंड 4 विधेयक का अंग बने। ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

“खंड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।”

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : मैं प्रस्ताव करता हूँ

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(1620/VB/RU)

**PAYMENT OF FINANCIAL ASSISTANCE TO THE
FAMILIES OF MARTYRS BILL**

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): I beg to move for leave to introduce a Bill to establish an Authority to oversee the payment of financial assistance including ex-gratia lump sum honorarium of rupees two crore, provision of medical facilities, education and housing allowance, reservation upto five per cent in schools and institutions of higher education and five per cent reservation in jobs in both public and private sector for the dependents of martyrs and implementation of such other welfare measures as are necessary to enable them to lead a dignified life and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि शहीदों के आश्रितों को दो करोड़ रुपए के एकमुश्त अनुग्रह मानदेय सहित वित्तीय सहायता के संदाय पर निगरानी रखने, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा और आवास भत्ता, विद्यालयों और उच्चतर शिक्षण संस्थानों में पाँच प्रतिशत तक आरक्षण, सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्र में नौकरियों में आरक्षण और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए उन्हें समर्थ बनाने के लिए कल्याणकारी उपायों के कार्यान्वयन करने और उससे संसंक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): I introduce the Bill.

INDIAN POST OFFICE (AMENDMENT) BILL
(Insertion of new Chapter IIA)

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Post Office Act, 1898.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): I introduce the Bill.

COMPANIES (AMENDMENT) BILL
(Amendment of section 135, etc.)

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Companies Act, 2013.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि कंपनी अधिनियम, 2013 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): I introduce the Bill.

YOUTH SKILL TRAINING BILL

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to impart skill training to every youth to make them more employable; to provide an alternative path for those pursuing higher education as part of corporate social responsibility and to expand education opportunities for the young and socially disadvantaged section and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि युवाओं को और अधिक रोजगार योग्य बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने, नियमित सामाजिक उत्तरदायित्व के भाग के रूप में उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने वालों के लिए एक वैकल्पिक पथ उपलब्ध कराने और युवा एवं सामाजिक रूप से वंचित वर्ग हेतु शिक्षा के अवसरों का विस्तार करने तथा तत्संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): I introduce the Bill.

HINDU ADOPTION AND MATINTENANCE (AMENDMENT) BILL

(Amendment of section 18)

SHRI RAHUL RAMESH SHEWALE (MUMBAI SOUTH-CENTRAL): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI RAHUL RAMESH SHEWALE (MUMBAI SOUTH-CENTRAL): I introduce the Bill.

MOTOR VEHICLES AMENDMENT BILL**(Amendment of section 184)**

SHRI RAHUL RAMESH SHEWALE (MUMBAI SOUTH-CENTRAL): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Motor Vehicles Act, 1988.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि मोटर यान अधिनियम, 1988 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI RAHUL RAMESH SHEWALE (MUMBAI SOUTH-CENTRAL): I introduce the Bill.

PROTECTION OF RIGHTS OF WRONGFUL CONVICTS BILL

DR. KIRIT P. SOLANKI (AHMEDABAD WEST): I beg to move for leave to introduce a Bill to establish a procedure for safeguarding the rights of wrongful convicts and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि गलत सिद्धदोष के अधिकारों की रक्षा करने की प्रक्रिया स्थापित करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. KIRIT P. SOLANKI (AHMEDABAD WEST): I introduce the Bill.

**SCHEDULED TRIBES AND OTHER TRADITIONAL FOREST
DWELLERS (RECOGNITION OF FOREST RIGHTS) AMENDMENT BILL
(Amendment of section 2, etc.)**

DR. KIRIT P. SOLANKI (AHMEDABAD WEST): I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. KIRIT P. SOLANKI (AHMEDABAD WEST): I introduce the Bill.

**COMPENSATORY AFFORESTATION FUND (AMENDMENT) BILL
(Insertion of new section 6A, etc.)**

DR. KIRIT P. SOLANKI (AHMEDABAD WEST): I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Compensatory Afforestation Fund Act, 2016.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. KIRIT P. SOLANKI (AHMEDABAD WEST): I introduce the Bill.

(1625/NKL/KDS)

WILD LIFE (PROTECTION) AMENDMENT BILL
(Insertion of new Chapter IVD, etc.)

DR. KIRIT P. SOLANKI (AHMEDABAD WEST): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Wild life (Protection) Act, 1972.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. KIRIT P. SOLANKI (AHMEDABAD WEST): Sir, I introduce the Bill.

राष्ट्रीय कृषि नीति आयोग विधेयक

श्री निहाल चन्द (गंगानगर): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देश में कृषि सुधार और विकास नीतियां बनाने संबंधी एक राष्ट्रीय कृषि नीति आयोग की स्थापना करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि देश में कृषि सुधार और विकास नीतियां बनाने संबंधी एक राष्ट्रीय कृषि नीति आयोग की स्थापना करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री निहाल चन्द (गंगानगर): मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

राष्ट्रीय खेल विकास आयोग विधेयक

श्री निहाल चन्द (गंगानगर): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देश में खेलों के सर्वांगीण विकास, मूलभूत खेल सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु राष्ट्रीय खेल विकास आयोग का गठन तथा तत्संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि देश में खेलों के सर्वांगीण विकास, मूलभूत खेल सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु राष्ट्रीय खेल विकास आयोग का गठन तथा तत्संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री निहाल चन्द (गंगानगर): मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

राष्ट्रीय कुपोषण नीति आयोग विधेयक

श्री निहाल चन्द (गंगानगर): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राष्ट्रीय कुपोषण नीति आयोग का गठन करने तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि राष्ट्रीय कुपोषण नीति आयोग का गठन करने तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री निहाल चन्द (गंगानगर): मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
(Substitution of new article for article 9, etc.)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
(Insertion of new article 14A, etc.)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I introduce the Bill.

INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL
(Omission of sections 354 and 509)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I introduce the Bill.

**STATES AND UNION TERRITORIES REORGANISATION COMMISSION
BILL**

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of a States and Union territories Reorganisation Commission to recommend the reorganisation of States and Union territories to the Central Government through periodic review of demands of new States or Union territories on the basis of administrative efficacy and related grounds and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि प्रशासनिक प्रभावकारिता और इससे संबंधित आधारों पर नए राज्यों अथवा संघ राज्यक्षेत्रों की मांगों की आवधिक समीक्षा के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के पुनर्गठन की सिफारिश करने के लिए राज्य और संघ राज्यक्षेत्र पुनर्गठन आयोग का गठन तथा तत्संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I introduce the Bill.

RESERVATION FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES IN PRIVATE SECTOR BILL

SHRI SURESH KODIKUNNIL (MAVELIKKARA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for reservation for the person belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in private sector and for matters connected therewith.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि प्राइवेट सेक्टर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति के लिए आरक्षण और तत्संबंधी मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI SURESH KODIKUNNIL (MAVELIKKARA): Sir, I introduce the Bill.

इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को आतंकवाद के प्रायोजक के रूप में अभिहित करना विधेयक

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को आतंकवाद प्रायोजक के रूप में अभिहित करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को आतंकवाद प्रायोजक के रूप में अभिहित करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

(1630/MM/SRG)

तंग करने वाला मुकदमा (निवारण) विधेयक

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उच्च न्यायालयों में तथा उनके अधीनस्थ न्यायालयों में, सिविल और दांडिक मामलों में तंग करने वाली कार्यवाहियों के संस्थित किए जाने या जारी रखे जाने का निवारण करने के लिए और तत्संसक्त या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि उच्च न्यायालयों में तथा उनके अधीनस्थ न्यायालयों में, सिविल और दांडिक मामलों में तंग करने वाली कार्यवाहियों के संस्थित किए जाने या जारी रखे जाने का निवारण करने के लिए और तत्संसक्त या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

**लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक
(नई धारा 29कक का अंतःस्थापन)**

श्री गोपाल शेटी (मुम्बई उत्तर): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री गोपाल शेटी (मुम्बई उत्तर): महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

**संविधान (संशोधन) विधेयक
(तीसरी अनुसूची का संशोधन)**

श्री गोपाल शेटी (मुम्बई उत्तर): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री गोपाल शेटी (मुम्बई उत्तर): महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

**प्रेस परिषद (संशोधन) विधेयक
(धारा 14 का संशोधन)**

श्री गोपाल शेटी (मुम्बई उत्तर): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री गोपाल शेटी (मुम्बई उत्तर): महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

**संविधान (संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 85 का संशोधन)**

श्री गोपाल शेटी (मुम्बई उत्तर): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री गोपाल शेटी (मुम्बई उत्तर): महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

**संविधान (संशोधन) विधेयक
(आठवीं अनुसूची का संशोधन)**

श्री रवि किशन (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रवि किशन (गोरखपुर): महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

गौ-वध पर पाबंदी विधेयक

श्री रवि किशन (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि गौ और गौ-वंश के वध का प्रतिषेध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि गौ और गौ-वंश के वध का प्रतिषेध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रवि किशन (गोरखपुर): महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 1 का संशोधन)

श्री रवि किशन (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रवि किशन (गोरखपुर): महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

(1635/SJN/KKD)

**संविधान (संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 44 का लोप आदि)**

श्री रविंद्र श्यामनारायण उर्फ रवि किशन शुक्ला (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रविंद्र श्यामनारायण उर्फ रवि किशन (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

**CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
(Insertion of new article 324A)**

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
(Insertion of new article 21B)

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
(Amendment of article 370)

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
(Amendment of article 66)

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): I introduce the Bill.

माननीय अध्यक्ष : आईटम नंबर 46।

श्री विष्णु दयाल राम – उपस्थित नहीं।

**BI0-DEGRADABLE PACKAGING MATERIALS (COMPULSORY USE IN
PACKING COMMODITIES) BILL**

SHRI PARVESH SAHIB SINGH (WEST DELHI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the compulsory use of bio-degradable packaging material in the supply and distribution of certain commodities with the aim to curb the usage of plastic and such other non-degradable material in packing, and in the interests of the environment.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि पैकेजिंग में प्लास्टिक और ऐसे अन्य गैर-जैव-अवक्रमणीय सामग्री के प्रयोग को नियंत्रित करने के उद्देश्य से और पर्यावरण के हित में कतिपय वस्तुओं की आपूर्ति और वितरण में जैव-अवक्रमणीय पैकेजिंग सामग्री के अनिवार्य प्रयोग का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI PARVESH SAHIB SINGH (WEST DELHI): I introduce the Bill.

(1640/GG/RP)

**भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक
(धारा 497 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)**

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारतीय दंड संहिता, 1860 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि भारतीय दंड संहिता, 1860 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

परीक्षा-पूर्व कोचिंग सेंटर विनियामक प्राधिकरण विधेयक

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि परीक्षा-पूर्व कोचिंग सेंटरों के विनियामन हेतु एक विनियामक प्राधिकरण का गठन करने और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि परीक्षा-पूर्व कोचिंग सेंटरों के विनियामन हेतु एक विनियामक प्राधिकरण का गठन करने और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

पिछड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड विधेयक

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देश के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु एक स्वायत्तशासी बोर्ड की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि देश के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु एक स्वायत्तशासी बोर्ड की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : आईटम नंबर 56, 57 और 58।

श्री रवनीत सिंह – उपस्थित नहीं।

...(व्यवधान)

रेल पटरियों, रेल यार्डों के समीप और रेल भूमि पर रहने वाले बेघर व्यक्ति कल्याण विधेयक

श्री अजय कुमार (खीरी): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि महानगरों और अन्य शहरी क्षेत्रों में रेल पटरियों, रेल यार्डों के समीप और रेल भूमि पर रहने वाले बेघर नागरिकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण और पुनर्वास के उपायों और उससे संसक्त तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि महानगरों और अन्य शहरी क्षेत्रों में रेल पटरियों, रेल यार्डों के समीप और रेल भूमि पर रहने वाले बेघर नागरिकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण और पुनर्वास के उपायों और उससे संसक्त तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अजय कुमार (खीरी):अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

राष्ट्रीय बाढ़ पीड़ित कल्याण बोर्ड विधेयक

श्री अजय कुमार (खीरी): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बाढ़ पीड़ितों को स्थायी आश्रय उपलब्ध कराने का उपबंध कर के बाढ़ नियंत्रण करने के उपाय का सुझाव देने के लिए राष्ट्रीय बाढ़ पीड़ित कल्याण बोर्ड के गठन का उपबंध करने तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि बाढ़ पीड़ितों को स्थायी आश्रय उपलब्ध कराने का उपबंध कर के बाढ़ नियंत्रण करने के उपाय का सुझाव देने के लिए राष्ट्रीय बाढ़ पीड़ित कल्याण बोर्ड के गठन का उपबंध करने तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अजय कुमार (खीरी):अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

राजकीय महिला महाविद्यालय की अनिवार्य स्थापना विधेयक

श्री अजय कुमार (खीरी): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि ब्लॉक स्तर पर राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना अनिवार्य रूप से करने तथा उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि ब्लॉक स्तर पर राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना अनिवार्य रूप से करने तथा उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अजय कुमार (खीरी):अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

**उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय (राजभाषाओं का प्रयोग और अन्य उपबंध)
विधेयक**

श्री अजय कुमार (खीरी): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में राजभाषा का प्रयोग तथा कतिपय अन्य उपबंधों और तत्संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में राजभाषा का प्रयोग तथा कतिपय अन्य उपबंधों और तत्संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अजय कुमार (खीरी): अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

(1645/KN/RCP)

लघु और सीमान्त कृषक (कल्याण) विधेयक

श्री रमापति राम त्रिपाठी (देवरिया): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देश के लघु और सीमान्त कृषकों के लिए कतिपय कल्याणकारी उपाय करने और उनके लाभ के लिए कल्याण निधि की स्थापना करने तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि देश के लघु और सीमान्त कृषकों के लिए कतिपय कल्याणकारी उपाय करने और उनके लाभ के लिए कल्याण निधि की स्थापना करने तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रमापति राम त्रिपाठी (देवरिया): मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

कृषकों और कृषि श्रमिकों को निर्वाह भत्ते का संदाय विधेयक

श्री रमापति राम त्रिपाठी (देवरिया): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कृषकों और कृषि श्रमिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें निर्वाह भत्ते का संदाय करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि कृषकों और कृषि श्रमिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें निर्वाह भत्ते का संदाय करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रमापति राम त्रिपाठी (देवरिया): मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ

- - -

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (Amendment of article 83, etc.)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
(Substitution of new article for article 48A, etc.)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): I introduce the Bill.

- - -

माननीय अध्यक्ष : श्री मनोज राजोरिया— उपस्थित नहीं।

प्रो. सौगत राय— उपस्थित नहीं।

माननीय सदस्यगण, इसके पहले कि मैं श्री जर्नादन सिंह सीग्रीवाल को उनके गैर सरकारी सदस्य के विधेयक, अनिवार्य मतदान विधेयक, 2019 पर विचार करने के प्रस्ताव को पेश करने के लिए पुकारूं, सभा को इस विधेयक पर चर्चा हेतु समय का आबंटन करना है। यदि आप सभी सहमत हो तो दो घंटे का समय बढ़ा दिया जाए।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सर, समय दो घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए

अनेक माननीय सदस्य : हाँ-हाँ

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर 77, अनिवार्य मतदान विधेयक, 2019 पर श्री जर्नादन सिंह सीग्रीवाल आप बोलिए।

अनिवार्य मतदान विधेयक

1644 बजे

श्री जनार्दन सिंह सिग्ग्रीवाल (महाराजगंज): मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि देश में मतदाताओं द्वारा अनिवार्य मतदान करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए”

अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने एक ऐसे महत्वपूर्ण, जो देश के हित में और इस देश के माध्यम से दुनिया को संदेश देने वाले हैं, एक विधेयक पर चर्चा करने की आपने अनुमति दी है।

1644 बजे

(श्रीमती मीनाक्षी लेखी पीठासीन हुईं)

आपने मुझे अनिवार्य मतदान विधेयक, 2019 पर चर्चा करने की अनुमति प्रदान की है। यह सर्वविदित है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है।

(1650/CS/SMN)

जिसने देश की लोकतांत्रिक जरूरतों के अनुसार समय-समय पर अनेक चुनाव सुधार किए हैं, लेकिन अभी और भी बड़े सुधार चुनाव में किए जाने की आवश्यकता है। इन्हीं महत्वपूर्ण चुनाव सुधारों में अनिवार्य मतदान भी एक है।

महोदया, देश में पहला चुनाव वर्ष 1952 में हुआ था। उस चुनाव में वोट का प्रतिशत मात्र 45.67 प्रतिशत था। उसके आगे बढ़ते हैं तो वर्ष 1957 में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में वोट प्रतिशत 47.74 प्रतिशत हुआ। जब वर्ष 1962 में चुनाव हुआ, तो उस समय का वोट प्रतिशत 55.42 प्रतिशत था। वर्ष 1967 के चुनाव में वोट प्रतिशत कुछ बढ़ा और उस चुनाव में वोट प्रतिशत 61.33 प्रतिशत हुआ। उसके बाद वर्ष 1971, 1977, 1980, 1984, 1985, 1989, 1991, 1992, 1996, 1998 और 1999 में चुनाव हुए। वर्ष 2004 के चुनाव में वोट प्रतिशत 57.19 प्रतिशत हुआ। वर्ष 2009 के चुनाव में वोट प्रतिशत 58.19 प्रतिशत हुआ। उसके बाद वर्ष 2014 के चुनाव में वोट प्रतिशत थोड़ा सा बढ़ा और उस समय वोट प्रतिशत 66.44 प्रतिशत हुआ। जब वर्ष 2019 का चुनाव हुआ, तो यह वोट प्रतिशत बढ़कर 67.6 प्रतिशत हुआ। इसका मतलब है कि आज भी इस देश के 33 प्रतिशत मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी सरकार जो देश के हित में काम कर रही है, जो सरकार देश के लिए काम कर रही है, उसके लिए भी 33 प्रतिशत मतदाता मतदान करने में अनुपस्थित रहे हों, हमें लगता है कि यह बहुत बड़ी चिंता की बात है। हमें आज वास्तव में इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

महोदया, यह वोट प्रतिशत कम से कम 90 प्रतिशत से ऊपर हो, इसके लिए हमें यह अनिवार्य मतदान विधेयक लाना पड़ा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब वर्ष 2014 में आम चुनाव हुआ था, उस समय अपने देश की जनसंख्या 133 करोड़ 63 लाख 44 हजार 631 थी। उस समय कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 83 करोड़, 41 लाख 1,489 थी। इसमें से केवल 55 करोड़ 38 लाख, 1,801 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। अगर आज हम इसे देखें तो आज हमारे देश में मतदाताओं की संख्या, जो रिकॉर्ड में हैं, लगभग 90 करोड़ हो गई है। आज भी उसमें से लगभग 67 प्रतिशत मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। वास्तव में यह हम सबके लिए चिंता का विषय है और इस पर सुधार की आवश्यकता है।

महोदया, हालांकि वर्ष 2019 के चुनाव में होने वाला मतदान आज तक का सबसे ज्यादा मतदान है। जब से हमारे देश में चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई है, सर्वाधिक मतदान वर्ष 2019 के चुनाव में हुआ है। अभी तक इससे पहले इतने मत का प्रयोग कभी नहीं हो पाया है। हम आज भी शत-प्रतिशत मतदान करने और अपने मत का प्रयोग करने मतदान केंद्र पर नहीं पहुँचते हैं। इस लोकतंत्र को और कैसे जीवंत बनाए और इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमें और सरकार को मिलकर प्रयास करना चाहिए। हमें मतदान का जो संवैधानिक अधिकार मिला है, हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं या हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए अनिवार्य मतदान को कानूनी अमली जामा पहनाने के लिए सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

(1655/RV/MMN)

महोदया, हमारे देश में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की बात पुरजोर तरीके से की जाती है, जो कि किसी भी लोकतंत्र को जीवन्त और सफल बनाने के लिए अति आवश्यक और अति महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। लेकिन, जब मौलिक और नागरिक कर्तव्यों के पालन की बात आती है तो एक नागरिक के रूप में कहीं न कहीं हम पिछड़ते हुए नजर आते हैं। यही कारण है कि हमारे देश में आज भी 33 प्रतिशत लोग सरकार चुनने की प्रक्रिया से अलग हैं और वे अपने को उसमें सहभागी नहीं बना पाते हैं। वे अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं। आज़ादी के बाद प्रथम आम चुनाव से लेकर आज तक लोक सभा का चुनाव सत्रह बार हो चुका है और इन सभी चुनावों में कमोबेश लगभग एक-सी ही स्थिति बनी हुई है। किसी चुनाव में 40 प्रतिशत लोग अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते तो किसी चुनाव में 33 प्रतिशत लोग नहीं करते, यह चिंता की स्थिति हमारे लिए लगातार बनी हुई है। इसलिए वैसे मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, ऐसे मतदाताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए, इस अनिवार्य मतदान के माध्यम से वे अपने मतदान का प्रयोग कर सकें, हम ऐसी व्यवस्था बनाने का काम करें।

महोदया, यह समावेशी लोकतंत्र की मूल भावना के विरुद्ध है और कहीं न कहीं इसका समावेशी विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि इस सम्मानित सदन में मतदान को अनिवार्य करने के लिए समय-समय पर पहले भी मांग उठती रही है। मैं यह कोई पहली बार नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इस पर पहले भी चर्चा हुई है। मैं आज यह कहूँगा कि वर्ष 2019 में सैंकड़ों की तादाद में, जितनी हमारी यहां संख्या है, उसमें 50 प्रतिशत से ज्यादा नए सदस्य आए हैं। वे खुले मन से इस पर अपने भावों और अपने विचारों को रखें कि मतदान को अनिवार्य करने के लिए इस कानून पर हमें कैसे विचार करना चाहिए।

महोदया, हम अपने लिए कुछ चीजें अनिवार्य मानते हैं, जैसे टैक्स देना, न्याय में सहयोग देना, शिक्षा प्राप्त करना, उसके प्रचार-प्रसार का पालन करना आदि। हम मानते हैं कि ऐसा हमें करना है और ऐसा हम तत्पर रूप से करते हैं। इसी प्रकार से, अपने मतदान के अवसर पर एक नागरिक के कर्तव्य का पालन हम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। निश्चित रूप से यह हमारे लिए चिंता का विषय है। लेकिन, हमें यह पता चलता है कि वर्षों से हम स्वप्रेरणा से कहीं न कहीं, कुछ परसेंटेज में अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं और इसलिए कभी-कभी हमें कानूनी प्रक्रिया, कानूनी रूप का भी संज्ञान लेना पड़ता है और हमें अनिवार्य करना पड़ता है। इसे करने के लिए बाध्य करना पड़ता है।

महोदया, ऐसा कहा जाता है कि मतदान का अधिकार अन्य अधिकारों की तरह ही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं यह मानता हूँ कि मतदान का अधिकार एक असमान अधिकार है। हम कह सकते हैं कि यह सभी अधिकारों की आधारशिला है, क्योंकि इसके माध्यम से हम सरकार चुनते हैं। हमें सरकार चुनने के लिए मतदान करना है। हम आगे कैसी व्यवस्था चाहते हैं, कैसा शासन चाहते हैं और शासन के माध्यम से कैसा देश चाहते हैं, देश में कैसा विकास और विकास की गति को चाहते हैं? इसलिए हमारे लिए जो अन्य व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उसमें मतदान करना इसकी आधारशिला है। इसे हम नींव का पत्थर मान सकते हैं। अधिकार आपके हैं, यह तभी संभव है जब लोकतंत्र हो। सामन्तवाद, तानाशाही में शासन के द्वारा नागरिक अधिकारों की कोई मान्यता नहीं होती है।

(1700/MY/VR)

इसके विपरीत लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन है। अच्छा लोकतंत्र वही है, जिसमें शत-प्रतिशत मतदान होता है, यानी सरकार बनाने में हर व्यक्ति की भागीदारी होती है। यदि यह स्वेच्छा से हो, तो सर्वश्रेष्ठ है। यदि 80-90 प्रतिशत लोग वोट कर रहे हैं, तो भी चलेगा, लेकिन रजिस्टर्ड मतदाताओं में से केवल 50-60 प्रतिशत का मतदान हो, तो यह ठीक नहीं है। आज वर्ष 2019 में केवल 67 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा मतदान करना किसी भी तर्क से उचित नहीं है। हमें लगता है कि यह देश के हित में स्वीकार्य नहीं है।

महोदय, मैं आपको थोड़ा पहले ले जाना चाहता हूँ। गुजरात हमारे देश का ऐसा एकमात्र राज्य है, जहां स्थानीय निकाय के चुनाव में अनिवार्य मतदान संबंधी कानून वहां की विधान सभा द्वारा वर्ष 2009 में पारित किया गया था। यह संयोग है कि आज हमारे जो नेता है, हमारे देश तथा दुनिया के लोकप्रिय नेता और देश के प्रधानमंत्री है, उस समय वह वहां मुख्यमंत्री के रूप में थे। उनके नेतृत्व में सरकार द्वारा इसे वर्ष 2009 में पारित किया गया था। हालांकि तात्कालीन राज्यपाल ने इस व्यवस्था को संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन मानते हुए विधेयक को वापस लौटा दिया था। राज्यपाल का यह तर्क था कि ऐसा करना लोगों के ऊपर मतदान को थोपना होगा और जो संविधान के विरुद्ध होगा। जबकि तत्कालीन मुख्य मंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस अनुशासन के जरिए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उठाया गया कदम बताया था। उनकी मान्यता है और यह इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि राजनीति और राजनेता वोट बैंक की राजनीति से उठ कर सोच सकें। मतदाताओं को लुभाने के लिए अपनाए जाने वाले भ्रष्ट तौरतरीकों पर रोक लग सकें।

महोदय, यह हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी की सोच थी, इसलिए वर्ष 2009 में उन्होंने स्थानीय निकाय के चुनाव में इस व्यवस्था को लाने का काम किया था। मैं आपके सामने यह भी रखना चाहता हूँ कि आज कालेधन का प्रयोग मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर लाने, उनको लुभाने, उनको जाति और धर्म के आधार पर बाँटने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। मेरा यह मानना है कि यदि चुनाव में कालेधन के प्रयोग को रोकना है, तो हमें अनिवार्य मतदान पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

महोदय, आज हम अपने ही देश में इस बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे विश्व में लगभग दर्ज़नों, यानी 32-33 देशों में अनिवार्य मतदान संबंधी कानून बना हुआ है। मैं आपको कुछ देशों के बारे में बताना चाहता हूँ, उसमें कुछ छोटे देश है और कुछ बड़े देश भी हैं, वहां यह कानून आज से नहीं, बल्कि पहले से ही बना हुआ है। आज वहां इस कानून का पालन हो रहा है। आज अर्जेंटीना, आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बोलिविया, ब्राजील, चिली, साइप्रस, मिस्र, फिजी, फ्रांस, ग्रीस, इटली, मैक्सिको, फिलीपींस, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, तुर्की इत्यादि देशों में अनिवार्य मतदान हो रहा है और इसका कानून भी बना हुआ है। वहां अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है। जो इस अनिवार्य मतदान की व्यवस्था को नहीं मानते हैं, उन पर जुर्माना या सामुदायिक सेवा का भी प्रावधान किया गया है।

महोदय, इसके साथ ही 18 वर्ष से 70 वर्ष तक के लोगों को अनिवार्य मतदान करना होता है। 70 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं को अनिवार्य मतदान से छूट दी गई है। जो मतदाता बीमार हो या 500 किलोमीटर से अधिक दूर रहने वाले हैं, उनको भी इससे छूट दी गई है। इस कानून को लागू करने के लिए अन्य उपाय भी किए गए हैं, जैसे मोबाइल मतदान केन्द्र। वहां पर मोबाइल मतदान केन्द्रों की व्यवस्था की गई है। जो व्यक्ति किसी विशेष कारण से मतदान केन्द्र तक नहीं जा सकता है, मतदान केन्द्र ऐसे लोगों के पास जाता है। इससे मतदान के विषय में वहां की सरकार की भी गंभीरता का पता चलता है।

(1705/CP/SAN)

जहां तक भारत में इस कानून को लागू करने की बात है, हमारे समक्ष कुछ चुनौतियां आएंगी। मैं मानता हूं कि कुछ चुनौतियां आएंगी। हमारे देश में करोड़ों मतदाता आंतरिक पलायन के शिकार हैं। हम कई तरीके से लोगों को जोड़ रहे हैं, आधार के माध्यम से जोड़ रहे हैं और ई-मेल के माध्यम से जोड़ रहे हैं। जो जहां भी हो, वहां से सीधे अगर मतदान करने की व्यवस्था करा दें, तो हमें लगता है कि उसमें दूरी का कोई विषय नहीं रहेगा। कौन कहां है, यह कोई मायने नहीं रह जाएगा। जो जहां भी है, उसको मतदान करने की वहां सुविधा हो जाएगी। हमें लगता है कि कानून बनाकर, दण्ड न देकर भी इसको पालन कराने में सफल हो सकेंगे।

महोदय, शहरी क्षेत्र में रहने वाले जो मतदाता हैं, वे दो कारणों से कभी-कभी मतदान केन्द्रों पर नहीं पहुंचते हैं। उनकी इसमें अनिच्छा हो जाती है। सरकार की ओर से उस दिन सार्वजनिक छुट्टी की व्यवस्था रहती है। सरकार की ओर से मतदान केन्द्रों पर कई तरह की सुविधाएं भी दी गई थीं। इस बार आदर्श मतदान केन्द्र बनाए गए थे। ये आपके लोक सभा क्षेत्र में भी होंगे। आदर्श मतदान केन्द्र पर मतदाता के बैठने और पानी की व्यवस्था की गई। जो वृद्ध मतदाता हैं या जो गर्भवती माताएं-बहनें मतदाता हैं, उनको गाड़ी से आने-जाने की व्यवस्था भी सरकार ने बनाई थी। चुनाव में यह बड़ा आमूल-चूल सुधार हम सबने देखा। इसके लिए चुनाव आयोग को हम अपनी तरफ से विशेष रूप से धन्यवाद देंगे कि ऐसे मतदाताओं की आपने चिंता की है।

इन तमाम सुविधाओं के बाद भी मतदान केन्द्र पर न जाना और दूसरे कामों को समय देना, इसे मैं लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ मानता हूं। जिस दिन मतदान होता है, उस दिन सार्वजनिक छुट्टी होती है। उस दिन दूसरे कामों में अपने समय को व्यर्थ कर देते हैं और अपने मतदान केन्द्र पर कुछ लोग नहीं जाते हैं। मतदान करने के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित होता है, लेकिन कुछ लोग उस दिन को दूसरे कामों में लगाते हैं। इसे दुरुपयोग कहिए, क्योंकि उस दिन सदुपयोग तो मतदान केन्द्र जाने पर होगा।

चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है। जब पर्व आता है, तो छुट्टी लेकर आने-जाने में असुविधा को ध्यान में रखते हुए भी, हम हजारों किलोमीटर से घर लौट कर आते हैं। चाहे छठ का पर्व हो, होली का पर्व हो, दीपावली का पर्व हो, घर में शादी-विवाह हो, तो हम घर पर पहुंच जाते हैं। ये महापर्व हैं, लेकिन उस समय हम नहीं पहुंच पाते हैं। इसमें कहीं न कहीं अपने अंदर का जो भाव है, इस राष्ट्र के

प्रति और अच्छी सरकार चुनने के प्रति जो श्रद्धा है, उसकी कुछ लोगों में कमी दिखती है। हमें लगता है कि अनिवार्य मतदान कानून बना कर ही उसको पालन कराने में सफल हो सकते हैं।

महानगरों में भी यह देखने में आता है कि काफी संख्या में नौकरशाह मतदान के दिन मिले सार्वजनिक अवकाश का उपयोग मतदान करने के बजाय सैर-सपाटों के लिए करते हैं। इन सबको देख कर भी ई-वोटिंग का प्रावधान करने के लिए चुनाव आयोग ने जो तर्क दिए हैं, वे काफी हद तक सही हैं। इसके होने से कोई भी व्यक्ति कहीं भी रह कर मतदान कर सकता है। इस कारण मतदान के प्रतिशत में भी गुणात्मक सुधार होगा और अनिवार्य मतदान को प्रभावी और लोकतांत्रिक तरीके से लागू करने में बल मिलेगा।

भारत के साथ-साथ दुनिया के अन्य विकसित देशों में भी अनिवार्य मतदान पर गम्भीरता से विचार किया जा रहा है। दुनिया के जो विकसित देश हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों में अनिवार्य मतदान पर चर्चा की जा रही है। इसके अलावा वैचारिक विश्लेषक भी अनिवार्य मतदान के बारे में विश्लेषण व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि अनिवार्य मतदान जरूरी है।

(17110/NK/RBN)

महोदय, ऐसे देश का हम जनसंख्या के आधार पर उनसे तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी दुनिया में एक अलग पहचान है। मैं चाहता हूँ कि भारत का नेतृत्व जिस तरह से दुनिया में अलग-अलग अपने काम के बल पर छाप और प्रभाव छोड़ रहा है, अनिवार्य मतदान को कानूनी अमलजामा पहनाया जाए ताकि दुनिया में इसका प्रभाव जाए। दुनिया के सभी मतदाता अपने मतदान केन्द्रों पर जाकर अपने-अपने देश में जब भी चुनाव हो, मतदान कर सके, इसकी भी नींव भारत के माध्यम से दुनिया के अन्य देशों में जाए।

मैं आपके माध्यम से आग्रह कर रहा हूँ। भारत जैसे देश को कई कुरीतियों का सामना करना पड़ता है, उसे भी दूर करने में मदद मिल सकती है। उस पर अंकुश लगाने का काम भी हो सकता है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि अन्य देशों में ई-वोटिंग और अनिवार्य मतदान के बारे में वहां की सरकार अपना कानून बना रही है, हमें भी यहां कानून बनाना चाहिए। देश में चुनावी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से देश भर में प्रचार-प्रसार किया जाता है। जिससे चुनाव में काफी खर्च भी होता है। देश में 1952 से लेकर अभी तक जितने भी चुनाव हुए, चुनाव खर्च में बढ़ोतरी लगातार हो रही है। अगर आप 1952 में खर्च देखें तो वह काफी कम था लेकिन उसके बाद लगातार खर्च बढ़ता गया है। खर्च बढ़ने से हमें लगता है कि इस पैसे का हम दूसरे कार्यों में सदुपयोग कर सकते थे। देश के विकास में सहयोग करने की बजाय हमें इस पर खर्च करना पड़ रहा है। उस समय मात्र दस करोड़ रुपये ही खर्च हुए थे। अगर आज देखें तो हजारों करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा खर्च हो रहा है। राज्यों के लिए अलग-अलग व्यवस्था है। मैं प्रति वर्ष का आंकड़ा नहीं देना चाहता हूँ, इसमें लगातार बढ़ोतरी होती आई है। 1952 से 1962 के दौरान खर्च में कुछ कमी हुई है। 1971 में 11,61,000 लेकिन 1980 में यह बढ़ कर 54 करोड़ रुपये हो गया। 1989 में 154 करोड़ हो गया, 1996 में 597 करोड़ खर्च हो गया, 1999 में 947 करोड़ हो गया और 2009 में 1483 खर्च हो गया। मेरे कहने का मतलब है कि चुनाव

खर्च बढ़ रहा है। प्रचार के लिए सरकार अलग-अलग तरीके अपना रही है। स्कूल में दीवारों पर स्लोगन लिख कर, प्रशासनिक पदाधिकारियों के माध्यम से, जागरूकता के लिए रैलियां निकाल कर, प्रभातफेरी निकाली जाती है, लेकिन उसके बाद भी मतदान का प्रतिशत बढ़ने में अड़ंगा बना हुआ है। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूँ कि सदन इसे कानूनी अमलीजामा पहनाए, जिससे कि हम अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर जा सकें। सरकार भी चाहे सुरक्षा की व्यवस्था हो, मतदान केन्द्रों पर करती भी है। आप इन सभी चीजों को अगर ध्यान में रखें तो सरकार को उनकी सुरक्षा के प्रबंध करने चाहिए, जिन मतदाताओं ने अपना मतदान नहीं किया है उनके नामों की सूची बननी चाहिए। मेरा कहना है कि प्रथम दृष्टया एक ऐसी सूची प्रकाशित होनी चाहिए। यह जिला वाइज प्रकाशित हो। हो सकता है कि लाख दो लाख का नाम हो, पार्ट वाइज प्रकाशित करना पड़े, एक सूची बने कि इन लोगों ने मतदान नहीं किया है। एक मैसेज जाएगा कि लोकतंत्र के महापर्व में मतदाता होते हुए भी शिरकत नहीं की है, इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष व्यवस्था की।

(1715/SK/SM)

इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष व्यवस्था की। जैसा मैंने अभी कहा कि अभी जो सरकार ने किया है, इसे व्यापक करना है, इसे चिह्नित करना है कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर ऐसे कितने मतदाता हैं जो वरिष्ठ नागरिक हैं या ऐसी कितनी माताएं बहनें हैं, जिनको गर्भवती होने के कारण या दिव्यांग भाई-बहनों को आने-जाने में कठिनाई है, उनको कैसे पहुंचाया जाए। इससे मतदाताओं की भी सुविधा बढ़ेगी। सरकार को एक तरह से व्यय करना पड़ रहा है। प्रचार, प्रसार में, अलग तरीके से हजारों करोड़ करना पड़ रहा है, वह बचेगा और उनको मतदान करने में सुविधा बढ़ेगी। दो चीजें इसी खर्च में हो जाएंगी, एक- जागरूकता आएगी और लोगों लगेगा कि सरकार बनाने में उनकी सहभागिता है।

अब हम सरकार अच्छी तरह से चला रहे हैं, देश के जन-जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इससे विकास नीचे तक जा रहा है, लेकिन आज यह चिंता का विषय नहीं है कि 33 परसेंट लोग आज भी अनभिज्ञ हैं। उनको तो नहीं लग रहा है उन्होंने सरकार बनाने में योगदान किया है। उनका तो सरकार बनाने में कोई योगदान नहीं रहा। उन्होंने अपने भाव को जोड़ने का कोई काम नहीं किया। मैं नहीं कहता कि आप किसे वोट दें। चुनाव आयोग ने वर्ष 2013 में 'नोटा' का कानून बना दिया, प्रावधान भी कर दिया। इसके माध्यम से लोग 'नोटा' पर वोट देने का काम कर रहे हैं। लोक सभा के किसी भी क्षेत्र में देखिए, 10,000-20,000 ज्यादा लोगों ने 'नोटा' पर वोट डाले हैं।

माननीय सभापति (श्रीमती मीनाक्षी लेखी): सीग्रीवाल जी, आप पहले भी बोल चुके हैं इसलिए थोड़ा शार्ट कर दीजिए, क्योंकि बाकी भी मैम्बर्स बैठे हैं। इस पर पहले डिसकशन हो चुका है।

श्री जनार्दन सीग्रीवाल (महाराजगंज): माननीय सभापति जी, मैंने तो यह कहा है, सदन में चर्चा के माध्यम से ही कानून बनाते हैं।

माननीय सभापति: सीग्रीवाल जी, सहभागिता बाकी सब की भी हो जाए। आपको दोबारा भी बोलने का समय मिलेगा।

श्री जनार्दन सीग्रीवाल (महाराजगंज): यह ऐसा बिल है, पर्व तो पर्व यह महापर्व है, अन्य बिल पर कानून बनाकर हम कुछ कर लेते हैं, लेकिन इस पर बहुत गंभीर चर्चा होनी चाहिए।

यह तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्राइवेट मैम्बर्स बिल लाने का भी मौका मिला और मेरा लग भी गया। यह तो मेरे भाग्य की बात हो सकती है। हम सब प्रयास करते हैं लेकिन लग नहीं पाता है, लेकिन मेरा लग गया।

मैं आपके माध्यम से पुनः माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि दल से ऊपर उठकर व्यवस्था की बात करें। यह इस देश के लिए है, व्यवस्था की बात सिर्फ अंदर के लिए नहीं है। यह देश के लिए व्यवस्था का विषय है, इसमें कोई दल आड़े न आए, कोई दल या जाति आड़े न आए। हमें यह सुनिश्चित करना है कि कैसे सब चीजों से ऊपर उठकर कैसे अनिवार्य मतदान के माध्यम से लोगों के लिए प्रयास करें। इसीलिए मैं बार-बार आग्रह करता हूँ कि अनिवार्य मतदान को कानूनी अमली जामा पहनाया जाए।

मैं आपके माध्यम से पुनः देश के मतदाताओं को यहां से अपील और आग्रह करना चाहता हूँ कि आपके ऊपर कोई कानूनी बाध्यता न हो, लेकिन आपके अंदर जागरूकता हो, आपके अंदर जागरूक भाव आ जाए कि मुझे भी मतदान केन्द्र पर जाना है, मतदान केन्द्र पर जाकर मतदान करना है। इसकी अनिवार्यता है, यह आवश्यक है। ऐसे बिल पर हम चर्चा कर सकें, जितना विस्तारित काम कर सकें, आवश्यक है।

मैं पुनः आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ कि अनिवार्य मतदान को कानूनी अमलीजामा पहनाने का काम करें। मैं पुनः अपनी बात कहूंगा। धन्यवाद।

(इति)

(1720/MK/AK)

1720 बजे

श्री अजय कुमार (खीरी): धन्यवाद माननीय सभापति महोदया, श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल जी द्वारा अनिर्वाय मतदान विधयेक, 2019 प्रस्तुत किया गया है और आज इस पर चर्चा हो रही है। मैं समझता हूँ कि हमारा देश सांस्कृतिक और शैक्षिक रूप से बहुत प्राचीन और समृद्ध देश है। 1947 की आजादी से पहले हमारे देश में लोकतंत्र की भावना रही है, इसलिए हम लोगों ने आजादी के बाद लोकतंत्र का रास्ता अपनाया। लोकतंत्र में सभी लोग सहभागिता कर सकें, इसके लिए मतदान का अधिकार इस देश के प्रत्येक उस नागरिक को है, जिसमें सोचने-समझने की क्षमता हो। इसलिए हमने मतदान के लिए एक उम्र रखी है। उन सभी लोगों को अपने मत का प्रयोग करके एक ऐसी सरकार का चुनाव करना होता है या ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव करना होता है जिस पर उनका विश्वास और भरोसा होता है। लेकिन, लोकतंत्र का सबसे मूल तत्व है, वह स्वप्रेरणा है। अपराध के कानून बनाए जाएं, व्यवस्था के लिए कानून बनाए जाएं, यह बात तो समझ में आती है। लेकिन, ऐसी किसी चीज के लिए जिसमें हम लोगों को यह हक हो कि हम किसको वोट देंगे, किसको नहीं देंगे, देंगे या नहीं देंगे, उस पर कानून बनाने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। जो अनिर्वाय कानून की बात है ... (व्यवधान) मैं अपने विचार को रख रहा हूँ। हमारे देश ने जिस तरह का लोकतंत्र अपनाया है, उसमें स्वप्रेरणा से स्वयं ही लोग उसको करने लगे, इसकी संभावनाएं हैं। जैसे अभी जनार्दन जी ने अपने भाषण में कहा कि लगातार वोट का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। अभी जो चुनाव हैं, उसमें सबसे ज्यादा लोगों ने मतदान किया और इसका सीध-सीधा यह कारण रहा कि जहां लोग शैक्षिक एवं सामाजिक रूप से अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं, वहीं उनको एक ऐसे राजनैतिक दल, राजनेता अथवा जन प्रतिनिधि के रूप में विकल्प मिला है, जिससे उनको प्रेरित किया और तभी वे मतदान स्थल तक जाते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि यह देश 125 करोड़ लोगों का देश है और हमारे यहां बहुत सारे वर्ग हैं। अभी हमारे यहां बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, जहां 20 कि.मी. तक न तो रेल के संसाधन हैं और न ही बस के। शैक्षिक और सामाजिक रूप से भी बहुत सारे लोग पिछड़े हुए हैं। मतदान के विषय में हम लोग अक्सर देखते हैं कि जब कोई छोटे चुनाव जैसे प्रधान के चुनाव या डेलिगेट्स के चुनाव होते हैं, उनमें बहुत धन और दूसरे तरीके से मतदान को प्रभावित करने का काम प्रभावशाली लोग करते हैं। ऐसे में मतदान को अनिवार्य बनाने से जहां एक तरफ अराजकता के माहौल को बल मिलेगा, वहीं हम लोग यह भी देखेंगे कि ग्राम प्रधान या डेलिगेट्स के चुनाव में जो वोटर्स होते हैं, उनको धन के माध्यम से प्रभावित करेंगे। जब अनिवार्य मतदान का प्रावधान होगा तो ये प्रतियोगिता और बढ़ेगी और उसमें लोग कुल वोट का कम से कम आधा वोट अपने पक्ष में करना होगा। मैं समझता हूँ कि मतदान करना अच्छी बात है। प्रत्येक व्यक्ति को हमारे देश के संविधान और कानून ने बिना भेदभाव के, गरीब, अमीर, छोटा, बड़ा, पढ़ा-लिखा, बिना पढ़ा-लिखा सभी को समान मतदान का अधिकार दिया है ताकि सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझें और देश को कैसे आगे ले जाना है, उसमें अपना योगदान करें। आपने अभी बहुत सारे उदाहरण दिये हैं, जिसमें कई देशों के नाम भी लिए हैं,

लेकिन जब पूरी दुनिया में लोकतंत्र की बात होती है, तब हमारे देश को हमेशा एक स्वस्थ लोकतंत्र की उपमा दी जाती है।

(1725/YSH/SPR)

पूरी दुनिया में यह माना जाता है कि पूरी दुनिया में हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाले देश हैं। जब अपने देश में हम देखते हैं कि कोई कुछ बोल रहा है कई लोग बिना आधार के सारी बातों को बोलते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे समय में मतदान को अनिवार्य करना संभव नहीं है। जैसे-जैसे हम शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से ... (व्यवधान)। हम आगे बढ़ते जाएंगे, लोगों का मतदान के प्रति आकर्षण अपने आप बढ़ता जाएगा, रुचि बढ़ती जाएगी और लोग अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करने लगे, तो निश्चित रूप से स्वयं ही वह मतदान स्थल तक जाएंगे। ऐसा मेरा मानना है। अभी जैसे एक बात अभी आई कि गुजरात में एक बार हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने प्रयास किया, लेकिन वह प्रयास केवल संविधान की बाध्यता के कारण ही वहाँ के राज्यपाल ने स्वीकार नहीं किया। इस बात को समझना चाहिए कि संविधान के संशोधन के बिना यह संभव है ही नहीं, और दूसरा यह कि जब संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है तो निश्चित रूप से इसके भी कुछ न कुछ मायने हैं। मतदान के लिए कानून नहीं बनाना चाहिए, बल्कि स्वप्रेरित करके ही लोग मतदान करें, तो ज्यादा अच्छी बात रहेगी। अभी जैसे एक देश एक चुनाव की बात हमारे देश में बहुत चर्चा में है और देश आजाद होने के बाद जब पहली बार चुनाव हुआ होगा, तो निश्चित रूप से पूरे देश में केंद्र सरकार के साथ-साथ सारे प्रदेशों की सरकारों का चुनाव भी हुआ होगा, लेकिन अब धीरे-धीरे जैसे प्रदेश की सरकारें गिरती गईं, लोग अपना समर्थन वापस ले लेते हैं, कभी दो दलों को मिलाकर सरकार बनती है। ऐसी स्थिति में एक बड़ी कठिनाई आ रही है। जबकि यह एक बहुत अच्छा विचार है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव हों। उसका परिणाम भी अच्छा आएगा, खर्च भी बचेगा और सरकारी मशीनरी का भी दुरुपयोग होने से हम बचेंगे। उसके लिए जो इतना सारा पैसा खर्च होता है, वह पैसा बचेगा, संसाधन बचेंगे। लेकिन उसके बावजूद जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, चुनौतियाँ आ रही हैं, वे चुनौतियाँ ये हैं कि क्या जब एक बार सरकार चुनी जाती है तो 5 साल तक वही सरकार काम करे? इस समय जैसा कि हम कर्नाटक में देख रहे हैं। कर्नाटक में एक ऐसे राजनैतिक दल को सरकार बनाने का अवसर मिला, जिसके केवल 37 सदस्य थे और उन 37 सदस्यों वाले दल ने न केवल वहाँ पर सरकार बनाई, बल्कि एक साल से वे सरकार चला रहे हैं और जब उस सरकार के कुछ विधायकों ने उनसे समर्थन वापस ले लिया, तब भी सरकार से हटने का नाम नहीं ले रहे। इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि ऐसी स्थितियाँ बार-बार हमारे देश में आने की संभावनाएं हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों को यह देखना होगा कि हम एक ऐसी सरकार बनाएं, ऐसा संविधान संशोधन लाएं, जिसमें हम लोगों को एक देश और एक चुनाव की तरफ बढ़ने की प्रेरणा मिले। इस विषय पर हम लोगों को बात भी करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि यह उचित अवसर है कि इस बात को हम कह सकते हैं कि हम अपने देश में क्या सुधार कर सकते हैं? जब एक बार चुनाव हो जाए तो 5 वर्ष में किसी चुनी हुई सरकार को पूरे 5 वर्ष तक आमतौर पर अवसर मिलता है, लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ भी आएँ, तब भी उसको 5 साल तक सरकार चलाने का अवसर दिया जाए। अगर किसी कारणवश उस सरकार

को हटना भी पड़ता है तो भले ही राष्ट्रपति शासन लगाना पड़े, लेकिन 5 वर्ष के अंदर चुनाव न हों और यह संविधान संशोधन से ही संभव है। दूसरी बात यह है कि जब हम लोग किसी पार्टी का चुनाव चिह्न लेकर चुनाव में गए और उसके बाद वह व्यक्ति, वह विधायक या सांसद पार्टी विरोधी गतिविधियां करता है तो उसको उस पार्टी से निकाल दिया जाता है और उसकी विधान सभा या लोक सभा की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। क्या हम ऐसा परिवर्तन कर सकते हैं कि जिस तरह से अभी कांग्रेस या जेडीएस ने आपस में मिलकर सरकार बनाई, कई बार यह होता है कि एक दल सरकार से समर्थन वापस लेकर दूसरे दल को दे देता है। उससे हॉर्स ट्रेडिंग भी बढ़ती है।

(1730/RPS/UB)

हम यह प्रावधान कर दें कि एक बार जो गठबंधन बन गया, वह पांच साल तक नहीं हटेगा। अगर वह सरकार गिरती है तो जो दल दूसरे नम्बर पर है, उसे सरकार बनाने का अवसर दिया जाए और अगर कोई भी परिस्थिति नहीं बनती है तो पांच वर्ष तक चुनाव न हो। 1952 में हम एक साथ चुनाव करके चले थे, अगर हमें वह बात लानी है और आगे वह कायम रहे तो हमें कुछ संशोधन करने होंगे। यह जो विचार माननीय प्रधान मंत्री जी ने दिया है, वह निश्चित रूप से एक उत्तम विचार है, जिससे हमारे देश के संसाधन भी बचेंगे, देश आगे बढ़ेगा। इसकी संभावनाएं भी बढ़ेंगी और लोगों में एक स्वस्थ लोकतंत्र के प्रति समर्पण का भाव भी आएगा। कई बार हम लोग अपने क्षेत्र में जाते हैं तो देखने को मिलता है और जैसा अभी माननीय सदस्य 'नोटा' की बात कह रहे थे। अभी राजीव प्रताप रूडी जी ने बताया कि गोपालगंज में 'नोटा' वोट्स की संख्या 45 हजार हो गई थी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा उसी स्थिति में होता है, जब लोगों को लगता है कि इनमें से कोई भी आदमी चुनने लायक नहीं है। मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए यह भी आवश्यक है कि ऐसे लोग राजनीति में आएँ, जिनका समाज में सम्मान हो, समाज जिनको स्वीकार करता हो, जिन पर समाज को भरोसा हो कि जिस व्यक्ति को हम चुन रहे हैं और जिन कारणों से चुन रहे हैं, उन पर यह खरा उतरने वाला है। हमारा वोट व्यर्थ नहीं जाएगा, हमारे वोट की जो कीमत और सार्थकता है, वह हमें मिलेगी तो निश्चित रूप से वोट का प्रतिशत बढ़ेगा। इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। इसके साथ ही, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे सभी व्यक्ति ...(व्यवधान) मैं अपनी मुख्य बातें कहकर दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूँगा।

सभापति महोदया, 130 करोड़ लोगों का हमारा देश है। हमारे देश में जिस तरह से चुनाव होते हैं, 30 राज्य हैं, केन्द्र सरकार के लिए चुनाव होता है, त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव होते हैं, ग्राम सभा, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत और कोऑपरेटिक्स के चुनाव होते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे यहां चुनाव की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। जहां प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में चुनावों का बहुत बड़ा महत्व है, वहीं प्रत्येक व्यक्ति के अपने वोट का भी बहुत महत्व है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से इन दो विषयों पर हम लोगों को जरूर बात करनी चाहिए। आपने अनिवार्य मतदान की बात की है। मैं यह मानता हूँ कि मतदान को इतना सरल करना चाहिए, जिससे लोग स्वयं प्रेरित होकर मतदान स्थल पर जाएँ, लेकिन इसके लिए कोई अनिवार्य कानून नहीं बनाना चाहिए।

दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में पांच वर्ष में एक ही बार चुनाव हो, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायत में जिस तरह से ब्लॉक पंचायत का चुनाव होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है और डेलीगेट्स का चुनाव होता है। हम देखते हैं कि जैसे ही प्रदेश में सरकार बदलती है, डेलीगेट्स को वे लोग हाईजैक कर लेते हैं और तुरंत ही उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर, उसे हटाने का काम करते हैं। प्रदेश में जिस दल की सरकार होती है, उसी दल से वहां अध्यक्ष चुन लिया जाता है। उसमें भी सुधार लाने की आवश्यकता है कि त्रिस्तरीय पंचायत में जब एक बार चुनाव हो जाए, जिस कार्यकाल के लिए चुनाव हो, उसके बीच में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाना चाहिए।

तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि हमारे देश में सारे चुनाव एक साथ हों और पांच साल में एक बार हों, यह निश्चित रूप से हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा और इससे देश आगे बढ़ेगा। जिस तरह हम 'न्यू इंडिया' कांसेप्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसमें भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि इसके लिए हम लोगों को संविधान में संशोधन करना चाहिए। जिस प्रकार राजनैतिक दलों के हमारे प्रत्याशी अलग-अलग होते हैं, उसी प्रकार से राजनैतिक दलों के लिए भी ऐसी आचार संहिता बनाई जाए, जिसके कारण पांच वर्ष में वे अविश्वास प्रस्ताव न लाएं, सरकार बदली न जाए और जो सरकार चुनी जाए, उसे पांच वर्ष काम करने का मौका दिया जाए। अप्रत्याशित स्थितियों में राष्ट्रपति या राज्यपाल शासन के द्वारा सरकारें चलाई जाएं, लेकिन पांच वर्ष में चुनाव एक ही बार हो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अनिवार्य मतदान के लिए कानून लाना आवश्यक नहीं है, हमें देश के लोगों को शैक्षिक, सामाजिक रूप से जागृत करना चाहिए। जागरुकता के अभियान बढ़े हैं। अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए और हम मतदान सरलता से कर सकें, इसके लिए प्रयास करने चाहिए। धन्यवाद।

(इति)

(1735/RAJ/KMR)

माननीय सभापति (श्रीमती मीनाक्षी लेखी): निशिकांत दुबे जी, आपको बोलने के लिए 15 मिनट का समय है।

1735

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदया, तैत्तिरीय उपनिषद् का श्लोक है

अजस्य गृहनतो जन्मनिरिहस्य हतद्वसः

स्वप्नो जागरूकस्यो यथार्थन वेद कस्तः।

जो जन्म नहीं लेते हुए भी जन्म लेता है और सब कुछ जानते हुए भी अनजाना होता है, उसके लिए वेद और पुरान की बहुत आवश्यकता नहीं होती है। यह जो चुनाव है, चुनाव में वोट करना अनिवार्य है। जब आप चुनाव में वोट करते हैं तो आप अपने लिए सही जनप्रतिनिधि चुनते हैं। इसी के माध्यम से आप अपनी बातों को, चाहे आप स्थानीय स्तर पर पंच, पंचायत, जिला परिषद्, नगर निगम, नगरपालिका, विधान सभा या लोक सभा में पहुंचाते हैं, वे सारे जनप्रतिनिधि मिल कर, जिनका जहां-जहां काम होता है या योगदान होता है, जहां के वे सदस्य बनते हैं, वे आपकी बातों से समस्या का समाधान करते हैं, यह सारी पब्लिक जानती है। यह गरीब भी जानते हैं और अमीर भी जानते हैं। इसके बावजूद भी जनता वोट देने के लिए नहीं जाती है या कम जाती है। उसके लिए हमारे बड़े भाई, जनार्दन सिंह सिग्ग्रीवाल साहब दूसरी बार यह बिल लेकर इस संसद में आए हैं। वह इसे 16वीं लोक सभा में भी लेकर आए थे। इस पर भी बहुत लम्बा-चौड़ा डिसकशन हुआ। 17वीं लोक सभा में, इनका संयोग था, भाग्य था कि प्राइवेट मैम्बर बिल इन्हीं के बिल से शुरू हुआ। मैंने दोनों के भाषण को सुना है। सिग्ग्रीवाल जी चाहते हैं कि कम्पलसरी वोटिंग हो और अजय जी बोल रहे थे कि नहीं हो, तो मुझे दोनों बातों में सच्चाई नजर आती है।

माननीय सभापति महोदया, चूंकि आप अच्छी वकील हैं तो मुझे लगता है कि इसका फैसला चेयर करे या सदन करे तो ज्यादा बेहतर होगा। हम सारे जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं। पी.पी. चौधरी साहब बैठे हुए हैं, यह सीनियर वकील हैं। मुझे लगता है कि वर्तमान लोक सभा में जितने माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, उनमें दो-तीन लोग बहुत सीनियर हैं, उनमें रूड़ी साहब, महताब साहब और प्रह्लाद सिंह पटेल साहब हैं। संयोग ऐसा है कि ये लोग छः-सात बार चुन कर संसद में आए हैं। महताब साहब सर्वश्रेष्ठ माननीय सांसद हैं। मैं यह कह रहा हूं कि आप कम्पलसरी वोटिंग कैसे करें। दुनिया में 28 ऐसे देश हैं, जहां कि कम्पलसरी वोटिंग है और कम्पलसरी वोटिंग में भी केवल आस्ट्रेलिया ही एक उदाहरण है। आप कह सकते हैं कि आस्ट्रेलिया में कम्पलसरी वोटिंग है। आस्ट्रेलिया में कम्पलसरी वोटिंग वर्ष 1917-18 के बाद लागू हुई था, जो अभी तक चालू है। उसमें जितनी समस्याएं हैं, उसका वर्णन नहीं हो सकता है। इसके अलावा जिस भी बड़े देश ने इसको लागू करने की कोशिश की, मैं बताना चाहता हूं कि बहुत रीजेन्टमेंट, समस्या और लोगों को परेशानी हुई। इटली जैसे देश में वर्ष 1993 में इसको एबॉलिश कर दिया गया कि कम्पलसरी वोटिंग नहीं होगी। उसी तरह से नीदरलैंड ने इसको वर्ष 1967 में एबॉलिश कर दिया। जब उन देशों ने इसे एबॉलिश किया तो उसके पीछे कारण क्या था और हम किस समस्या से जूझ रहे हैं। नोटा इस देश की सबसे बड़ी समस्या हो गई है। आप लोगों को वोट डालने के लिए भेजते हैं और उसके बाद एक माहौल बनता है कि हमको वोट नहीं देना है। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में यह तय कर दिया। हम हमेशा से पढ़ते

आए हैं कि कानून बनाने का अधिकार इस संसद को है, लेकिन कानून कौन बना रहा है और क्या बना रहा है, जिसको चुनाव से कोई मतलब नहीं है।

(1740/IND/SNT)

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): मैंने भी इस विषय को एक बार उठाया था और मैंने कहा था कि कानून बनाने का अधिकार किसका है। उस दिन भी यह विषय आया था। आप तो देश के जाने-माने वकीलों में से एक हैं और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप इस समय आसन पर बैठी हैं। हम इस बारे में जरूर स्पष्टीकरण चाहेंगे कि बार-बार देश में कानून बनाने का अधिकार, जैसे माननीय सांसद निशिकांत जी ने विषय उठाया है कि कानून बनाने का अधिकार संविधान में किसके पास है और कब तक इस देश में कानून बनाने का विशेष अधिकार पार्लियामेंट को है। इस पर यदि नियमन हो तो देश के इतिहास में बड़ा फैसला हो सकेगा।

माननीय सभापति (श्रीमती मीनाक्षी लेखी): वह विषय ले लेंगे, अभी निशिकांत जी को उनकी बात खत्म करने देते हैं।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): आप यह समझें कि नोटा का जजमेंट देते हुए उस समय के चीफ जस्टिस श्री सतशिवम ने कहा कि "A voter may refrain from voting at an election for several reasons including the reason that he does not consider any of the candidates in the field worthy of his vote. One of the ways of such expression may be to abstain from voting, which is not an ideal option for a conscientious and responsible citizen. Thus, the only way by which it can be made effectual is by providing a button NOTA in the EVM." इसके बाद वे इतने पर ही नहीं रुके। Besides, the Supreme Court also highlighted the need for higher voters' participation in India. I quote: "eventually, voters' participation explains the strength of the democracy, lesser voters' participation is the rejection of commitment to democracy, slowly but definitely, whereas, larger participation is better for democracy. The voters' participation in the election is indeed the participation in the democracy itself. Non-participation causes frustration and disinterest which is not a healthy sign of a growing democracy like India". अपने ही जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट काट रहा है और हम इतने पागल हैं या यह संसद, उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया या इलेक्शन कमीशन में कोई बैठा हुआ है, आप यह समझिए एक तरफ यह कह रहा है कि नॉन पार्टीसिपेशन यदि वोटर का है, तो यह फ्रस्ट्रेशन है और यह हैल्दी डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है और जो 'नोटा' है, वह कौन-सा पार्टीसिपेशन है।

HON. CHAIRPERSON: Exactly.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): इस पार्लियामेंट को दो चीजों पर डिस्कशन करना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं यह मानता हूँ कि इस डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह के कानून आप नहीं ला सकते और जिस तरह से गुजरात में वर्ष 2009 का बिल लाया, हमारे प्रधान मंत्री जी इस बारे में बहुत

सोचते हैं, एक अच्छा बिल लेकर आए। लेकिन जो जजमेंट आया, इन्होंने कहा कि गवर्नर ने उसे रोक दिया, लेकिन 5 नवम्बर, 2014 को दोबारा बिल पास हुआ, लेकिन वर्ष 2015 में हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक दूसरे फैसले में यह बात कही कि हम इनह्यूमन काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी ने कहा कि किसी की बिजली काट दो, किसी का पानी काट दो, किसी ने कहा कि उसका राशन पानी बंद कर दो।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): मैं एक बात जानना चाहता हूँ।

HON. CHAIRPERSON: Mahtab ji, we are running short of time but you can just make one intervention.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I just want to ask a question, which, I think, our learned Member can explain. In 1951, when the Representation of People's Act was being debated in this House, at that time, an amendment was moved by an hon. Member and the then, Law Minister Dr. Ambedkar said, "Voting is a right and by converting it into compulsory voting, you are making it a duty". So, there is a difference between right and duty. In the past, the Chief Minister of Gujarat was trying to make it a duty for municipal elections. Unless you make a change in the Constitution that this is not a right alone but it is also a duty, you cannot make it compulsory. It is a fundamental right. अगर आप इसे ड्यूटी बनाएंगे, तो कोर्ट की इंटरप्रेटेशन अलग किस्म की होगी। जब तक यह ड्यूटी नहीं होगी, कांस्टीट्यूशन में बदलाव नहीं आएगा, मैं आपसे यह राय जानना चाहता हूँ?

(1745/VB/GM)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): महताब भाई से बहुत कुछ सीखने को मिलता है।

मैं आपको बताऊँ कि वर्ष 1951 से पहले संविधान सभा में भी इसके ऊपर डिबेट हो चुकी थी। संविधान सभा के जो 299 सदस्य थे, उनमें से केवल एक सदस्य श्री अनन्त शयनम आयंगर चाहते थे कि कंपल्सरी वोटिंग हो जाए। वर्ष 1949 में 298 वर्सेस 1 से पूरी-की-पूरी संविधान सभा ने इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि यह संभव ही नहीं है, प्रजातंत्र के लिए, इस डेमोक्रेसी के लिए यह होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद जब वर्ष 1951 में वह एक्ट बनने लगा, तो डॉ. बी.आर. अम्बेडकर जी ने भी यही बातें कही थीं। मैं भी व्यक्तिगत तौर पर यही बात समझता हूँ कि इस पार्लियामेंट के लिए इससे ज्यादा जरूरी यह है, जिस बिल को श्री राजीव प्रताप रूडी जी लेकर आए हैं और जिसके लिए हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी बहुत ही आग्रही हैं और इस विषय पर ऑल पार्टी मीटिंग कर चुके हैं। वे सभी पार्टियों से चाहते हैं कि एक साथ सारे चुनाव हों। यह सबसे बड़ा सवाल है।

यदि आप वोट का पर्सेंटेज देखेंगे, तो पंचायत में मुखिया का जो चुनाव होता है, पंच का चुनाव होता है, नगरपालिका का चुनाव होता है, नगर निगम का जो चुनाव होता है, उनमें जो वोटिंग पर्सेंटेज होती है, वह उन्हीं वोटर्स में 80-85 पर्सेंट होती है। आप आस्ट्रेलिया का उदाहरण दे रहे थे। वहाँ

वोटिंग पर्सेंटेज 90 है। कंपल्सरी वोटिंग के बाद भी यह आस्ट्रेलिया में 90 पर्सेंट तक ही पहुँच पाया है। ऐसा नहीं है कि आस्ट्रेलिया में सौ पर्सेंट वोटिंग हो रही है।

जैसा कि आप कह रहे थे, यदि इसे आधार के साथ जोड़ भी दें, तो मैं कहता हूँ कि मतदान बूथ पर जाकर वोट देने का जो तरीका है, क्योंकि हमारी जो सोसायटी है, सीग्रीवाल साहब और हम एक राज्य, एक ही परिवेश से आते हैं, वह एक फ्यूडल सोसायटी है।

आपको पता है कि ईवीएम आने से पहले, इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस से पहले लोग दलितों, महिलाओं, शोषितों, वंचितों को बूथ तक जाने नहीं देते थे। जो लोग बैलेट की बात कर रहे हैं कि बैलेट से चुनाव होगा, उनके लिए एक बड़ी बात यह है कि बैलेट से चुनाव करके फिर से बूथ कैपचरिंग की स्थिति में जा सकते हैं। बिहार का उदाहरण हमने देखा है। वर्ष 1990 से 2005 के दौरान, मान लीजिए यदि टी.एन. शेषण नहीं होते, यदि श्री राव नहीं होते, तो बिहार में कभी सरकार नहीं बदलती। बैलेट का जो सवाल है, आप जो ई-बैलेट की बात करते हैं, उसमें दिक्कत यह होगी कि मान लीजिए कि किसी फोन पर ओटीपी भेजा जा रहा है, तो वह ओटीपी फोन वाला कहीं किसी के कब्जे में तो नहीं है।

माननीय सभापति(श्रीमती मीनाक्षी लेखी): निशिकांत जी, we will discuss this. एनआरआई आदि जो देश से बाहर रहते हैं, आप उनके बारे में सोचकर यह बात अड्रेस कीजिए।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): एनआरआई को वोटिंग राइट्स देने के लिए सरकार सीरियस है। मैं समझता हूँ कि वह अच्छी बात है।

माननीय सभापति: क्या ई-बैलेट पॉसिबल है?

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): मैं यह कह रहा हूँ कि सेना के जो लोग हैं या जो लोग वोट कराने जाते हैं, जैसे जो लोग बूथ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं या उनके तहत अन्य लोग होते हैं, हमने उनको वोट करने का अधिकार दिया हुआ है। वे पहले से ही वोट कर रहे हैं। मान लीजिए कि बैलेट से पोल आता है, तो जो सेना के जवान बाहर हैं, उसी तरह से जो एनआरआई वोटर्स हैं, यदि हम उनको अलाऊ करेंगे, तो हम उनको पहले से ही बैलेट भेज देंगे।

मैं कहना चाहता हूँ कि यह तरीका ई-प्लेटफॉर्म पर नहीं हो सकता है क्योंकि जब ओटीपी आएगा, तो पता नहीं है कि किसका फोन है, यह किसके पास गया, उसको किसी ने कब्जे में तो नहीं रखा हुआ है, इसलिए मतदान केन्द्र की जो प्रक्रिया है, उसके अलावा दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है।

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): एनआरआई वगैरह के लिए और अभी ई-वोटिंग का जो सिस्टम है, उसको एक्सटेंड करने के लिए प्रपोजल चल रहा है। इसके बारे में गंभीरता से एक कमेटी बनी है। लॉ मिनिस्ट्री सोच रही है कि उन लोगों को कैसे इनक्लूड किया जाए, ताकि उनको ई-बैलेट पेपर भेजे जाएं और वे वापस पोस्टल बैलेट भेजें।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): मैंने वही तो कहा कि जिस तरह से आप आर्मी वालों को यह भेज रहे हैं, उसी तरह से एनआरआई को भी भेजकर यह काम कर सकते हैं। लेकिन, मैं जिस सवाल पर था,

इस कमपल्सरी वोटिंग के पहले, मैं सिग्रीवाल साहब से भी आग्रह करूँगा कि जब आप अपना भाषण कनक्लूड करने लगेंगे, तो 'नोटा' पर एक बड़ी चर्चा इस पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए।

दूसरी चर्चा जो होनी चाहिए, माननीय प्रधान मंत्री जी जो चाहते हैं, यदि एक साथ चुनाव होंगे, तो इतने सारे कैंडिडेट्स होंगे- पंचायत, मोहल्ले आदि से, वे सभी अपने-अपने वोटर्स को बूथ तक ले जाएंगे। जब वे उनको बूथ तक ले जाएंगे, तो आप जो चाहते हैं कि 80 परसेंट वोटिंग हो, क्योंकि 67 परसेंट वोटिंग तक तो हम पहुँच गये हैं, इसके लिए मैं अपनी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभिनन्दन करता हूँ। सभी कार्यकर्ता वोटर्स की पर्ची लेकर घर तक गये, उन्होंने वोटर्स को घर से निकाला। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ।

(1750/KDS/RK)

मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने मतदाता जागरण के माध्यम से चुनाव में किसी पॉलिटिकल पार्टी का साथ देने का फैसला नहीं किया लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग वोट कैसे करें और उसमें भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है वह और बड़ा काम करती है। उसने पन्ना प्रमुख बनाया हुआ है और पन्ना प्रमुख का काम यह होता है कि एक पन्ना उसके पास होता है। उस पन्ने में जितने वोटर्स हैं, वो बूथ तक कैसे पहुंचें। मैं आपको बताता हूँ कि इसका कानूनी पक्ष नहीं है। यह राजनीतिक दलों के बीच में चर्चा करने का सवाल है, हम सारे सांसदों के बीच में चर्चा करने का सवाल है। महिला रिजर्वेशन के लिए मैं आपको बताऊँ कि कई एक जैसे हमारी पार्टी और कई अन्य पार्टियां महिला रिजर्वेशन के पक्ष में हैं। लेकिन महिला रिजर्वेशन का कई पार्टियां विरोध भी करती हैं। उसी में से एक रास्ता यह हो सकता है कि महिलाओं को हम किस तरीके से अपने ही टिकट में से 33 परसेंट, 35 परसेंट, 40 परसेंट रिजर्वेशन दे सकते हैं। महताब साहब की पार्टी बीजू जनता दल ने इसकी शुरुआत की है। 17वीं लोक सभा चुनाव परिणाम में यह भी देखने का सवाल है कि वे महिलाएं, जो बीजू जनता दल के टिकट पर जीतकर आई हैं, वे कितना पार्टिसिपेट कर रही हैं, वे मुद्दे को कितना उठा रही हैं, या हमने उनको कहीं एक आर्टिफिशियल महिला के तौर पर तो नहीं ला दिया? यह देखने का सवाल है।

मैं इनके मुख्य मंत्री और इनकी पार्टी का स्वागत करता हूँ, लेकिन जब 17वीं लोक सभा समाप्त होगी तो इस पर भी एसेसमेंट होगा। सवाल यह है कि ... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्रीमती मीनाक्षी लेखी) : मैं रिजर्वेशन से नहीं आई हूँ। मैं दो पुरुषों को हराकर आई हूँ। ठीक है, मजाक की बात अलग है।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): मैं कनक्लूड करूँगा, क्योंकि श्री जगदम्बिका पाल साहब को बोलना है। संयोग से यहां श्री प्रह्लाद जोशी साहब हैं, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं, चेयर भी है, सारा सदन भी है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक बार इस पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा यह होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट का रोल क्या है, यह पूरा डिफाइन होना चाहिए। कांस्टीट्यूटशन का आर्टिकल-368 कहता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और एनजेएसी बिल और नोटा बिल के बाद हम देख रहे हैं कि ये डिस्टॉर्शन है डेमोक्रेसी का। डिस्टॉर्शन डेमोक्रेसी कहती है - नोटा के ऊपर यदि संसद ने चर्चा नहीं की, यदि उस कानून को नहीं बदला गया तो मैं आपको बताना

चाहूंगा कि हम लोग एनार्की की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग ऐसे तत्वों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका डेमोक्रेसी पर कोई विश्वास नहीं है। मान लीजिए किसी को कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, लेकिन यहां पार्टी लड़ती है, पार्टी की आइडियोलॉजी लड़ती है, पार्टी का मनिफेस्टो लड़ता है। व्यक्ति तो एक निमित्त मात्र होता है। हम प्रधान मंत्री चुनते हैं, मंत्री चुनते हैं। ऐसे तत्व धीरे-धीरे इस नोटा के बाद बढ़ते जा रहे हैं और यदि ये बढ़ते गए तो इस डेमोक्रेसी का क्या होगा? यह डेमोक्रेसी ही है जिसके कारण एक चाय वाला इस देश का प्रधान मंत्री है। यह डेमोक्रेसी ही है जिसके कारण चप्पल पहनने वाला यहां का एमपी है, मंत्री है। यदि प्रताप सारंगी जी को देख लेंगे तो लोग समझेंगे कि साइकिल चलाते हुए भी मंत्री बना जा सकता है। इस डेमोक्रेसी ने देश में आईएस दिया, आईपीएस दिया। इस रिजर्वेशन ने देश को आगे बढ़ाया, कास्ट सिस्टम को खत्म किया। यदि डेमोक्रेसी के खिलाफ माहौल हो गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद बढ़ रहा है, तो इस सदन में यह चर्चा करने का बिंदु है। इसीलिए मेरा श्री जनार्दन सिंग्रीवाल साहब से, इस सदन से और सभी लोगों से आग्रह है कि जो डा.बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कहा, जो तारकुंडे साहब ने कहा। मैं तारकुंडे साहब को कोट करूंगा और अपने भाषण को समाप्त करूंगा। एक तारकुंडे कमेटी बनी थी। जस्टिस तारकुंडे बहुत बड़े विद्वान और ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने कहा था कि-

“We have seriously considered the desirability of making it compulsory for voters to cast their votes in these elections. It appears to us that compulsory voting may be resented by the voters and may on balance prove counter-productive. It is desirable that compliance with the duty to cast one's vote should be brought about by persuasion and political education rather than compulsion. Moreover, the implementation of a law of compulsory voting is likely to be very difficult and may lead to abuse.”

उन्होंने इतनी बड़ी रिकमेंडेशन दी। हम तारकुंडे साहब की बात से सहमत हैं। इस पार्लियामेंट से, श्री जनार्दन सिंह सिंग्रीवाल जी से, मंत्री जी से और सभी से आग्रह करते हैं कि आप नोटा के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर, एनजेएसी के ऊपर और हम पार्लियामेंट में हैं, हम कानून बनाते हैं, हम सुप्रीम हैं कि नहीं हैं, इसके ऊपर यदि चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है कि सार्थक चर्चा होगी और हर तरह से अच्छा कानून हम बना पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।

(इति)

(1755/MM/PS)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। Which is the nodal Ministry dealing with this Bill?

HON. CHAIRPERSON (SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI): The Ministry of Law and Justice. The hon. Minister is here and the noting is also being taken care of.

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सर, कलेक्टिव रेस्पॉंसिबिलिटी होती है और यह प्राइवेट मेम्बर बिल है। There should be someone.

HON. CHAIRPERSON: Sir, I can show you the authorization letter of Shri Ravi Shankar Prasad and he has authorised the hon. Minister. He is in the Rajya Sabha right now.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Yes, but who is there?

HON. CHAIRPERSON: The Minister of Parliamentary Affairs is there.

1756 बजे

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदया, मैं अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। आपने देखा होगा कि निशिकांत जी बोल रहे थे तो अपने को महताब जी भी नहीं रोक पाए और कुछ क्लैरिफिकेशन चाहा। रूडी साहब और अन्य सदस्य भी बोले हैं। यह इस बात का संकेत करता है कि हमारे जनार्दन सीग्रीवाल जी द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है कि देश के सभी मतदाताओं को अनिवार्य रूप से मतदान करने के लिए एक विधेयक यह सदन स्वीकार करे। मैं समझता हूं कि सभी इसका समर्थन करते हैं और मैं भी इसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मुझे लगता है कि अपनी बात में कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि व्यावहारिक रूप से ऐसा कैसे हो सकता है। हमारा यह सदन इस बात के लिए भी चिंतित है कि किन्हीं परिस्थितियों और कारणों से जो लोग देश से बाहर चले गए हैं और एनआरआई की श्रेणी में हैं, उन्हें भी मतदान करने का अधिकार देना चाहिए। इससे साफ है कि इस देश की जनता और मतदाताओं के साथ-साथ हमारी चुनी हुई सरकार की भी प्रबल इच्छा है कि देश में सभी मतदान करें और देश के मूल निवासी अगर किन्हीं कारणों से दुनिया के किसी देश में हैं और एनआरआई हैं तो उन्हें भी मतदान का अधिकार हो। यह साबित करता है कि हम एक अनिवार्य मतदान चाहते हैं ताकि चुनाव में सर्वाधिक भागीदारी हो।

ड्यूटी और राइट की बात आई है। यह सही बात है कि अगर आप राइट टू वोट की बात करते हैं तो यह अधिकार भारत के संविधान ने दिया है। Right to vote is provided by the Constitution of India and by the Representation of the People Act, 1951 subject to certain disqualifications. वह सजायाफ्ता न हो, दिवालिया न हो, कुछ ऐसे उपबन्ध दिए गए हैं, जिनको छोड़कर देश के किसी भी नागरिक को संविधान और Representation of the People Act, 1951 के द्वारा अधिकार दिया गया है कि वह मतदान कर सकता है। महोदया, आप स्वयं बहुत बड़ी विद्वान हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वकील हैं। Article 326 guarantees the right to vote to every citizen above the age of 18 years. हमारे संविधान का अनुच्छेद 326 इस बात की गारण्टी देता है कि कोई व्यक्ति बालिग और 18 वर्ष का हो गया है तो उसको मताधिकार का अधिकार है। Section 62 of the Representation of the People Act states that every person who is in the electoral roll of that constituency will be entitled to vote. एक व्यक्ति भी मताधिकार से वंचित न रह जाए, उसको कितना सैफगार्ड भारत के संविधान ने दिया है। फिर चाहे वह आर्टिकल 326 हो या Representation of the People Act, 1951 के सैक्शन 62 में हो। इस तरह से एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है अपनी चुनी हुई सरकार में उसकी भी सहभागिता हो, उसकी भी भागीदारी सुनिश्चित हो, उसका भी अधिकार हो, इसके लिए हमने संविधान और Representation of the People Act, 1951 के माध्यम से अधिकार दिए हैं। कम्प्लेसरी वोटिंग के माध्यम से हम उसको कितना अधिकार दे रहे हैं। बात नोटा की हो रही थी। नोटा पर आज एक फैसला हुआ, उस पर बिलकुल एक बहस होनी चाहिए।

(1800/SJN/RC)

नोटा आज अगर कुछ देशों में लागू है, चाहे वह फ्रांस हो, बेल्जियम हो, ब्राजील हो, ग्रीस हो, चिली हो, इन देशों में अनिवार्य मतदान है। यह विडंबना कल कहीं वाकई में खड़ी न हो जाए कि नोटा का एक प्रावधान बन जाए और उस नोटा के प्रावधान से ऐसा हो जाए कि वह हार-जीत का कारण बन जाए।... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्रीमती मीनाक्षी लेखी) : माननीय सदस्यगण, क्या सदन की सहमति है कि आज की कार्यवाही को यहीं पर समाप्त किया जाए? माननीय जगदम्बिका पाल जी, अगली बार इस चर्चा को जारी रखेंगे।

अनेक माननीय सदस्य : हां-हां।

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 15 जुलाई, 2019 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1800 बजे

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार, 15 जुलाई, 2019 / 24 आषाढ़, 1941(शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।